



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

निविदा आमंत्रण सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची, कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा मोड द्वारा दो-भाग की निविदा आमंत्रित करता है। निविदा एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (<http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi>) के माध्यम से की जाएगी। सभी इच्छुक कंपनियों / एजेसियों / फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा।

ई-निविदा की सूची इस प्रकार है:

ए.	ई-निविदा सं.	आरबीआई/कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/5/25-26/ET/191
बी.	कार्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।
सी.	कार्य की अनुमानित लागत	₹21.00 लाख जीएसटी सहित
डी.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (तकनीकी और वाणिज्यिक बोली (भाग-।) और मूल्य बोली (भाग-II)) एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से; (https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi)
ई.	एनआईटी की तारीख और निविदा दस्तावेज डाउनलोड के लिए बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध होने की तारीख	जून 16 2025, 15:00 बजे
एफ.	बयाना जमा (ईएमडी)	₹42,000/- (बयालीस हजार रुपए मात्र) (सभी बोलीदाताओं द्वारा भुगतान किया जाना है, जैसा कि निविदा दस्तावेज के खंड II - पैरा 12.0 में उल्लिखित है। एमएसएमई/उद्यम पंजीकृत बोलीदाताओं को ईएमडी के भुगतान से कोई छूट नहीं है।)
जी.	बोली-पूर्व बैठक की तारीख, समय एवं स्थान (ऑफलाइन)	07 जुलाई, 2025, समय 15:00 बजे, संपदा विभाग, कार्यालय भवन, भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची
एच.	बोली-पूर्व बैठक के परिणाम को परिशिष्ट, शुद्धिपत्र आदि के रूप में आरबीआई वेबसाइट पर अपलोड करने की तारीख और समय।	जुलाई 09 2025, 14:00 बजे से पहले
आई.	तकनीकी और वाणिज्यिक बोली (भाग-।) और मूल्य बोली (भाग-II) के लिए वेबसाइट पर बोली प्रारंभ तारीख;	जुलाई 09 2025, 15:00 बजे



भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

	http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi	
जे.	तकनीकी और वाणिज्यिक बोली (भाग-।) और मूल्य बोली (भाग-॥) प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तारीख	जुलाई 18 2025, at 14:00 बजे
के.	तकनीकी और वाणिज्यिक बोली (भाग-।) खोलने की तारीख और समय	जुलाई 18 2025, at 15:00 बजे
एल.	मूल्य बोली खोलने की तारीख और समय	अगले दिन, जिसकी सूचना योग्य बोलीदाताओं को पहले ही दे दी जाएगी।
एम.	लेनदेन शुल्क	मैर्सर्स एमएसटीसी लि द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राशि।

निविदा दस्तावेज एमएसटीसी की वेबसाइट यानी www.mstcecommerce.com पर 16 जून 2025 को 15:00 बजे से उपलब्ध होंगे। विधिवत भरे गए निविदा दस्तावेज और मूल्य-बोली 18 जुलाई 2025 को 14:00 बजे तक एमएसटीसी साइट पर अपलोड किए जाएंगे। फर्मों द्वारा ई-निविदा प्रस्तुत करने के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश निविदा में दिए गए हैं। बिना ईएमडी के प्राप्त किसी भी ऐसे निविदा को गैर-सच्चा माना जाएगा और निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से खारिज कर दिया जाएगा।

इच्छुक निविदाकर्ताओं की प्री-बिड मीटिंग (ऑफ-लाइन मोड) 07 जुलाई 2025 को 15:00 बजे ऑफिस बिल्डिंग, आरबीआई, कोच्ची में आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा के संबंध में अपनी शंकाओं, यदि कोई हो, को स्पष्ट करने के लिए बैठक में उपस्थित हों।

ई-निविदा का भाग-। (तकनीकी और वाणिज्यिक बोली) 18 जुलाई 2025 को 15:00 बजे कार्यालय भवन, आरबीआई, कोच्ची में खोला जाएगा। ई-निविदा दस्तावेज के भाग-। की जांच के बाद, यदि कोई भी फर्म निविदा में निर्दिष्ट आवश्यक पात्रता नहीं रखती है, तो बैंक ऐसे निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

केवल उन निविदाकारों की भाग-॥ (मूल्य बोली) जो निविदा में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के अनुसार अपेक्षित योग्यता रखते हैं, योग्य निविदाकारों को इसकी सूचना देने के साथ ही अगले दिन खोली जाएगी।

निविदाकर्ता या तो निविदा खोलने के अवसर पर बैंक में उपस्थित रहना चुन सकते हैं या फिर अपने स्थान पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं।

भविष्य में निविदा में यदि कोई संशोधन/शुद्धिपत्र जारी किया जाएगा तो उसे केवल आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा तथा समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

(टी. वी. राव)
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची



भारतीय रिज़र्व बैंक कोच्ची

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

ई-निविदा सं.

आरबीआई/कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/5/25-26/ईटी/191

पार्ट-। (तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली)

निविदाकर्ता का नाम:

पता:

ईमेल आईडी:

संपर्क नंबर.:

बोली-पूर्व बैठक की तारीख एवं
समय:

07 जुलाई 2025, 15:00 बजे, संपदा विभाग, कार्यालय भवन,
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।

ई-निविदा प्रस्तुत करने की नियत
तारीख एवं समय:

18 जुलाई 2025, 14:00 बजे।

ई-निविदा के भाग-। के खुलने की
तारीख:

18 जुलाई 2025, 15:00 बजे।

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना इसे किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर नकल करना, वितरित या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि आरबीआई को उक्त उद्देश्य के लिए जवाब देने के उद्देश्य से ऐसा किया जाए। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहाँ तक कि अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाना सख्त वर्जित है और कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर होगा और इस प्रकार, भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

ऑडियो-कॉर्प्रेसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग समेलन कक्ष, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।



भारतीय रिज़र्व बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक

www.rbi.org.in

निविदा आमंत्रण सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची, कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा मोड द्वारा दो-भाग की निविदा आमंत्रित करता है। निविदा एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (<http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi>) के माध्यम से की जाएगी। सभी इच्छुक कंपनियों / एजेंसियों / फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा।

ई-निविदा की सूची इस प्रकार है:

ए	ई – निविदा सं.	आरबीआई/ कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालय/ संपदा/ 5/25-26/ET/191
बी	कार्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।
सी	कार्य की अनुमानित लागत	₹ 21.00 लाख जीएसटी सहित
डी	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (तकनीकी और वाणिज्यिक बोली (भाग-Ⅰ) और मूल्य बोली (भाग-Ⅱ)) एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से; (https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi)
ई	एनआईटी की तारीख और निविदा दस्तावेज डाउनलोड के लिए बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध होने की तारीख	जून 16 2025, 15:00 बजे
एफ	बयाना जमा (ईएमडी)	₹ 42,000/- (बयालीस हजार रुपए मात्र) (सभी बोलीदाताओं द्वारा भुगतान किया जाना है, जैसा कि निविदा दस्तावेज के खंड ॥- पैरा 12.0 में उल्लिखित है।

		एमएसएमई/उद्यम पंजीकृत बोलीदाताओं को ईएमडी के भुगतान से कोई छूट नहीं है।
जी.	बोली-पूर्व बैठक की तारीख, समय एवं स्थान (ऑफलाइन)	07 जुला, 2025, समय 15:00 बजे, संपदा विभाग, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची
एच	बोली-पूर्व बैठक के परिणाम को परिशिष्ट, शुद्धिपत्र आदि के रूप में आरबीआई वेबसाइट पर अपलोड करने की तारीख और समय।	जुलाई 09 2025, 14:00 बजे से पहले
आई	तकनीकी और वाणिज्यिक बोली (भाग-।) और मूल्य बोली (भाग-॥) के लिए वेबसाइट पर बोली प्रारंभ तारीख; http://mstcecommerce.com/eprochome/आरबीआई	जुलाई 09 2025, 15:00 बजे
जे.	तकनीकी और वाणिज्यिक बोली (भाग-।) और मूल्य बोली (भाग-॥) प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तारीख	जुलाई 18 2025, at 14:00 बजे
के.	तकनीकी और वाणिज्यिक बोली (भाग-।) खोलने की तारीख और समय	जुलाई 18 2025, at 15:00 बजे
एल	मूल्य बोली खोलने की तारीख और समय	अगले दिन, जिसकी सूचना योग्य बोलीदाताओं को पहले ही दी जाएगी।
एम	लेनदेन शुल्क	मैसर्स एमएसटीसी लि द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राशि।

निविदा दस्तावेज एमएसटीसी की वेबसाइट यानी www.mstcecommerce.com पर 16 जून 2025 को 15:00 बजे से उपलब्ध होंगे। विधिवत भरे गए निविदा दस्तावेज और मूल्य-बोली 18 जुलाई 2025 को 14:00 बजे तक एमएसटीसी साइट पर अपलोड किए जाएंगे। फर्मों द्वारा ई-निविदा प्रस्तुत करने के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश निविदा में दिए गए हैं। बिना ईएमडी के प्राप्त किसी भी ऐसे निविदा को गैर-सच्चा माना जाएगा और निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से खारिज कर दिया जाएगा।

इच्छुक निविदाकर्ताओं की प्री-बिड मीटिंग (ऑफ-लाइन मोड) 07 जुलाई 2025 को 15:00 बजे ऑफिस बिल्डिंग, आरबीआई, कोच्ची में आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा के संबंध में अपनी शंकाओं, यदि कोई हो, को स्पष्ट करने के लिए बैठक में उपस्थित हों।

ई-निविदा का भाग-। (तकनीकी और वाणिज्यिक बोली) 18 जुलाई 2025 को 15:00 बजे कार्यालय भवन, आरबीआई, कोच्ची में खोला जाएगा। ई-निविदा दस्तावेज के भाग-। की जांच के बाद, यदि कोई भी फर्म निविदा में निर्दिष्ट आवश्यक पात्रता नहीं रखती है, तो बैंक ऐसे निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

केवल उन निविदाकारों की भाग-॥ (मूल्य बोली) जो निविदा में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के अनुसार अपेक्षित योग्यता रखते हैं, योग्य निविदाकारों को इसकी सूचना देने के साथ ही अगले दिन खोली जाएगी।

निविदाकर्ता या तो निविदा खोलने के अवसर पर बैंक में उपस्थित रहना चुन सकते हैं या फिर अपने स्थान पर इसे ऑनलाइन देख सकते हैं।

भविष्य में निविदा में यदि कोई संशोधन/शुद्धिपत्र जारी किया जाएगा तो उसे केवल आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा तथा समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

(टी. वी. राव)
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), संपदा विभाग, कोच्ची ने इच्छुक पक्षों को कार्य की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। हालाँकि आरबीआई ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे उचित मानता है, लेकिन न तो आरबीआई, न ही इसके किसी भी अधिकारी या उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वह व्यक्त हो या निहित।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षों को अपनी जांच स्वयं करनी होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह आरबीआई या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार पर बाध्यकारी नहीं है।

आरबीआई को काम को आगे न बढ़ाने या काम के स्वरूप को बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार है। इसके अलावा, आरबीआई को इस मामले में रुचि दिखाने वाले किसी भी पक्ष के साथ आगे चर्चा करने से इनकार करने का भी अधिकार है।

किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति उन व्यक्तियों या संस्थाओं को नहीं दी जाएगी जो इसमें रुचि रखते हैं। भविष्य में जारी किए जाने वाले निविदा में कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

ई-अधिप्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले इस आवेदन की शर्तें एवं नियम पढ़ें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण:

पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास क्लास III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

विशेष नोट: तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली www.mstcecommerce.com/eprocn/ (वर्षन 3) पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है।

1. www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड / वीडियो / पंजीकरण पर जाएं
2. विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिए गए ई-मेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला प्रणाली जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, विक्रेता ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले आरबीआई / एमएसटीसी से संपर्क कर सकते हैं।

1 संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

1. **प्रधान कार्यालय सेंट्रल हेल्प डेस्क:** (विक्रेताओं के लिए), helpdeskho@mstcindia.in, फ़ोन: **07969066600**

कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें। उपलब्धता - सभी तकनीकी मुद्दों जैसे ई-निविदा, प्रणाली सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

2. **संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी)**

कृपया www.mstcindia.co.in/content/Contact.aspx पर जाएं और अपने क्षेत्रीय कार्यालय को तदनुसार अपडेट करें।

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, कोच्ची):

1. श्री. रिशु वी. सिंह (एम-टेक.) 9867720817 (rishuvsingh@rbi.org.in)
2. श्रीमती नितिन नाग पुन्नशेष्टी (Mgr.) 9597364319 (nithinnag@rbi.org.in)
3. श्रीमती विनीता वी (एम) 9747207776 (vvineetha@rbi.org.in)
4. श्री. अखिलेशकांत एसएस (जेर्ई (इलेक्ट्रिक)) -8281258592 (akhileshkanthss@rbi.org.in)

बी) सिस्टम आवश्यकताएँ:

विवरण के लिए, विक्रेता डाउनलोड प्रणाली सेटिंग गाइड का संदर्भ ले सकता है जो

	<p>https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर उपलब्ध है।</p>
2	<p>लेनदेन शुल्क के संबंध में विशेष नोट: विक्रेता अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा पर "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके/ "ईवेंट कैटलॉग" में "लेनदेन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता चालान में बिना कोई बदलाव किए उस पर छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा।</p> <p>लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा नहीं भर सकते हैं।</p> <p>टिप्पणी:</p> <ul style="list-style-type: none"> बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से काफी पहले लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें, ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में जानकारी निविदा के अंतिम रूप दिए जाने तक की प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी ई-मेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें। एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।
3	<p>ई-निविदा में बोली: विक्रेताओं को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए मेरे मेनू में दस्तावेज़ अपलोड करें लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।</p> <p>लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड होने के बाद, विक्रेता विशेष ई-निविदा में दस्तावेज़ संलग्न करें, लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई-निविदा से संलग्न नहीं हैं, तो उसे आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया विक्रेता गाइड के निर्देशों का पालन करें।</p> <p>ए) बोलीदाताओं को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, ई-निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग से जमा करना होगा। यदि कोई लेनदेन शुल्क है तो वह वापस नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी आरबीआई द्वारा वापस कर दी जाएगी।</p> <p>बी) इस प्रक्रिया में टेक्नो कमर्शियल बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।</p>

जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क → सामान्य शर्तें → दस्तावेज संलग्न करें → मूल्य बोली पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी टेक्नो कमर्शियल बोलियां और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, विक्रेता को अपने लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शर्तें टैब सक्षम हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, विक्रेताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड करने और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। यदि दस्तावेज़ संलग्न करना और/या सामान्य शर्तें सहेजना चरण असफल होता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम हो जाएंगे। बोली स्थिति बटन में यह स्थिति प्रदर्शित की जाएगी कि यह सफल है या लंबित है।

सी) सबसे पहले विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश (अगर कोई हो) को भरना होगा और उसे सेव करना होगा। फिर विक्रेता को टेक्नो-कमर्शियल बोली भरनी चाहिए। टेक्नो-कमर्शियल बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी टेक्नो-कमर्शियल बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, प्राइस बिड लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर बोलीदाता को अपनी प्राइस बिड दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार जब टेक्नो-कमर्शियल बोली और प्राइस बिड दोनों सेव हो जाती है, तो बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएँ" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली हटाना चाहता है और बोली को फिर से सबमिट करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएँ पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

डी) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपना स्वयं का आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

ई) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूर्णतः गुमनाम रहेंगे।

एफ) ई-निविदा फ्लोर पूर्व घोषित तारीख व समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।

जी) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा पेश की गई वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसे स्वीकार करने से आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बन जाएगा। ऐसे सफल निविदाकर्ता को आगे आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।

एच) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां श्रेणी ॥। हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं, अन्यथा उन्हें प्रणाली द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आई) क्रेता के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।

जे) ई-निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा फ़्लोर में बोली प्रस्तुत करना ई-निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

के) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा फ़्लोर में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-निविदा फ़्लोर/निविदा दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रूपये में होनी चाहिए।

विषयसूची

क्र सं.	वस्तु	पृष्ठ सं.
1	भाग-।- खंड ।- निविदा का प्रारूप	9-10
2	भाग-।- खंड ॥- निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें	11-24
3	भाग-।- खंड ॥।- सुरक्षा कोड	25-26
4	भाग-।- खंड ॥॥- इसके बाद संदर्भित शर्तें	27-43
5	भाग-।- खंड ॥॥- परिशिष्ट जिसका उल्लेख पूर्व में किया गया है	44
6	भाग-।- खंड ॥॥।- तकनीकी विनिर्देश और कार्य का दायरा	45-49
7	भाग-।- खंड ॥॥॥- अनुमोदित निर्माताओं की सूची	50
8	भाग-।- खंड ॥॥॥।- निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित मेक और मॉडल की सूची	51
9	भाग-।- खंड ॥॥॥॥- वाणिज्यिक शर्तों की चेकलिस्ट	52-53
10	भाग-॥।- बिना मूल्यांकित मात्रा का बिल	54-58
11	अनुलग्नक-।- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप	59
12	अनुलग्नक-।।- ठेकेदार द्वारा साइट विजिट के लिए वचनबद्धता का प्रारूप	60
13	अनुलग्नक-।।।- बोलीदाता द्वारा रखरखाव की पुष्टि के लिए वचनबद्धता का प्रारूप	61
14	अनुलग्नक-।।।।- बयाना राशि जमा / बोली सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	62-64
15	अनुलग्नक-।।।॥- करार के अनुच्छेद	65-69
16	अनुलग्नक-।।।॥।- निष्पादन सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	70-72
17	अनुलग्नक-।।।॥॥।- एनईएफटी / आरटीजीएस / ईसीएस के माध्यम से भुगतान के लिए इनपुट प्रदान करने हेतु प्रोफार्मा- अधिदेश प्राधिकरण प्रपत्र	73-74
18	अनुलग्नक-।।।॥॥॥।- ठेका मजदूर नियमों / विनियमों के गैर-अनुपालन के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा	75-76
19	अनुलग्नक-।।।॥॥॥॥।- पेटेंट अधिकारों पर नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रोफार्मा	77
20	अनुलग्नक-।।।॥॥॥॥॥।- परियोजना के लिए प्रस्तावित प्रमुख कर्मचारियों का बायोडाटा	78
21	अनुलग्नक-।।।॥॥॥॥॥।- ग्राहकों की सूची हेतु प्रपत्र	79
22	अनुलग्नक-।।।॥॥॥॥॥॥।- ठेकेदार के कार्य-निष्पादन के संबंध में ग्राहक के प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा	80-81
23	अनुलग्नक-।।।॥॥॥॥॥॥॥।- अनुसूचित बैंक से बैंकर्स प्रमाणपत्र के लिए प्रोफार्मा	82
24	अनुलग्नक-।।।॥॥॥॥॥॥॥॥।- बैंक में मौजूदा पुराने ऑडियो प्रणाली का विवरण।	83
25	अनुलग्नक-।।।॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥।- बैंक में नव-पुनर्निर्मित ए.वी.-कॉर्नेंसिंग प्रणाली का विवरण।	84-87

खंड । - निविदा का प्रारूप

स्थान :
तारीख:

श्री टी.वी. राव
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची

महोदय,

हमने ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की सावधानीपूर्वक जांच की है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थापना स्थल का दौरा किया है और जांच की है तथा निविदा को प्रभावित करने वाली उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त की है। हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में करार की शर्तें में संदर्भित विनिर्देशों, डिजाइनों और लिखित निर्देशों, निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों, यहां पहले संदर्भित शर्तों, विनिर्देशों, कार्यों की अनुसूची, डेटा शीट और मात्राओं की अनुसूची और ऐसी सामग्रियों के साथ निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, जो प्रदान की गई हैं, और अन्य सभी मामलों में, ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकती हैं।

ज्ञापन

(ए)	कार्य का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।
(बी)	अनुमानित लागत	₹ 21.00 लाख/- (जीएसटी सहित)
(सी)	भुगतान का तरीका	भाग-। के खंड ॥- पैरा 22.0 के अनुसार।
(डी)	बयाना राशि	₹ 42,000/- (रुपये बयालीस हजार मात्र)। (सभी बोलीदाताओं द्वारा भुगतान किया जाना है, जैसा कि भाग-। के खंड ॥-पैरा 12.0 में उल्लिखित है।
(इ)	निविदा स्वीकृति पत्र की तारीख के दसवें दिन से कार्य पूरा करने के लिए समय दिया जाएगा।	80 दिन बैंक के कार्य आदेश जारी होने की दसवीं तारीख से।

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा, निविदा के भाग-। के खुलने की तारीख से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। हम संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक-4) के अनुसार निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बयाना राशि के लिए बैंक गारंटी को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।

3. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो हम निविदा की सभी शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और इसके उल्लंघन की स्थिति में, निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित धनराशि को जब्त कर आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या समनुदेशिती या नामांकित व्यक्ति को संविदा की लिखित स्वीकृति के साथ भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

4. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। यदि हम ऐसा करने के लिए कहे जाने पर अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि जमा की गई ईएमडी हमारे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को जब्त कर ली जाएगी।

5. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाती है। भाग-। में सभी वाणिज्यिक नियम व शर्तें तथा तकनीकी विवरण शामिल हैं, तथा भाग-॥ में केवल बैंक के प्रोफार्मा में मूल्य बोली शामिल है।

6. हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बयाना राशि के रूप में **₹ 42,000/- (बयालीस हजार रुपये मात्र)** जमा कर दी है, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि हम अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम इस बात पर सहमत हैं कि यह राशि हमारे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को जब्त कर ली जाएगी।

यह दिनांकित----- के दिन-----2025

के लिए और पक्ष में

मेसर्स _____

(हस्ताक्षर सहित मुहर)

नाम:

पदनाम:

स्थान:

तारीख:

(उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ता के मुख्तारनामा की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए)

साक्षी

(1) हस्ताक्षर

नाम, पता और तारीख

(2) हस्ताक्षर के साथ

नाम, पता और तारीख

खंड II - निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें

भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची स्थित भारतीय रिजर्व बैंक कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए पात्र बोलीदाताओं से निर्दिष्ट पूर्व-योग्यता मानदंडों के अनुसार प्रतियोगी ई-निविदाएँ आमंत्रित करता है। कार्य की अनुमानित लागत ₹ 21.00 लाख/- (जीएसटी सहित) है। । कार्य बैंक के कार्य आदेश जारी होने की दसवीं तारीख से 80 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। सभी पूर्व-योग्यता पत्र एमएसटीसी साइट पर अपलोड किए जाएंगे।

1.0 निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश

1.1 इच्छुक निविदाकर्ताओं को निविदा में भाग लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

i. कार्यालय भवनों / बड़े वाणिज्यिक परिसरों में ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग जैसे समान प्रकृति के कार्यों को करने में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए (31 मई 2025 से पहले किए गए कार्य)।

ii. पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्यालय भवनों / बड़े वाणिज्यिक परिसरों में "ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग" को सफलतापूर्वक निष्पादित किया जाना चाहिए (31 मई 2025 को या उससे पहले पूरा किया गया कार्य):

ए) तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर से कम नहीं होगी या

बी) दो कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर से कम नहीं होगी या

सी) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर से कम न हो।

iii. 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का न्यूनतम 100% वार्षिक कारोबार होना चाहिए, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित हो।

iv. अनुमानित लागत के 100% के बराबर राशि के लिए संबंधित बैंकर द्वारा जारी शोधक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

v. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के रखरखाव का कम से कम एक चालू संविदा होना चाहिए।

vi. इच्छुक बोलीदाता के पास बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए कोच्ची में उचित सेवा व्यवस्था होनी चाहिए। बोलीदाता को कोच्ची में मौजूद कर्मचारियों की संख्या बतानी होगी और इसके लिए कम से कम 3 स्तरीय सेवा एसकलषन मैट्रिक्स भी प्रस्तुत करना होगा।

केवल उपरोक्त योग्यता रखने वाले निविदाकर्ता ही कार्य के लिए निविदा देने के पात्र होंगे।

1.2 इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी पात्रता के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए (स्कैन करके एमएसटीसी ई-निविदा पोर्टल पर संलग्न करें):

(ए)	फर्म की संरचना	ठेकेदारों की फर्म की संरचना के बारे में पूर्ण विवरण (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति है, या भागीदारी फर्म है, या कंपनी आदि) विस्तृत रूप से भागीदार के नाम और पते, संस्था के अंतर्नियम/ मुख्तारनामा / अटॉर्नी / अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(बी)	कार्य अनुभव एवं निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों को पूरा करना	योग्य कार्यों (ऊपर से 1.1.i और 1.1.ii) के लिए विस्तृत कार्य आदेशों की प्रतियां जिसमें कार्य देनी की तारीख, दिया कार्य का मूल्य, कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाया गया हो तथा संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र जिसमें वास्तविक पूर्णता तारीख और निष्पादित समान कार्यों का वास्तविक मूल्य दर्शाया गया हो, कार्य अनुभव और पात्रता के प्रमाण के रूप में संलग्न किया जाना चाहिए। किसी भी केंद्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार्य करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी दिया जाना चाहिए।
(सी)	कारोबार	अर्थात् 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, साथ ही इन वित्तीय वर्षों के लिए कारोबार को दर्शाने वाला सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र।
(डी)	ठेकेदार की ऋण पात्रता और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका कारोबार	आयकर निकासी प्रमाण पत्र / आयकर निर्धारण आदेश की प्रतियां, साथ ही ठेकेदार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों की प्रतियां, जो सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित हों, उनकी ऋण-योग्यता और पिछले तीन वर्षों के कारोबार के प्रमाण के रूप में संलग्न की जानी चाहिए।
(ई)	ऋण-शोधन क्षमता / बैंकर प्रमाणपत्र	इच्छुक निविदाकर्ता को अनुमानित लागत के 100% के बराबर राशि के लिए संबंधित बैंकर द्वारा जारी शोधक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसका प्रारूप अनुलग्नक-13 में दिया गया है।
(एफ)	बैंक और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	अपने बैंकर्स के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी तथा संपर्क अधिकारियों (अर्थात् वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा अपने बैंकर्स के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, यदि ऐसा आवश्यक हो) के पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर आदि प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
(जी)	बैंक खातों का विवरण	उनके बैंक खातों का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए, जैसे बैंक खाता, प्रकार, कब खोला गया आदि।
(एच)	ग्राहकों की सूची	ग्राहक-वार कार्यों के नाम, कार्य निष्पादन का वर्ष, निष्पादित कार्यों की स्वीकृत और वास्तविक लागत, संविदा में निर्धारित कार्य पूरा होने का समय और कार्य पूरा होने में लगा वास्तविक समय, अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण

		जिनके अधीन कार्य निष्पादित किया गया/थे, प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसका प्रारूप अनुलग्नक-11 में दिया गया है।
(मैं)	ग्राहक का प्रमाणपत्र	अनुलग्नक-12 में दिए गए प्रारूप के अनुसार ग्राहक का प्रमाणपत्र, जिनके लिए उन्होंने इस नोटिस में बताए गए पात्रता (पूर्व-योग्यता) मानदंडों के अनुसार "पात्र कार्य" किए हैं। ग्राहक के प्रमाणपत्र पर किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन या पीएसयू के संबंध में कार्यकारी अभियंता/अधीक्षक अभियंता या समकक्ष रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और केवल तभी जब वे ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राप्त भुगतान के पर्याप्त प्रमाण द्वारा समर्थित हों। निजी संगठनों द्वारा जारी किए गए ग्राहक के प्रमाणपत्र के साथ स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्र भी होना चाहिए।
(जे)	कार्यालय सेटअप का विवरण	कोच्ची में स्थापित कार्यालय का पता और संपर्क विवरण।
(क)	पंजीकरण का विवरण और पंजीकरण प्रमाणपत्र / दस्तावेजों की प्रतियां	<ul style="list-style-type: none"> पैन (स्थायी खाता संख्या) जीएसटी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) भारत सरकार, यदि लागू हो। श्रम आयुक्त कार्यालय, यदि लागू हो।

निविदाकर्ताओं को उपरोक्त पैरा 1.2 में उल्लिखित सभी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

1.3 निविदा फॉर्म वेबसाइट www.mstcecommerce.com से देखे/डाउनलोड किए जा सकते हैं। | 16 जून 2025, 15:00 बजे के बाद से।

1.4 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेजों में निहित संविदा की सामान्य शर्तों और तकनीकी विनिर्देशों के आधार पर ही निविदा प्रस्तुत करें, तथा किसी भी विचलन को निर्धारित न करें। यदि निविदा दस्तावेजों में दिए गए नियमों और शर्तों को स्वीकार करने से कोई मूल्य निहितार्थ होता है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और उद्धृत मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। नियमों और शर्तों से विचलन वाली निविदा को बैंक के विवेक पर अस्वीकार किया जा सकता है। निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा देने से पहले स्थापना स्थल का दौरा करें और साइट की स्थितियों से खुद को परिचित करें। जांच के बाद, यदि कोई बोलीदाता आवश्यक पात्रता नहीं रखता है, तो बैंक द्वारा उनकी निविदाओं को आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1.5 निविदाकर्ता को डिजाइन या प्रणाली के किसी भाग के बारे में उनके द्वारा धारित या किसी तीसरे पक्ष द्वारा उपयोग किए गए पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकार, कॉपीराइट, औद्योगिक संपदा अधिकारों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।

1.6 निविदा के संबंध में किसी भी संभावित बोलीदाता द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट करने के लिए 07 जुलाई 2025 को 15:00 बजे एक निविदा-पूर्व ब्रीफिंग बैठक/बोली-पूर्व बैठक (ऑफ-लाइन मोड) आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए कोई अलग से संचार नहीं भेजा जाएगा। सभी इच्छुक निविदाकारों को निविदा दस्तावेज का अध्ययन करने और उपरोक्त बैठक में उपस्थित होने और साइट का दौरा करने की सलाह दी जाती है। स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले सभी पत्राचार और बिंदु/शर्त/विनिर्देश मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची को संबोधित लिखित रूप में दिए जाने चाहिए और 07 जुलाई 2025 से पहले जमा किए जाने चाहिए। निविदाकारों से अपेक्षा की

जाती है कि वे उपरोक्त बैठक के दौरान सभी मुद्दों को स्पष्ट कर लें और उन्हें अपनी निविदा (भाग- I और भाग- II) में बैंक की निविदा शर्तों/विनिर्देशों से विचलित होने से बचना चाहिए।

1.7 स्पष्टीकरण निविदा में शुद्धिपत्र के रूप में अपलोड किए जाएंगे। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) अवश्य देख लें।

1.8 भविष्य में निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि ऊपर दिया गया है।

2.0 निविदा प्रस्तुत करना

2.1 निविदा एमएसटीसी साइट पर दो भागों में अलग-अलग ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् भाग- I, और भाग- II, "भाग- I - तकनीकी और वाणिज्यिक" और "भाग- II - मूल्य बोली", क्रमशः। निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज के भाग- I के सभी पृष्ठों पर मुहर और तारीख के साथ हस्ताक्षर करेंगे, आवश्यक पृष्ठों में विवरण भरेंगे और फिर स्कैन करके ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

2.2 किसी भी परिस्थिति में **18 जुलाई 2025** को **14:00 बजे** के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

2.3 इच्छुक निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज के खंड II-पैरा 12.0 में उल्लिखित अनुसार बयाना राशि के रूप में **₹ 42,000/-** (बयालीस हजार रुपए मात्र) जमा करेंगे।

2.4 बैंक से प्रस्तुत निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर। सफल निविदाकर्ता करार की शर्तें लेखों (**अनुलग्नक-5**) और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक करार बाद में निष्पादित हो या न हो।

3.0 भाग- I - तकनीकी और वाणिज्यिक बोली

3.1 निविदा के भाग- I में बिना मूल्य वाली निविदा होगी जिसमें खंड II-पैरा 1.2 में उल्लिखित सभी दस्तावेज तथा चित्र और दस्तावेजों सहित पूर्ण तकनीकी विनिर्देश और वाणिज्यिक नियम व शर्तें जैसे उपकरण डेटा शीट, परीक्षण और निरीक्षण, सामग्री के मेक, तकनीकी विवरण, चित्र आदि शामिल होंगे।

3.2 प्रस्तुत निविदा के भाग- I में निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

- (i) निविदा दस्तावेज के खंड II-पैरा 12.0 में उल्लिखित भारत में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी एनईएफटी / डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) / बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में बयाना राशि जमा।
- (ii) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकरण।
- (iii) निविदाकर्ता को यह भी बताना होगा कि क्या उनके पास निर्धारित अवधि के भीतर सभी आवश्यक प्रणालियों का विनिर्माण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशन करने की क्षमता है।
- (iv) वाणिज्यिक/तकनीकी विनिर्देश में विचलन की सूची, यदि कोई हो।

(v) ठेकेदार को संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक-3) के अनुसार वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी कि वे दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) की समाप्ति की तारीख से न्यूनतम 04 वर्ष की अवधि के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का संतोषजनक रखरखाव करेंगे।

(vi) निविदाकर्ता कोच्ची या आस-पास के मेट्रो में अपनी सेवा सेटअप का विवरण दर्शाएंगे, जहां से प्रस्तावित ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली की सेवा की जाएगी। विवरण में तकनीकी कर्मियों की संख्या, संपर्क/सेवा अनुरोध दर्ज करने के लिए फोन/मोबाइल नंबर और पते तथा कार्यालय समय के बाद/पहले उपलब्ध आपातकालीन सेवा का विवरण शामिल होना चाहिए।

(vii) निविदाकर्ता को डिजाइन या प्रणाली के किसी भाग के संबंध में उनके द्वारा धारित या उनके द्वारा उपयोग किए गए किसी तीसरे पक्ष के पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकार, कॉपीराइट, औद्योगिक संपदा अधिकारों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(viii) कोई अन्य तकनीकी जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता हो।

(ix) प्रस्तावित कार्य से संबंधित कोई अन्य जानकारी।

(x) प्रणाली की स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यों/सुविधाओं आदि की सूची।

4.0 भाग-II – मूल्य बोली

4.1 निविदा के भाग-II में केवल भारतीय रूपए में मूल्य होंगे, जिसमें 'मात्राओं की अमूल्यित अनुसूची' में उल्लिखित प्रारूप के अनुसार मूल्य का विभाजन होगा। जिस निविदा में किसी अन्य मुद्रा में मूल्य उद्धृत किए गए हैं, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी समावेशी व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) के लिए उद्धृत दरें भी केवल भारतीय रूपए में होंगी।

4.2 मात्राओं की अनुसूची केवल एमएसटीसी वेबसाइट पर ही भरी जाएगी।

4.3 यह संविदा न तो एकमुश्त राशि का संविदा है और न ही एक टुकड़ा कार्य संविदा है, बल्कि यह संपूर्ण ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के प्रावधान के संबंध में कार्य करने के लिए एक संविदा है, जिसका भुगतान दरों की अनुसूची (भाग-II) में दी गई दरों/मात्राओं पर वास्तविक मापी गई मात्राओं के अनुसार किया जाना है। शब्दों और आंकड़ों में उल्लिखित दर/राशि में अंतर होने की स्थिति में, जो भी कम हो, वह दर/राशि मानी जाएगी। उद्धृत दरें तैयार कार्य के लिए मानी जाएंगी और प्रणाली बैंक को सौंपे जाने तक बिना किसी वृद्धि के दृढ़ और बाध्यकारी होंगी।

4.4 निविदा के भाग-II के खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.0 निविदा खोलना

5.1 निविदाओं की तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियां (भाग-I) **18 जुलाई 2025** को **15:00** बजे ऑनलाइन मोड के माध्यम से खोली जाएंगी।

5.2 निविदाओं को संसाधित करने और निविदाओं की मूल्य बोली खोलने से पहले बैंक अपलोड किए गए दस्तावेजों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी बोलीदाता को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और / या उसके ग्राहकों और / या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी निष्पादन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-I के खुलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसा करने के लिए बैंक कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। जो पात्रता मानदंड और तकनीकी मापदंडों को पूरा करते हैं, वे ही भाग-II (मूल्य बोली) खोलने के लिए योग्य होंगे।

5.3 उन निविदाकारों की मूल्य बोलियां (भाग-II), जो निविदाओं के भाग-I की जांच के बाद पात्र पाए जाएंगे, अगले कार्य दिवस पर खोली जाएंगी, जिसकी सूचना सभी पात्र निविदाकारों को पहले ही दी जाएगी।

5.4 बैंक सबसे कम कीमत वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

6.0 कार्य का दायरा

6.1 सफल निविदाकर्ता को बैंक के कार्यालय भवन, कोच्ची में सम्मेलन कक्ष (तीसरी मंजिल) में उपकरण (ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली) को डिजाइन, आपूर्ति, स्थापित, परीक्षण और कमीशनिंग करना होगा। साथ ही, नए उपकरण की स्थापना के दौरान बायबैंक सामग्री (पुरानी प्रणाली, सभी सहायक उपकरण और संबंधित निष्क्रिय केबलिंग) को साइट से हटा दिया जाएगा। बैंक उपकरण के संचालन के लिए साइट पर आने वाली बिजली आपूर्ति (एकल-चरण, 230V या 3-चरण, 415V) और संबंधित स्विच प्रदान करेगा। बैंक में पुराने प्रणाली ऑडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली का विवरण इस निविदा दस्तावेज़ के **अनुलग्नक-14** में पाया जा सकता है।

6.1 नई प्रणाली स्थान पर नए रूप से तैयार किए गए ऑडियो-वीडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (एवी-वीसी) सेटअप या ऑनलाइन मीटिंग आयोजित करने के लिए किसी तीसरे पक्ष के मीटिंग एप्लिकेशन के साथ सहज एकीकरण के लिए अनुकूल होगी। इन प्रणालियों का एकीकरण इस कार्य के दायरे में शामिल नहीं है। बैंक में नए रूप से तैयार किए गए एवी-वीसी प्रणाली का विवरण इस निविदा दस्तावेज़ के **अनुलग्नक-15** में पाया जा सकता है।

6.3 बैंक को वेब, फोन और ईमेल के माध्यम से 24x7 समस्या समाधान सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

6.4 कार्य सौंपे जाने के बाद, सफल बोलीदाता को बैंक के साथ समन्वय करके, स्थान पर व्यापक साइट सर्वेक्षण करना होगा तथा मूल्य रहित मात्रा बिल में सभी पंक्ति मदों की वास्तविक आवश्यकताओं का विश्लेषण करना होगा।

6.5 बोलीदाताओं को संबंधित ओईएम से प्रमाणन पत्र (उनके आधिकारिक लेटरहेड पर) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ओईएम निविदा में उद्धृत सभी उपकरणों के लिए उत्पादों और सहायक घटकों दोनों को प्रमाणित करेंगे। साथ ही, प्रस्तावित उपकरण को सेवा की पूरी अवधि (एक वर्ष की डीएलपी (दोष दायित्व अवधि) और उसके बाद सीएमसी अवधि) के दौरान लाइफ/सहायता के अंत के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, बोलीदाता घटक/उप-घटक को वैकल्पिक उत्पाद के साथ अपग्रेड करेगा, उसी के मेक और मॉडल के लिए बैंक से उचित अनुमोदन के साथ, बिना किसी अतिरिक्त लागत के, और बिना किसी निष्पादन में गिरावट और/या देरी के।

6.6 बोलीदाता को सेवा की पूरी अवधि (एक वर्ष की डीएलपी (दोष दायित्व अवधि) और उसके बाद की सीएमसी अवधि) के लिए सक्रिय घटकों के लिए उत्पाद समर्थन प्रदान करने के लिए ओईएम प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी होगी। यदि ओईएम समर्थन प्रदान करने में असमर्थ है, तो बोलीदाता घटक/उप-घटक को बैंक से उसके मेक और मॉडल के लिए उचित अनुमोदन के साथ वैकल्पिक रूप से अपग्रेड करेगा, बिना किसी अतिरिक्त लागत के, और बिना किसी निष्पादन में गिरावट और/या देरी के।

6.7 निविदाकर्ता को अपनी निविदा में तकनीकी विनिर्देशों में मांगी गई जानकारी के अतिरिक्त, प्रणाली/उप-प्रणालियों की कार्यप्रणाली का पूर्ण विवरण तथा उनकी विद्युत आवश्यकताओं के साथ-साथ सभी प्रासंगिक विवरणिकाओं/साहित्य आदि का उल्लेख करना चाहिए।

6.8 निविदाकर्ता विनिर्देशों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा और खुद को संतुष्ट करेगा कि पेश किए गए उपकरण संलग्न तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त हैं और पेश किए गए उपकरणों के कुशल संचालन की पूरी जिम्मेदारी लेगा। निविदाकर्ता नए ऑडियो-कॉम्फ्रेंसिंग प्रणाली की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए आवश्यक सभी उपकरण, संयंत्र, श्रम और उपभोग्य सामग्रियों आदि की आपूर्ति करेगा।

6.9 निविदाकर्ता को अपनी निविदा में मानक उपकरण, स्पेयर पार्ट्स आदि, यदि कोई हो, का स्पष्ट उल्लेख करना होगा, जिन्हें वह कार्य पूरा होने के बाद नई ऑडियो-कॉम्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित करने और बैंक को सौंपते समय निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।

6. 10 सभी वैधानिक अनुमोदन, यदि कोई हो, प्राप्त करने और कार्य से संबंधित सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। ठेकेदार को सरकार और/या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आवश्यक निरीक्षण शुल्क, यदि कोई हो, प्राप्त करना होगा और उसका भुगतान करना होगा तथा आवश्यकतानुसार आवश्यक परमिट प्राप्त करना होगा और नियोक्ता को किसी अतिरिक्त लागत के बिना प्राधिकरणों के विनियमन द्वारा आवश्यक परीक्षण भी करने होंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल रसीद प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा निरीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.0 चित्र और दस्तावेज़

7.1 सफल निविदाकर्ता को बैंक द्वारा निविदा स्वीकार किए जाने पर, दो प्रतियों में विस्तृत कार्य चित्र और विनिर्देश प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें सभी आवश्यक कार्यों का पूरा विवरण दर्शाया गया हो। उसके द्वारा प्रस्तुत चित्र या विवरण में किसी भी विसंगति, त्रुटि और चूक के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा, भले ही इन्हें बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया हो। आरेखों की बैंक द्वारा जांच की जाएगी।

8.0 पैकिंग और डिस्पैच

8.1 उपकरण को निर्यात (जहां भी लागू हो) के लिए उपयुक्त बक्सों में उचित और सुरक्षित तरीके से पैक किया जाना चाहिए और भारतीय परिस्थितियों में समुद्र / वायु / रेल / सड़क द्वारा कई हैंडलिंग और परिवहन किया जाना चाहिए। सभी उपकरण / घटक ड्यूटी डिलीवरी पेड (डीडीपी) के आधार पर बैंक के कार्यालय भवन, कोच्ची में वितरित किए जाएंगे।

9.0 कर और शुल्क

9.1 उपकरणों की आपूर्ति के लिए उद्धृत कीमतों में सभी कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, चुंगी, स्थानीय शुल्क, केंद्र / राज्य सरकार / स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए अन्य कर / शुल्क, श्रम, परिवहन, पारगमन के लिए बीमा शुल्क, शिपमेंट, पैकिंग, कारखाने से गंतव्य स्थल तक माल दुलाई, हैंडलिंग, समाशोधन, स्थापना और कमीशनिंग शुल्क, भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग पॉलिसी, कामगार मुआवजा और तीसरे पक्ष की देयता आदि के लिए बीमा शुल्क शामिल माना जाएगा, जब तक कि प्रणाली को अंततः बैंक को सौंप नहीं दिया जाता। यदि निविदाकर्ता निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा उसके बाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, आयकर और अन्य वैधानिक शुल्क स्रोत पर काटे जाएंगे और इसके लिए ठेकेदार को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

10.0 निविदा की वैधता

10.1 निविदा, मूल्य सहित, निविदा के भाग-। के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी, जिसे निविदाकर्ता द्वारा लिखित रूप में आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है तथा निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।

11.0 भाषा

11.1 निविदा में चित्र, दस्तावेज, सूचीपत्र आदि के सभी लेबल अंग्रेजी में होंगे।

12.0 बयाना राशि जमा और सुरक्षा जमा

12.1 निविदा के साथ ₹ 42,000/- (बयालीस हजार रुपए मात्र) की बयाना राशि जमा करनी होगी, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष में कोच्ची में देय होगी। एनईएफटी/आरटीजीएस लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार है।

- लाभार्थी का नाम: **KOCHIESTATE** <space> आपकी फर्म का नाम
- लाभार्थी खाता संख्या: **186003001**
- लाभार्थी आईएफएससी: **RBI50KCPA01** ('0' दोनों स्थानों पर शून्य है)
- टिप्पणी: **ऑडियो-कॉन्फ़्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।**

निविदा के साथ ही लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ धन प्रेषण का प्रमाण अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ धन प्रेषण का प्रमाण estatekochi@rbi.org.in पर भेजें।

12.2 ईएमडी बैंक गारंटी के रूप में भी जमा की जाएगी, जिसका प्रारूप **अनुलग्नक-4** में दिया गया है। ईएमडी की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ अपलोड की जाएगी।

12.3 ऐसी ईएमडी के बिना निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

12.4 जो बोलीदाता पूर्व-योग्यता मानदंड की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, उनकी बोली को अस्वीकार करने पर उन्हें बिना ब्याज के ईएमडी वापस कर दी जाएगी। भाग-II में असफल बोलीदाताओं की ईएमडी उन्हें कार्य दिए जाने के बाद बिना किसी ब्याज के जारी कर दी जाएगी।

12.5 सफल निविदाकर्ता की बयाना राशि को ही बैंक द्वारा संविदा के निष्पादन और उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा के रूप में रखा जाएगा। यदि निविदाकर्ता, निविदा प्रस्तुत करने के बाद, अपने प्रस्ताव से विचलित होता है या उसके नियमों और शर्तों को संशोधित करता है, तो बैंक गारंटी लागू की जा सकती है।

12.6 ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बयाना राशि जमा को सावधि जमा रसीद या बीमा गारंटी या चेक या नकद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12.7 सफल बोलीदाता की उपरोक्त बैंक गारंटी (ईएमडी) बैंक द्वारा निविदा स्वीकार करने तथा सुरक्षा जमा के रूप में नई बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर समाप्त हो जाएगी, जिसका प्रारूप **अनुलग्नक-6** में दिया गया है।

12.8 यदि बैंक द्वारा निविदा आमंत्रण वापस ले लिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है, तो बैंक गारंटी रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि बैंक को ऐसा करने का अधिकार किसी भी समय होगा।

12.9 यदि सफल निविदाकर्ता सुरक्षा जमा राशि जमा करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा उसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी अन्य नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होने के पूर्वाग्रह के बिना ईएमडी के लिए एनईएफटी / डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) / बैंक गारंटी (बीजी) लागू की जाएगी। यदि आवश्यक हो, तो सफल निविदाकर्ता द्वारा सुरक्षा जमा राशि के लिए बैंक गारंटी जमा करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित तारीख तक ईएमडी के लिए बैंक गारंटी को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

12.10 दोष दायित्व अवधि और सीएएमसी अवधि के दौरान सुरक्षा जमा / बैंक गारंटी (बीजी):

कार्य पूरा होने के बाद, निविदाकर्ता को डीएलपी और सीएएमसी की शर्तों और दायित्वों की उचित पूर्ति के लिए, संविदा - 6 के अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक नया बीजी प्रस्तुत करना होगा, जो कार्य की पूंजी लागत के 10% के बराबर राशि के लिए होगा, जिसकी वैधता प्रणाली के संतोषजनक हस्तांतरण की तारीख से 05 वर्ष होगी । पिछले बीजी की समाप्ति से 2 सप्ताह पहले बीजी का नवीनीकरण किया जाएगा, जिसके न होने पर बैंक द्वारा इसके परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी अन्य नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होने पर बिना किसी पूर्वाग्रह के उपरोक्त बैंक गारंटी लागू की जाएगी।

पांच (05) वर्ष (एक वर्ष की डीएलपी और 04 वर्ष की सीएएमसी) की प्रतिबद्ध अवधि के दौरान किसी भी समय निविदा में निर्धारित डीएलपी और सीएएमसी की शर्तों के असंतोषजनक निष्पादन के मामले में बैंक गारंटी लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12.11 इस संविदा की शर्तों के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशियां बयाना जमा और सुरक्षा जमा से काटी जा सकती हैं, यदि राशि ऐसा करने की अनुमति देती है, और ठेकेदार को, जब तक कि ऐसी जमा राशि अन्यथा देय न हो जाए, ऐसी कटौती के बाद दस दिनों के भीतर इस प्रकार से काटी गई राशि को नकद में चुकाना होगा।

13.0 न्यूनतम निविदा आवश्यक रूप से स्वीकार नहीं की जाएगी

13.1 बैंक न्यूनतम/किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकृति के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

13.2 जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह निविदा प्रस्तुत करने के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी भी लागत, प्रभार, क्षति और व्यय का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा को संशोधित / वापस लेने का विकल्प चुन सकता है।

14.0 आंशिक निविदा स्वीकार करने का अधिकार

14.1 बैंक निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत मूल्य पर निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

15.0 निविदा का मूल्यांकन

15.1 निविदाओं का मूल्यांकन स्वामित्व की कुल लागत (टीसीओ) के आधार पर किया जाएगा, अर्थात्, उद्धृत पूंजीगत लागत का उपयोग करके और एक वर्ष की डीएलपी (दोष दायित्व अवधि) की समाप्ति के बाद 04 वर्ष की अवधि के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए उद्धृत दरों के प्रभाव को भी ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा, टीसीओ का पता नेट प्रेजेंट वैल्यू (एनपीवी) विधि का उपयोग करके लगाया जाएगा और उद्धृत सीएएमसी दरों को स्वचालित रूप से 04 वर्षों के लिए एनपीवी कारक (एमएफ = 3.35361) से गुणा किया जाएगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सीएएमसी राशि के एनपीवी पर पहुंचने के लिए, निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा;

(ए)	बट्टा कारक	8% प्रति वर्ष
(बी)	सीएएमसी की अवधि	04 वर्ष

(सी)	सीएएमसी की भुगतान शर्तें	त्रैमासिक सेवा के संतोषजनक समापन के बाद अर्ध-वार्षिक भुगतान
------	--------------------------	---

स्वामित्व की कुल लागत (टीसीओ) = [(ए - बी) + (एफ * सी)]

जहाँ, ए= नए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली की पूंजीगत लागत

बी= ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का बायबैक मूल्य

सी= ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का सीएएमसी मान

एफ= 3.35361 (सीएएमसी के 04 वर्षों के लिए गुणन कारक)

16.0 संविदा करार पर हस्ताक्षर

16.1 निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश और विशेष शर्तें, पूर्व में संदर्भित शर्तें, संविदा की शर्तें और तकनीकी विनिर्देश, निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न कार्यों की अनुसूची और बैंक और निविदाकर्ता के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार, सफल निविदाकर्ता के साथ किए जाने वाले क्रय आदेश / अंतिम संविदा का आधार होंगे।

16.2 निविदाकर्ता को संविदा की सामान्य शर्तें में दिए गए नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना होगा और उसका प्रस्ताव पूरी तरह से उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप होगा। निर्दिष्ट नियमों और शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए ताकि वे संविदा की सामान्य शर्तें, तकनीकी विनिर्देशों आदि से परिचित हो सकें।

16.3 किसी फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या ऐसे भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिसके पास प्रस्तावित संविदा में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक प्राधिकार हो। अन्यथा निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

16.4 प्रस्तुत निविदा की स्वीकृति के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता संविदा को कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर, सफल निविदाकर्ता करार के मसौदा लेखों (अनुलग्नक-5) के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा। यह करार लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार आवश्यक मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प कागज पर होना चाहिए और इसकी लागत पूरी तरह से निविदाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी। करार पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी निविदा की लिखित स्वीकृति, अपने आप में, भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदाकर्ता के बीच एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी, चाहे ऐसा समझौता बाद में निष्पादित हो या न हो।

16.5 ठेकेदार संविदा को किसी और को नहीं सौंपेगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना संविदा के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता संविदा को रद्द करने के लिए ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है, जिसके बाद सुरक्षा जमा नियोक्ता द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, ठेकेदार के खिलाफ उसके अन्य उपायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17.0 आयात और निर्यात लाइसेंस

17.1 यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस निविदाकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाएगा। आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज/शुल्क/भुगतान निविदाकर्ता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

17.2 निविदाकर्ता को भारत में मशीनों के आयात के लिए सक्षम अधिकारियों से आवश्यक निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना होगा और उसे बनाए रखना होगा तथा उससे जुड़ी सभी लागतों और फीस का भुगतान करना होगा। निर्यात लाइसेंस प्राप्त

करने और बनाए रखने में विफलता को अप्रत्याशित घटना नहीं माना जाएगा। यदि निविदाकर्ता लाइसेंस प्राप्त करने या बनाए रखने में विफल रहता है, या यदि लाइसेंस वापस ले लिए जाते हैं, तो निविदाकर्ता ऐसे रद्दीकरण/वापसी की तारीख से दो महीने के भीतर उन्हें बहाल करेगा। यदि निविदाकर्ता निर्यात लाइसेंस को बहाल करने में विफल रहता है, तो बैंक को संविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार होगा और निविदाकर्ता को बैंक द्वारा रद्द की गई आपूर्ति और सेवाओं के संबंध में निविदाकर्ता को भुगतान की गई सभी राशियाँ तुरंत बैंक को वापस करनी होंगी, साथ ही बैंक को हुए सभी नुकसान भी। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

18.0 निर्माता के कार्यस्थल/कार्यस्थल पर सामग्री/कार्य का निरीक्षण

18.1 उपकरण को साइट पर भेजने से पहले, उपकरण का निरीक्षण निर्माता के कार्यस्थल पर बैंक के इंजीनियर द्वारा किया जा सकता है और फिर शिपमेंट के लिए मंजूरी दी जा सकती है। ठेकेदार अपने खर्च पर निरीक्षक को सभी उचित सुविधाएँ प्रदान करेगा जो उसे संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं, कि उपकरण इस निविदा दस्तावेज़ में संलग्न प्रासंगिक विनिर्देशों में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार निर्मित किया जा रहा है या किया गया है।

18.2 इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त उद्देश्य के लिए कार्य के निष्पादन के मामले में, बैंक के इंजीनियर को संविदा के निष्पादन के दौरान किसी भी समय ठेकेदार के कार्यों या साइट पर स्वतंत्र और पूर्ण पहुंच होगी, और वह ठेकेदार से अपने परिसर में या बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर कार्य या उसके किसी भाग या किसी सामग्री के निरीक्षण की व्यवस्था करने की माँग कर सकता है और यदि ठेकेदार को उप-ठेकेदार की सेवाएँ नियोजित करने की अनुमति दी गई है, तो बैंक के इंजीनियर के लिए भी इसी प्रकार का अधिकार सुरक्षित है।

18.3 तथापि, उपर्युक्त किसी भी तरह से ठेकेदार को निर्दिष्ट स्थान पर स्थापना और कमीशनिंग के बाद प्रणाली/घटकों के उचित निष्पादन के बारे में उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा।

18.4 निरीक्षण की लागत: ठेकेदार को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सभी सामग्रियाँ, उपकरण, श्रम और हर तरह की सहायता उपलब्ध करानी होगी, जिसकी माँग बैंक के इंजीनियर किसी भी परीक्षण/निरीक्षण और जाँच के लिए कर सकते हैं, जिसकी उसे ठेकेदार के परिसर में आवश्यकता होगी और उस पर होने वाले सभी खर्चों का वहन करना होगा। हालाँकि, निरीक्षण स्थल तक बैंक के इंजीनियर (इंजीनियरों) की यात्रा, भोजन और ठहरने का खर्च बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

18.5 परीक्षण की विधि: बैंक के इंजीनियर को यह अधिकार होगा कि वह सभी उपकरणों और सामग्रियों को, जो बैंक का हिस्सा हों या उसके किसी भाग को, ऐसे परीक्षणों से गुज़ार सकता है, जैसा वह उचित समझे। ठेकेदार को निरीक्षक द्वारा अपनाई गई परीक्षण विधि पर किसी भी आधार पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

18.6 कार्य निष्पादन को प्रमाणित करने के लिए निरीक्षक प्राधिकारी: बैंक के इंजीनियर के पास यह शक्ति होगी-
क) किसी उपकरण या उसके किसी भाग को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने से पहले यह प्रमाणित करना कि वे या उनका कोई भाग निर्माण की किसी असंतोषजनक विधि को अपनाने के कारण संविदा के अनुरूप नहीं है;
ख) प्रस्तुत किसी भी उपकरण या भाग को विनिर्देश के अनुरूप न होने के कारण अस्वीकार करना;
(ग) निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सम्पूर्ण उपकरण को अस्वीकार कर देना, यदि उसके किसी भाग के निरीक्षण के पश्चात, जैसा कि वह अपने विवेकानुसार उचित समझे, वह संतुष्ट हो जाए कि वह असंतोषजनक है; तथा
घ) अस्वीकृत उपकरण या भागों पर अस्वीकृति चिह्न लगाना, ताकि पुनः प्रस्तुत करने पर उन्हें आसानी से पहचाना जा सके।

18.7 अस्वीकृति का परिणाम: यदि उपकरण या उपकरण या उसका कोई भाग बैंक के इंजीनियर द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो ठेकेदार संतोषजनक आपूर्ति करने में या डिलीवरी/समापन अवधि की निर्धारित अवधि के भीतर निष्पादित दोषपूर्ण कार्य को सुधारने में विफल रहता है, तो बैंक को निम्नलिखित की आज़ादी होगी:

- i) ठेकेदार को अस्वीकृत उपकरणों या भागों के स्थान पर निर्दिष्ट समय के भीतर पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति देना, तथा ऐसे प्रतिस्थापन पर यदि कोई माल दुलाई का खर्च हो तो ठेकेदार को वहन करना होगा, तथा उस पर कोई अतिरिक्त भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा; या
- ii) अस्वीकृत उपकरण या भागों या समान विवरण के अन्य भागों (जब विनिर्देशों के अनुरूप उपकरण या भाग, बैंक की राय में, जो अंतिम होगा, आसानी से उपलब्ध नहीं हैं) की मात्रा/कार्य की खरीद/निष्पादन या खरीद/निष्पादन को अधिकृत करना, ठेकेदार को उसके जोखिम और लागत पर और संविदा के तहत आपूर्ति के संबंध में ठेकेदार की देयता को प्रभावित किए बिना; या
- iii) संविदा को रद्द करना और उपकरण या समान विवरण के अन्य उपकरणों की मात्रा/कार्य की खरीद/निष्पादन या खरीद/निष्पादन को अधिकृत करना (जब उपकरण या भाग विनिर्देशों के बिलकुल अनुरूप न हों, बैंक की राय में, जो अंतिम होगा, आसानी से उपलब्ध होगा) ठेकेदार के जोखिम और लागत पर। उपरोक्त खंड (ii) या इस खंड के तहत कार्रवाई किए जाने की स्थिति में, डिलीवरी खंड का प्रावधान लागू होता है।

18.8 अस्वीकृति के संबंध में बैंक इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा : अस्वीकृति के संबंध में बैंक इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार की अपील के अधीन ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

19.0 समापन अवधि

19.1 कार्य पूरा करने के लिए 80 दिन का समय दिया गया है बैंक के कार्य आदेश जारी होने की दसवीं तारीख से , जैसा कि ज्ञापन में उल्लेख किया गया है, ठेकेदार द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा। संविदा की निर्धारित अवधि के दौरान काम को सभी उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर काम पूरा करने में विफल रहता है, तो वह संविदा के खंड V- "इसमें पहले संदर्भित परिशिष्ट" में वर्णित " चलनिधि क्षति" में परिभाषित चलनिधि क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकर्ता, काम शुरू करने से पहले, एक विस्तृत कार्य कार्यक्रम तैयार करेगा जिसे नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

19.2 ठेकेदार को आशय पत्र के दसवें दिन से अनुबंधित समापन अवधि के भीतर कार्य पूरा करने के लिए एक बार चार्ट प्रस्तुत करना होगा। इस चार्ट में साइट पर सामग्री की आपूर्ति की तारीख, कार्य की मदवार पूर्णता आदि जैसी सभी गतिविधियाँ शामिल होंगी और बैंक की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

19.3 बैंक भवन के परिसर में लॉक करने योग्य भंडारण स्थान उपलब्ध कराएगा। हालाँकि, संग्रहीत सामग्री की जिम्मेदारी और सुरक्षा ठेकेदार की होगी। बैंक द्वारा किसी भी कर्मचारी के लिए कोई आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

20.0 बीमा

ठेकेदार को निर्माता से सामग्री की पहली खेप भेजे जाने की तारीख से लेकर कार्य पूरा होने या ऑडियो-कॉफ्रेंसिंग प्रणाली बैंक को सौंपे जाने तक बैंक और ठेकेदार (बैंक का नाम पहला होगा) के संयुक्त नाम से बीमा पॉलिसियाँ लेनी होंगी। उद्धृत दरों में इन बीमा पॉलिसियों की लागत शामिल होगी। पॉलिसियाँ निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेंगी:

ठेकेदारों को सम्पूर्ण संविदा मूल्य के लिए अग्नि, भूकंप, भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग पॉलिसी सहित सभी जोखिम बीमा मिलता है।

कार्यस्थल पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए श्रमिक मुआवजा नीति।

कुल ₹ 10 लाख की तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी, जिसमें प्रति दुर्घटना ₹ 2 लाख की सीमा है।

नोट: ये पॉलिसियाँ कार्य पूरा होने तक वैध रहेंगी। यदि ठेकेदार द्वारा ये पॉलिसियाँ उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो बैंक को उपरोक्त बीमा पॉलिसियाँ स्वयं लेने तथा ठेकेदार के बिल से उनकी लागत वसूलने का अधिकार है।

21.0 वारंटी और सर्व-समावेशी रखरखाव संविदा (सीएएमसी)

21.1 आपूर्ति किए गए उपकरण को वास्तविक पूर्णता की तारीख से एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के लिए सभी प्रकार के दोषों के विरुद्ध गारंटी दी जाएगी। गारंटी अवधि के दौरान पाए गए प्रणाली / सब-असेंबली में किसी भी दोष को बैंक को किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना निविदाकर्ता द्वारा सुधारा / प्रतिस्थापित किया जाएगा। दर में तिमाही अंतराल या उससे पहले सर्विसिंग और निर्माता द्वारा निर्धारित किसी भी संख्या में ब्रेकडाउन कॉल को शामिल करना चाहिए और इस अवधि के दौरान आपसी सहमति से काम करना चाहिए।

21.2 सर्वसमावेशी / व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी)

एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि की समाप्ति के बाद प्रदान की जाने वाली व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा (सीएएमसी) के लिए शुल्क, निविदाकर्ता द्वारा अपनी बोली में अलग से उद्धृत किया जाएगा। सीएएमसी अवधि के दौरान, निर्माता द्वारा निर्धारित और आपसी सहमति के अनुसार तिमाही अंतराल पर या उससे पहले सर्विसिंग की जाएगी और इसे किसी भी संख्या में ब्रेकडाउन कॉल के अलावा किया जाएगा। ये दरें एक वर्ष की डीएलपी की समाप्ति की तारीख से लागू होंगी। संतोषजनक सेवा प्रदान करने और प्रासंगिक सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सीएएमसी शुल्क का भुगतान अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

निविदाकर्ता को एक वर्ष की डीएलपी की समाप्ति के बाद सेवा संविदा अवधि के दौरान लागू ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली (हार्डवेयर / फर्मवेयर) के किसी भी हिस्से के प्रतिस्थापन के लिए शुल्क सहित सभी समावेशी / व्यापक रखरखाव संविदा के लिए अपनी दरें रूपये में उद्धृत करनी होंगी। ये दरें सीएएमसी के पहले वर्ष के लिए स्थिर रहेंगी और इन शुल्कों को अनुभाग II- पैरा 15.0 "निविदाओं का मूल्यांकन" में निर्धारित अनुसार निविदा का मूल्यांकन करते समय भी विचार किया जाएगा। एक वर्ष की डीएलपी के बाद सेवा संविदा को कम से कम 04 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। सीएएमसी के लिए आगे की नवीनीकरण राशि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार काम की जाएगी:

$$\text{एसी} = \text{एपी} / 100 [50 \times (\text{एमपीसी} / \text{एमपीपी}) + 50 \times (\text{डब्ल्यूआईसी} / \text{डब्ल्यूआईपी})]$$

ए सी = चालू वर्ष के लिए संविदा राशि.

ए पी = पिछले वर्ष की संविदा राशि.

एमपी सी = चालू वर्ष के लिए संविदा प्रारंभ होने की तारीख से 6 महीने पहले धातु उत्पादों के लिए थोक कीमत सूचकांक।

एमपी पी = पिछले वर्ष के संविदा की प्रारंभ तारीख से 6 महीने पहले धातु उत्पादों के लिए थोक कीमत सूचकांक।

डब्ल्यू आई सी = औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कोच्ची) चालू वर्ष के लिए संविदा प्रारंभ होने की तारीख से 6 महीने पहले।

डब्ल्यू आई पी = औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कोच्ची) पिछले वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तारीख से 6 महीने पहले।

05 वर्ष की सेवा (अर्थात, एक वर्ष की डीएलपी और 04 वर्ष की सीएएमसी) पूरी होने के बाद, एमसी सेवा संविदा को उपरोक्त फार्मूले के अनुसार और आपसी सहमति से सीएएमसी कीमतों में वृद्धि के साथ बढ़ाया जा सकता है।

21.3 गारंटी और सर्वसमावेशी रखरखाव संविदा (सीएएमसी) अवधि के दौरान कार्यों का विस्तृत दायरा निविदा दस्तावेज के भाग-1 के खंड VII में उल्लिखित है।

22.0 भुगतान की शर्तें

इस संविदा के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा तथा भुगतान के तरीके में कोई परिवर्तन भारतीय रिज़र्व बैंक को स्वीकार्य नहीं होगा।

प्रथम चरण भुगतान:

उद्धृत दर का 90% निम्नलिखित के विरुद्ध आनुपातिक आधार पर:

i) बिना शर्त आदेश स्वीकृति प्रस्तुत करना।

धारा-II-पैरा 20.0 में उल्लिखित बीमा पॉलिसियाँ ।

iii) नव डिजाइन किए गए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली की डिलीवरी, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और साइट पर सौंपना।

अंतिम चरण भुगतान

(i) इस निविदा के पैरा 12.10 के अनुसार डीएलपी और सीएएमसी के लिए बैंक गारंटी (अनुलग्नक-6) प्राप्त होने के बाद 10% जारी किया जाएगा।

द्वितीय चरण

23. ठेकेदार को संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक-3) के अनुसार एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी कि वे इस संविदा में उनके द्वारा उद्धृत दर पर दोष दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से न्यूनतम 04 वर्ष की अवधि के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली को संतोषजनक ढंग से बनाए रखेंगे, जो कि सेवा संविदा के दायरे में दर्शाए गए नियमों, शर्तों, दायरे के अधीन है।

24. प्रत्येक कार्य के संबंध में संभावित मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देश इन विशेष शर्तों के साथ दिए गए हैं। संभावित मात्राओं की अनुसूची नियोक्ता के विवेक पर छूट, कटौती या परिवर्धन द्वारा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक निविदा में न केवल दरें होनी चाहिए बल्कि कार्य के प्रत्येक आइटम का मूल्य भी एक अलग कॉलम में दर्ज किया जाना चाहिए और संपूर्ण निविदा का कुल मूल्य दिखाने के लिए सभी मदों का योग होना चाहिए।

25. ठेकेदार को काम शुरू करने या उसे निष्पादित करने में देरी के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, चाहे देरी का कारण कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए काम में संशोधन या उससे जुड़े किसी उप-संविदा या परियोजना के अन्य ट्रेडों के लिए संविदा देने या ऐसे कामों को शुरू करने या पूरा करने में होने वाली देरी शामिल है। नियोक्ता निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए देयता स्वीकार नहीं करता है, बशर्ते कि इसमें दिए गए बदलावों के अधीन हो।

26. सफल निविदाकर्ता कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करने के लिए बाध्य है, भले ही ऐसी वस्तुएं मात्र और दरों में शामिल न हों। ऐसी अतिरिक्त वस्तुओं और उनकी मात्राओं के संबंध में अनुदेश की अनुसूची बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी की जाएगी।

27. कार्य को व्यस्त कार्यालय में करना होगा, इसलिए इसे प्रतिबंधित घंटों/कार्यालय समय से परे/शनिवार/रविवार/बैंक छुट्टी के दिनों में भी करना पड़ सकता है।

28. निविदाकर्ता बैंक को बिना किसी शुल्क के प्रणाली सौंपने से पहले बैंक के इंजीनियर/ तकनीशियन को प्रणाली पर प्रशिक्षण देगा।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है।

साक्षी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

पता

पता

तारीख

तारीख

खंड III - सुरक्षा कोड

सामान्य सुरक्षा

1. प्राथमिक उपचार उपकरण, जिनमें रोगाणुरहित ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति शामिल है, आसानी से सुलभ स्थान पर रखे जाएंगे।
2. यदि चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा।
3. उन सभी कार्यों के लिए कामगारों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते।
4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न सीढ़ियों के बीच की दूरी 30 सेमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर को लगाया जाएगा।
5. खोदी गई सामग्री को खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की गहराई के आधे हिस्से के भीतर नहीं रखा जाना चाहिए, जो भी अधिक हो। सभी खाइयों और खुदाई स्थलों को कम से कम एक मीटर की ऊँचाई पर आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
6. किसी भवन के फर्श या कार्य मंच के प्रत्येक खुले स्थान पर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से बचाव के लिए उपयुक्त बाड़ या रेलिंग लगाई जाएगी, जिसकी न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होगी।
7. संरचना का कोई भी फर्श, छत या अन्य भाग मलबे या सामग्री से इतना अधिक भरा नहीं होना चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट, मोर्टर या कंक्रीट और चूना मोर्टर जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
9. वेल्डिंग कार्य में लगे व्यक्तियों को वेल्डर की सुरक्षा हेतु नेत्र-शील्ड और दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे।
10. सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाएगा।
11. जब पेंट को स्प्रे के रूप में लगाया जाता है या लेड पेंट वाली सतह को सूखाकर रगड़ा और खुरच कर हटाया जाता है, तो श्रमिकों के उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क की व्यवस्था की जानी चाहिए।
12. कार्य में प्रयुक्त उत्थापक मशीनें और उपकरण, उनके संलग्न, लंगर और सहारे सहित, उत्तम स्थिति में होंगे।
13. सामग्री को ऊपर उठाने या नीचे उतारने या निलंबन के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त मजबूती वाली तथा दोष रहित होनी चाहिए।
14. ठेकेदार को वैधानिक मानदंडों के अनुसार कार्य करने के लिए श्रमिकों को सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने होंगे।

अग्नि सुरक्षा

1. कार्यस्थल पर उपयोग की जाने वाली कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत चालित उपकरण सही रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किए जाएंगे।
2. केवल आईएसआई चिह्नित 3 पिन प्लग और अन्य उपकरणों और उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

ऑडियो-कॉफ्रेंसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग सम्मेलन कक्ष, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।

3. प्रयुक्त विद्युत पावर केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए तथा उनका उचित मूल्यांकन होना चाहिए।
4. सभी विद्युत उपकरण जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को संचालन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से भू- संपर्कन किया जाएगा।
5. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग कार्य शुरू करने से पहले अग्निशमन अनुभाग को सूचित किया जाएगा और अग्निशमन अधिकारी/कार्मिक द्वारा साइट निरीक्षण के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा।
6. कार्यस्थल पर आसानी से पहुंच योग्य स्थान पर दो बाल्टी पानी और रेत रखी जाएगी।
7. अग्निशमन अधिकारियों द्वारा अनुशंसित एवं जारी अग्निशमक यंत्र कार्यस्थल पर रखे जाएंगे।
8. प्रयुक्त पेंट ड्रमों को उचित ढंग से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहित किया जाएगा।
9. कार्य की आवश्यकता के आधार पर ठेकेदार द्वारा कामगारों को व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाव के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे कि सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने, वेल्डर का मास्क, कान प्लग आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।
10. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान किया जाएगा और कामगारों द्वारा जमीन स्तर से 10 फीट से अधिक ऊंचाई पर काम करते समय इसका उपयोग किया जाएगा।
11. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को ढेर करने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
12. सीढ़ियों के दोनों दरवाजे सामान्यतः बंद रखे जाएंगे।
13. किसी भी अग्निशमक यंत्र को उसके निर्धारित स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
14. जब उपकरण उपयोग में न हो तो मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
15. कार्य से उत्पन्न लकड़ी के बुरादे और चूरा को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
16. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
17. कार्यालय समय के बाद काम करते समय ठेकेदार द्वारा कामगारों को बैटरी चालित आपातकालीन लाइट/टॉच उपलब्ध कराई जाएगी।

स्थान:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

खंड IV – इसके बाद संदर्भित शर्तें

व्याख्या खंड

1.0 इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और संविदा करार को परिभाषित करते समय, निम्नलिखित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें इसमें दिए गए हैं, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।

(ए)	"नियोक्ता"	इसका आशय भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा तथा इसमें उसके नियुक्तकर्ता और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
(बी)	"ठेकेदार" (साझेदारी के मामले में)	"ठेकेदार" मतलब _____ और _____ व्यापार में नाम और शैली का _____ और व्यवसाय का स्थान होना पर _____ और इसमें उक्त फर्म के वर्तमान साझेदार और मृतक के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे साथी।
	(व्यक्तिगत मामले में)	"ठेकेदार" को अर्थ श्री. _____ के नाम पर व्यापार और शैली का _____ और इसमें उसके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
	(कंपनी के मामले में)	"ठेकेदार" को अर्थ _____ एक निगमित कंपनी अंतर्गत _____ और इसका होना पंजीकृत कार्यालय पर _____ और इसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइन भी शामिल होंगे।
(सी)	"साइट"	इसका तात्पर्य संविदा कार्य के स्थल से होगा, जिसमें कोई भवन और उस पर निर्मित निर्माण तथा नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के उपयोग के लिए पूर्वोक्त रूप से आबंटित कोई अन्य भूमि (सम्मिलित रूप से) शामिल है।
(डी)	"ये संविदा "	इसका तात्पर्य संविदा के अनुच्छेद, विशेष शर्तें, शर्तें, इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट, मात्राओं और विनिर्देशों की अनुसूची आदि से होगा जो इसके साथ संलग्न हैं और विधिवत् हस्ताक्षरित हैं।
(ई)	"लिखित में सूचना"	या लिखित नोटिस का अर्थ लिखित, टाइप या मुद्रित अक्षरों में भेजा गया नोटिस होगा (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित न किया गया हो या अन्यथा प्राप्त होने का प्रमाण न दिया गया हो) पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते पर भेजा गया हो, जब वह सामान्य रूप से प्राप्त हुआ हो। डाक द्वारा इसे वितरित कर दिया गया होगा।
(एफ)	"दिवालियापन अधिनियम"	इसका अभिप्राय प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम या प्रांतीय दिवाला अधिनियम या ऐसे मूल को संशोधित करने वाले किसी अधिनियम द्वारा परिभाषित किसी भी दिवाला अधिनियम से होगा।
(जी)	"नेट कीमत"	यदि संविदा राशि निर्धारित करते समय, ठेकेदार ने निविदा में मदों के योग में से प्रतिशत के रूप में या अन्यथा कोई राशि जोड़ी या घटाई है, तो निविदा में किसी भी मद का शुद्ध मूल्य, उस मद के मूल्य के रूप में निविदा में प्रदर्शित वास्तविक आंकड़े में जोड़ने या घटाने से प्राप्त राशि होगी। ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी या घटाई गई राशि का समान प्रतिशत या अनुपात, किसी भी प्राइम कॉस्ट मदों की कुल राशि और धनराशि की अनंतिम राशि निविदा की कुल राशि से काटी जाएगी। अभिव्यक्ति "शुद्ध दरें" या "शुद्ध दरें" कीमतें जब संविदा या खातों के संदर्भ में उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ इस प्रकार प्राप्त दरों या कीमतों से लिया जाएगा पर।
(एच)	"काम"	इसका तात्पर्य यहां दिए गए अनुसार "भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉफ्रेंसिंग प्रणाली का डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना,

		परीक्षण और कमीशनिंग" से होगा।
--	--	-------------------------------

शब्द आयातक व्यक्तियों में फर्म और निगम शामिल हैं। शब्द आयातक केवल एकवचन को भी शामिल करता है और जहां संदर्भ की आवश्यकता होती है, वहां बहुवचन को भी शामिल करता है और इसके विपरीत भी।

संविदा का दायरा

2.0 ठेकेदार इस संविदा के अनुसार तथा नियोक्ता के निर्देशों और उसकी संतुष्टि के अनुसार हर तरह से उक्त कार्य को पूरा करेगा। नियोक्ता अपने पूर्ण विवेक से तथा समय-समय पर आगे के चित्र और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "नियोक्ता के निर्देश" के रूप में संदर्भित किया जाता है:

- (क) कार्यों के डिजाइन, गुणवत्ता या मात्रा में परिवर्तन या संशोधन या किसी कार्य को जोड़ना, छोड़ना या प्रतिस्थापित करना।
- (ख) चित्रों में या मात्राओं की अनुसूची और/या चित्रों और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।
- (ग) ठेकेदार द्वारा वहां लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री को रखना।
- (घ) ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और / या पुनः निष्पादित करना।
- (ई) वहां नियोजित किसी भी व्यक्ति की कार्य से बर्खास्तगी।
- (च) किसी ढके हुए कार्य को निरीक्षण के लिए खोलना।

धारा IV - खंड 29.0 के अंतर्गत किसी भी दोष को संशोधित करना और ठीक करना।

ठेकेदार को नियोक्ता के निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तत्काल अनुपालन करना होगा तथा उसे विधिवत् निष्पादित करना होगा, बशर्ते कि नियोक्ता द्वारा कार्यों के संबंध में ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को दिए गए मौखिक निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, और यदि नियोक्ता द्वारा आगे के सात दिनों के भीतर लिखित रूप में असहमति नहीं जताई जाती है, तो उन्हें संविदा के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माना जाएगा।

ठेकेदार के कर्तव्य

3.0 ठेकेदार के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- क) निर्दिष्ट कार्यों के उचित निष्पादन और समापन के लिए आवश्यक श्रम, सामग्री और उपकरण, औजार, निर्माण उपकरण और मशीनरी तथा अन्य सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना और उनका भुगतान करना।
- ख) अपेक्षित कार्य के उचित निष्पादन और समापन के लिए आवश्यक परमिट, वैधानिक श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा, फीस और लाइसेंस प्राप्त करना और उनका भुगतान करना।
- ग) आवश्यक सूचना देने।
- घ) इस विनिर्देशन में कानूनी आवश्यकताओं से भिन्नता पाए जाने पर परामर्शदाता को लिखित सूचना तुरंत प्रस्तुत करें।

ई) कर्मचारियों के बीच सख्त अनुशासन और अच्छी व्यवस्था लागू करें। सौंपे गए कार्य में अकुशल व्यक्तियों को काम पर न रखें।

नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले परिवर्तन

4.0 ठेकेदार को दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा समर्थित मात्रा और दरों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति के बाद दरों एक पूरक निविदा बनेंगी। नियोक्ता को ऐसे परिवर्तनों के भुगतान के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं माना जाएगा जब तक कि इन विवरणों को उसके द्वारा स्वीकृत नहीं कर दिया जाता।

चित्र, मात्राओं की अनुसूची और करार

5.0 संविदा तीन प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार अपने उपयोग के लिए एक निष्पादित प्रति का हकदार होगा। ठेकेदार कार्य करने के लिए लाइन डायग्राम, प्रणाली कॉन्फ़िगरेशन ड्राइंग और अन्य आवश्यक ड्राइंग और दस्तावेज़, यदि कोई हो, तैयार करेगा। ठेकेदार को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, उसे नियोक्ता को सभी ड्राइंग और विनिर्देश बैंक को तुरंत वापस करना होगा।

कार्य क्रम

6.0 सफल ठेकेदार को कार्यसूची तालिका में दिए गए समय-सारिणी में कार्य पूरा करने के लिए निविदा में सभी लागतें शामिल करनी होंगी। निविदा प्रस्तुत करके, ठेकेदार इस बात से सहमत होता है कि उसने परियोजना विनिर्देशों और रेखाचित्रों की समीक्षा की है, कार्यस्थल का दौरा किया है, और स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार समग्र समय-सीमा के अनुसार सभी कार्य पूरे करेगा। नियोक्ता से आगे बढ़ने या संविदा प्राप्त करने के लिए नोटिस मिलने के बाद निर्धारित समय-सीमा शुरू होती है। ठेकेदार को परियोजना के पुरस्कार से पहले कार्य कार्य अनुसूची के अनुसार स्वीकृत समय-सीमा के अनुसार एक विस्तृत कार्यक्रम प्रदान करना होगा।

ठेकेदार द्वारा परिसर का उपयोग

7.0 कार्य स्थल एक अधिभोगी भवन है। ठेकेदार द्वारा परिसर का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

a) साइट पर अनावश्यक रूप से सामग्री या उपकरण का बोझ न डालें। स्टेजिंग क्षेत्र ग्राहक द्वारा निर्देशित अनुसार स्थित होना चाहिए।

ख) परिसर में या बाहर संग्रहीत उपकरणों और उत्पादों की सुरक्षा और सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी लें।

ठेकेदार को अपनी लागत पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी

8.0 ठेकेदार अपनी लागत पर, ड्राइंग, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के उद्देश्य और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करेगा, चाहे उन्हें विशेष रूप से दिखाया या वर्णित किया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उनसे उचित रूप से अनुमान लगाया जा सके, और यदि ठेकेदार को ड्राइंग में या ड्राइंग, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह तुरंत और लिखित रूप से नियोक्ता को संदर्भित करेगा जो यह तय करेगा कि किसका पालन किया जाना है। ठेकेदार इस विनिर्देश के तहत सभी कार्यों को स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमों के पूर्ण अनुपालन में प्रदान करेगा।

सामान्य कार्यालय कार्यों में कोई विछिन्नता नहीं

9.0 यह परियोजना मौजूदा इमारत में ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली प्रतिस्थापन कार्य है। यह आवश्यक है कि ठेकेदार सुरक्षा, धूल और ढीली सामग्री से सुरक्षा, शोर के स्तर में कमी, इमारत में पानी और हवा के प्रवेश से सुरक्षा, और इमारत के अंदर और बाहर कार्य क्षेत्रों में साफ-सफाई और व्यवस्थित स्थिति बनाए रखने से संबंधित सभी मामलों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता दे। पैकेजिंग, स्कैप सामग्री और विध्वंस मलबे को दैनिक आधार पर इमारत और साइट से तुरंत हटा दिया जाएगा।

10.0 यदि संविदा में ऐसे कार्य शामिल हैं, जो सामान्य व्यावसायिक संचालन के दौरान बाधा उत्पन्न करेंगे, या भवन में रहने वालों के लिए खतरनाक होंगे, तो उक्त कार्य ग्राहक द्वारा निर्धारित घंटों के दौरान किए जाएंगे। ऐसे कार्यों के उदाहरणों में, बिना किसी सीमा के, कंक्रीट की आरी से कटाई, जैक हैमरिंग, वेल्डिंग, धातु काटना, कंक्रीट डालना, भवन के कब्जे वाले हिस्सों पर स्टील या होइस्टिंग उपकरण लगाना या परीक्षण करना शामिल है। ठेकेदार ग्राहक द्वारा निर्धारित घंटों के दौरान ऐसा कार्य करेगा और अपनी निविदा में सभी लागतों को शामिल करेगा।

11.0 ठेकेदार को सामान्य निर्माण कार्य के दौरान शोर का स्तर 75dB से कम रखना होगा। जब इस स्तर से अधिक शोर उत्पन्न करना आवश्यक हो, तो ठेकेदार ग्राहक को ऐसी आवश्यकताओं के बारे में सूचित करेगा और निर्देशानुसार समय निर्धारित किया जाएगा। ठेकेदार को अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाली किसी भी प्रक्रिया का पूर्वानुमान लगाना होगा और निविदा में इसके लिए छूट शामिल करनी होगी।

प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट

14.0 ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधानमंडल के किसी अधिनियम के प्रावधानों, तथा किसी प्राधिकरण, तथा विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरणों के विनियमों और उपनियमों का अनुपालन करना होगा, जिनके प्रणाली से स्थापना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है और ड्राइंग या विनिर्देशों में कोई भी परिवर्तन करने से पहले, जो इस प्रकार के अनुपालन के लिए आवश्यक हो सकता है, नियोक्ता को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और इसे करने का कारण निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश नहीं मिलते हैं, तो वह संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उपनियमों के अनुरूप कार्य को आगे बढ़ाएगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी परिवर्तन को धारा IV- खंड 22.0 के अंतर्गत निपटाया जाएगा।

14.1 ठेकेदार उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा किसी प्राधिकारी को दी जाने वाली सभी सूचनाएं नियोक्ता के ध्यान में लाएगा तथा ऐसे प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य सभी शुल्क का भुगतान करेगा तथा रसीदें नियोक्ता के पास जमा कराएगा।

14.2 ठेकेदार, अधिकारों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, तथा दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा, तथा स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, क्षति, लागत और सभी प्रकार के प्रभारों का भुगतान करेगा, जो कानूनी रूप से उसके संबंध में व्यय किए जा सकते हैं।

कार्यों की शुरुआत

15.0 ठेकेदार को काम की रूपरेखा तैयार करनी होगी और उसे सही और सही रूपरेखा तैयार करने तथा उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और सेरेखण की शुद्धता के लिए उचित होना होगा। यदि काम पूरा होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर काम की प्रगति के दौरान किसी भी समय इस संबंध में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो अपने स्वयं के खर्च पर, नियोक्ता की संतुष्टि के लिए ऐसी त्रुटि को ठीक करेगा।

विवरण के अनुरूप सामग्री और कारीगरी

16.0 सभी सामग्री और कारीगरी जहाँ तक संभव हो, मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में वर्णित संबंधित प्रकार की होगी और नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार होगी, और ठेकेदार नियोक्ता के अनुरोध पर उसे सभी चालान, लेखा रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री उसके अनुरूप है। ठेकेदार अपने खर्च पर नियोक्ता द्वारा अपेक्षित किसी भी सामग्री का परीक्षण करेगा और/या परीक्षण करेगा।

कार्यों पर ठेकेदार का अधीक्षण और प्रतिनिधि

17.0 ठेकेदार को कार्य के निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक व्यक्तिगत पर्यवेक्षण प्रदान करना होगा, तथा उसके बाद नियोक्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने तक, खंड V- "इसमें पहले संदर्भित परिशिष्ट" में वर्णित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति तक। ठेकेदार को कार्य प्रगति पर रहने के दौरान एक सक्षम प्रतिनिधि को भी नियुक्त करना होगा, जो काम के दौरान लगातार उपस्थित रहेगा। नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या नोटिस ठेकेदार को दिए गए माने जाएंगे।

कामगारों की बर्खास्तगी

18.0 ठेकेदार, नियोक्ता के अनुरोध पर, अपने द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को कार्य से तुरन्त हटा देगा, जो नियोक्ता की राय में अयोग्य है या जिसका आचरण गलत है तथा ऐसे व्यक्ति को नियोक्ता की अनुमति के बिना, कार्य पर पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा।

कार्यों तक पहुंच

19.0 नियोक्ता और उनके संबंधित प्रतिनिधियों को सभी उचित समय पर कार्य और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों पर स्वतंत्र रूप से प्रवेश मिलेगा जहाँ सामग्री रखी गई है या जहाँ से उन्हें प्राप्त किया जा रहा है और ठेकेदार नियोक्ता और उनके प्रतिनिधियों को सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण और जांच और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा प्रदान करेगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर नियोक्ता द्वारा अधिकृत नहीं किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्य पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जेर्इ (इलेक्ट्र.)/सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)

20.0 "जेर्इ (इलेक्ट्रॉनिक)/सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)" शब्द का अर्थ नियोक्ता द्वारा नियुक्त और भुगतान किया गया व्यक्ति होगा, जो कार्यों का निरीक्षण करने के लिए होता है, ठेकेदार जेर्इ (इलेक्ट्रॉनिक)/सहायक प्रबंधक/प्रबंधक को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्रियों की जांच और माप के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। जेर्इ (इलेक्ट्रॉनिक)/सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) के पास कार्यों को निर्धारित करने या संविदा की किसी भी आवश्यकता को रद्द करने, बदलने, विस्तार करने या शिथिल करने या किसी भी कार्य, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या चूक या किसी भी अतिरिक्त कार्य को मंजूरी देने का अधिकार होगा, सिवाय इसके कि ऐसा अधिकार नियोक्ता की लिखित सहमति के साथ लिखित आदेश द्वारा विशेष रूप से प्रदान किया जा सकता है।

जेर्इ (इलेक्ट्र.)/सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) या नियोक्ता के किसी प्रतिनिधि को ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी कार्य या सामग्री के अनुमोदन न करने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसे कार्य को जेर्इ (इलेक्ट्र.)/सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्रियों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से ठेकेदार को किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी, जो कार्य के किसी भी चरण में या उसके पूरा होने के बाद मौजूद पाए जा सकते हैं।

असाइनमेंट और सब-लेटिंग

21.0 संविदा में सम्मिलित समस्त कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाएंगे और ठेकेदार, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा या उसके किसी भाग या उसमें किसी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, समनुदेशित या पट्टे पर नहीं देगा, तथा कोई भी वचनबद्धता ठेकेदार को संविदा की पूर्ण और सम्पूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों की प्रगति के दौरान उनके सक्रिय अधीक्षण से मुक्त नहीं करेगी।

22.0 कोई भी परिवर्तन, चूक या भिन्नता इस संविदा को अमान्य नहीं करेगी, लेकिन यदि नियोक्ता किसी भी समय कार्य की प्रगति के दौरान कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक करना या उसमें प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना उचित समझे और इसकी लिखित सूचना ठेकेदार को अपने हस्ताक्षर से दे दे, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, जोड़ेगा या छोड़ेगा, लेकिन ठेकेदार नियोक्ता की लिखित में पूर्व सहमति के बिना कार्य में कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा, कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक नहीं करेगा या संविदा, शर्त, विनिर्देशों या संविदा रेखाचित्रों के किसी भी प्रावधान से कोई विचलन नहीं करेगा और ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तन, परिवर्धन या चूक का मूल्य सभी मामलों में धारा IV- खंड 26.0 के प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता की लिखित में पूर्व स्वीकृति से निर्धारित किया जाएगा, और उसे, जैसा भी मामला हो, तदनुसार संविदा राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा।

मात्राओं की अनुसूची

23.0 मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा जाए, माप की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी। मात्राओं की अनुसूची से वस्तुओं के विवरण या मात्रा में या छूट में कोई त्रुटि इस संविदा को रद्द नहीं करेगी, बल्कि उसे सुधारा जाएगा और धारा IV-खंड 26.0 के तहत निर्धारित मूल्य को संविदा राशि में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो) बशर्ते कि त्रुटियों का कोई सुधार, यदि कोई हो, ठेकेदार की दरों की अनुसूची में अनुमति नहीं दी जाएगी।

मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता

24.0 ठेकेदार को निविदा देने से पहले अपने कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता तथा मात्राओं की अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों के बारे में खुद को संतुष्ट माना जाएगा, जिसके लिए दरें और कीमतें संविदा के तहत उसके सभी दायित्वों और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेंगी। निविदा में उल्लिखित केबल, नाली आदि की मात्राएं अनन्तिम हैं और वास्तविक साइट आवश्यकताओं और मापों के अधीन हैं। निविदा मात्रा के 25% से अधिक किसी भी आइटम का निपटान निविदा दर पर किया जा सकता है और निविदा मात्रा के 25% से अधिक मात्रा का निपटान वास्तविक बाजार दर के अनुसार किया जाएगा।

कार्यों का मापन

25.0 जेर्इ (इलेक्ट्रॉनिक)/सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) समय-समय पर ठेकेदार और नियोक्ता को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों को मापने की आवश्यकता है, और ठेकेदार को तुरंत उपस्थित होना होगा या जेर्इ (इलेक्ट्रॉनिक)/सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) को ऐसे माप और गणना करने और सभी विवरण प्रस्तुत करने या उनमें से किसी के द्वारा आवश्यक सभी सहायता देने में सहायता करने के लिए एक योग्य एजेंट को भेजना होगा। यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने में उपेक्षा करता है या चूक करता है, तो जेर्इ (इलेक्ट्रॉनिक)/सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा लिया गया माप कार्यों का सही माप माना जाएगा। ऐसे माप विनिर्देशों में विस्तृत माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे। ठेकेदार या उसका एजेंट माप के समय ऐसे नोट और माप ले सकता है, जिनकी उसे आवश्यकता हो। नियोक्ता की लिखित में पूर्व स्वीकृति के साथ किए गए सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक और सभी बदलाव ऐसे मापों में शामिल किए जाएंगे। कम्प्यूटरीकृत माप पत्रक तैयार कर ठेकेदार द्वारा सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

अतिरिक्त आदि के लिए कीमतों का पता लगाना

26.0 ठेकेदार, नियोक्ता द्वारा अधिकृत होने पर, चित्रों में दिखाए गए कार्यों में, या विनिर्देश में वर्णित कार्यों में, या मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों में कुछ जोड़ सकता है, कुछ हटा सकता है, या कुछ बदल सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे प्राधिकरण या निर्देश के बिना कुछ भी नहीं जोड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा या कुछ नहीं बदलेगा। नियोक्ता द्वारा मौखिक प्राधिकरण या निर्देश, यदि नियोक्ता द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो उसे लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा। किसी भी अतिरिक्त के लिए कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे नियोक्ता की सहमति से धारा IV- खंड 5.0 के प्रावधानों के तहत निष्पादित नहीं किया गया हो। इस तरह के किसी भी अतिरिक्त को यहां अधिकृत अतिरिक्त के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसे निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार बनाया जाएगा।

(ए)	(i)	मूल निविदा में शुद्ध दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन निर्धारित करेंगी, जहां ऐसा अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का है और उसमें मूल्यांकित कार्य के समान ही परिस्थितियों में निष्पादित किया गया है।
	(ii)	जहां तक संभव हो, सभी वस्तुओं के लिए दरें मात्राओं की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।
(बी)		मूल निविदा की शुद्ध कीमतें छोड़ी गई मदों का मूल्य निर्धारित करेंगी, बशर्ते कि यदि चूक से उन शर्तों में परिवर्तन होता है जिनके तहत कार्यों की किसी भी शेष मद को किया जाता है, तो इसके लिए कीमतों का मूल्यांकन उप-खंड (सी) के तहत किया जाएगा।
(सी)		जहां अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान परिस्थितियों में निष्पादित किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों को भिन्न करती है जिनके तहत कार्य की कोई शेष वस्तु की जाती है या यदि संपूर्ण संविदा कार्य या उसके किसी भाग की राशि के सापेक्ष किसी चूक या परिवर्धन की मात्रा ऐसी है कि नियोक्ता की राय में मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची या निविदा में या कार्यों की किसी वस्तु के लिए निहित शुद्ध दर या मूल्य में ठेकेदार द्वारा उचित रूप से परिकल्पित हानि या व्यय से अधिक हानि या व्यय शामिल है या ऐसी चूक या परिवर्धन के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो जाती है, तो नियोक्ता ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जो संविदा में है। वह परिस्थितियों को उचित समझेगा।
(डी)		जहां अतिरिक्त कार्य को उचित रूप से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, वहां ठेकेदार को जिले के स्थानीय दैनिक कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार शुद्ध दरों पर दैनिक कार्य मूल्य की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि दोनों ही मामलों में दैनिक समय और उपयोग की गई सामग्री को निर्दिष्ट करने वाले वाउचर, सत्यापन के लिए नियोक्ता को सौंपे जाएं। पर या पहले अंत का सप्ताह अगले वह में कौन काम निष्पादित किया गया है।
		संविदा के संबंध में माप और मूल्यांकन अनुभाग V- "इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट" में उल्लिखित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा, या यदि नहीं उल्लिखित है, तो <u>अनुभाग IV- खंड 25.0</u> में परिभाषित किया जाएगा।

अनिर्धारित सामग्री जब नियोक्ता की संपत्ति मानी जाती है

27.0 जहां किसी प्रमाणपत्र में (जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हुआ है) नियोक्ता ने कार्य के लिए और/या कार्य पर या उसके आस-पास रखी गई किसी भी अनिर्धारित सामग्री का मूल्य शामिल किया है, ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और नियोक्ता के लिखित प्राधिकरण के बिना, कार्य पर उपयोग के अलावा उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ठेकेदार ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

अनुचित कार्य को हटाना

ऑडियो-कॉर्प्रेसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग सम्मेलन कक्ष, कार्यालय भवन, भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची।

28.0 नियोक्ता को, कार्य की प्रगति के दौरान, समय-समय पर लिखित रूप में आदेश देने का अधिकार होगा कि आदेश में निर्दिष्ट उचित समय या समय के भीतर कार्य से ऐसी कोई भी सामग्री हटाई जाए जो नियोक्ता की राय में नियोक्ता के विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं है, उचित सामग्रियों का प्रतिस्थापन किया जाए, तथा ऐसे किसी भी कार्य को हटाया जाए और उचित तरीके से फिर से निष्पादित किया जाए जो चित्रों और विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं है, तथा ठेकेदार तुरंत अपने खर्च पर ऐसे आदेश का पालन करेगा। यदि ठेकेदार द्वारा ऐसे आदेश का पालन करने में चूक की जाती है, तो नियोक्ता को उसी कार्य को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने और भुगतान करने का अधिकार होगा, तथा इसके परिणामस्वरूप या उससे संबंधित सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय या देय होने वाले किसी भी भुगतान से काट लिए जा सकते हैं।

आभासी पूर्णता के बाद दोष

29.0 कोई भी दोष, सिकुड़न, निपटान या अन्य दोष जो खंड V- "इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट" में वर्णित "दोष दायित्व अवधि" के भीतर दिखाई दे सकते हैं, यदि कुछ भी नहीं कहा गया है, तो कार्य के वास्तविक समापन के एक वर्ष के भीतर, जो नियोक्ता की राय में संविदा के अनुसार सामग्री या कारीगरी से उत्पन्न होता है, नियोक्ता के लिखित निर्देशों पर, और ऐसे उचित समय के भीतर जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जाएगा, ठेकेदार द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर संशोधित और अच्छा किया जाएगा और डिफॉल्ट के मामले में, नियोक्ता ऐसे दोषों, अन्य दोषों को संशोधित करने और ठीक करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त और भुगतान कर सकता है, और इसके परिणामस्वरूप या इसके प्रासंगिक सभी नुकसान, हानि और व्यय ठेकेदार द्वारा ठीक किए जाएंगे और वहन किए जाएंगे नियोक्ता द्वारा ऐसे कार्य को संशोधित करने की लागत के बराबर राशि निर्धारित की जाएगी और यदि धारा II- खंड 12.0 के तहत रखी गई राशि अपर्याप्त है, तो शेष राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी, साथ ही नियोक्ता ने इसके संबंध में जो भी खर्च उठाया हो, वह भी वसूल किया जाएगा। यदि कार्यों पर नियोजित किसी उप-ठेकेदार द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या सामग्री की आपूर्ति की गई है, जिसे नियोक्ता द्वारा धारा IV- खंड 21.0 और 22.0 के अनुसार नामित या अनुमोदित किया गया है, तो ठेकेदार उसी तरह ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि ऐसा कार्य या सामग्री ठेकेदार द्वारा की गई थी या आपूर्ति की गई थी और इस खंड और धारा IV- खंड 2.0 के प्रावधानों के अधीन थी। नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते को पारित करने के बावजूद, ठेकेदार इस खंड के प्रावधान के तहत उत्तरदायी बना रहेगा।

आभासी पूर्णता का प्रमाणपत्र और दोष दायित्व अवधि

30.0 जब तक नियोक्ता लिखित रूप में यह प्रमाणित नहीं कर देता कि कार्य वस्तुतः पूर्ण हो चुका है, तब तक कार्य को पूर्ण नहीं माना जाएगा। दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाणपत्र की तारीख से शुरू होगी।

मनोनीत उप-ठेकेदार

31.0 सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर और अन्य लोग जो किसी भी माल की आपूर्ति और उसे ठीक करने का कार्य करते हैं, जिसके लिए मूल लागत मूल्य या अनन्तिम रकम को मात्रा और / या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल किया जाता है, जिन्हें नियोक्ता द्वारा नामित या चुना जा सकता है, उन्हें ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जाता है और उन्हें यहां नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

किसी भी नामित उप-ठेकेदार को कार्यों पर या उनके संबंध में नियोजित नहीं किया जाएगा, जिसके विरुद्ध ठेकेदार उचित आपत्ति करेगा या (सिवाय इसके कि नियोक्ता और ठेकेदार अन्यथा सहमत हों) जो संविदा में नहीं रहेगा, बर्ताव कि;

क) नामित उप-ठेकेदार, उप-ठेकेदार के संबंध में ठेकेदार को उस दायित्व के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे, जो ठेकेदार इस संविदा के संबंध में लागू है।

(ख) नामित उप-ठेकेदार, उप-ठेकेदार, उसके कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा की गई किसी लापरवाही या उसके द्वारा किसी मचान या अन्य संयंत्र, ठेकेदार की संपत्ति के दुरुपयोग या किसी लागू कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत दावों के विरुद्ध ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेगा।

ग) नामित उप-ठेकेदार को चौदह दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि पिछले प्रमाणपत्रों में शामिल नामित उप-ठेकेदार के सभी खातों का विधिवत निर्वहन किया गया हो, जिसके न होने पर, नियोक्ता उसी राशि का भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी राशि से उसकी राशि काट सकता है। इस शक्ति के प्रयोग से नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच संविदा की गोपनीयता नहीं बनेगी।

नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति

32.0 नियोक्ता को इस संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए परिसर और साइट के किसी भी हिस्से का उपयोग करने का अधिकार है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों द्वारा करवाना चाहता है, और ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाओं की अनुमति देगा, लेकिन ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे कार्य को इस तरह से किया जाएगा कि संविदा में शामिल कार्यों की प्रगति में बाधा न आए और ठेकेदार ऐसे कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

33.0 व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा

33.1 ठेकेदार को व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोटों और संपत्ति को होने वाले सभी संरचनात्मक और सजावटी नुकसान के लिए उचित जिम्मेदारी लेनी होगी, जो उसके या किसी नामित उप-ठेकेदार या किसी कर्मचारी या दोनों के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकती है, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो, जो किसी भी तरह से इस संविदा को पूरा करने से जुड़ी हो। इस खंड के तहत इस दायित्व में अन्य बातों के साथ-साथ इमारतों को होने वाला कोई भी नुकसान, चाहे वे तुरंत आस-पास हों या अन्यथा, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या मार्गों को होने वाला कोई भी नुकसान और साथ ही इस संविदा का विषय बनने वाली इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाला सभी नुकसान शामिल होगा। ठेकेदार इमारतों और अन्य संरचनाओं और इस संविदा का विषय बनने वाले कार्यों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा, जो ठंड, बारिश, हवा या मौसम की अन्य प्रतिकूलता से होता है। ठेकेदार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति देता रहेगा तथा पूर्वोक्त किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी नुकसान और व्यय के संबंध में और किसी भी क्रान्ति के तहत या अन्यथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में उसे हानिरहित रखेगा। ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, इस संविदा के तहत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित एक बीमा कंपनी के साथ, ठेकेदारों के लिए मानक सभी जोखिम पॉलिसी के अनुसार सभी जोखिमों के खिलाफ नियोक्ता और ठेकेदार (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा गया है) के संयुक्त नामों में आग, भूकंप के जोखिम और भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के दौरान होने वाले नुकसान और क्षति सहित संविदा की राशि के बराबर राशि के लिए बीमा के लिए एक सभी जोखिम पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा और काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा।

33.2 ठेकेदार इस खंड में वर्णित हर प्रकार के नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि संविदा के सभी कार्यों को हर तरह से पूर्ण और सही तरीके से पूरा किया जा सके और तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई की जा सके या अन्यथा उन्हें पूरा किया जा सके। ठेकेदार नियोक्ता के खिलाफ किसी भी व्यक्ति/जनता के सदस्य या अन्य तीसरे पक्ष द्वारा किए जाने वाले सभी दावों के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा, जो कि कार्यों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज के संबंध में हो सकता है और अपने स्वयं के खर्च पर नियोक्ता द्वारा अनुमोदित एक बीमा कंपनी के साथ संविदा के पूरा होने तक ऐसे जोखिमों के खिलाफ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा पॉलिसी (पॉलिसी में पहले ठेकेदार का नाम रखा जाएगा) को प्रभावी बनाने

और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा और काम शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा कर देगा। पॉलिसी के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा निविदाकर्ता को दिए जाने वाले सामान्य निर्देशों के तहत कहीं और परिभाषित की गई होगी।

33.3 ठेकेदार इसी प्रकार नियोक्ता को उन सभी दावों के लिए क्षतिपूर्ति भी करेगा जो नियोक्ता पर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम या इस संविदा की अवधि के दौरान और सीएमसी अवधि के दौरान या ठेकेदार के किसी कर्मचारी या किसी उप-ठेकेदार के संबंध में सामान्य कानून के अंतर्गत किए जा सकते हैं और वह अपने स्वयं के व्यय पर, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किसी बीमा कंपनी के साथ, संविदा के पूरा होने तक, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा पॉलिसी (पॉलिसी में पहले ठेकेदार का नाम रखा जाएगा) को प्रभावी बनाएगा और बनाए रखेगा और संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा।

33.4 ठेकेदार द्वारा ऊपर दिए गए प्रावधान के अनुसार सुनिश्चित करने में चूक होने पर, नियोक्ता ऐसा सुनिश्चित कर सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को किसी भी देय राशि से काट सकता है या जो ठेकेदार को देय हो सकती है। ठेकेदार किसी भी देयता के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस संविदा के लापरवाही या दोषपूर्ण कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति, पशु या संपत्ति को होने वाले अन्य सभी नुकसानों के लिए भी जिम्मेदार होगा, चाहे वे कारण कुछ भी हों जिनके कारण नुकसान हुआ हो। वह काम से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी और किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा और साथ ही उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मुआवजे या क्षति के संबंध में भी।

33.5 इस तरह की चूक के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि से नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई किसी भी क्षति, क्षतिपूर्ति, लागत, शुल्क और अन्य व्यय की राशि को काटने का हकदार होगा और जो इस खंड के तहत ठेकेदार द्वारा देय हैं। इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता के खिलाफ किए गए किसी भी दावे के बीमाकर्ता द्वारा निपटान के बाद ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ेगा। इस स्थिति में इस तरह के नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी धनराशि ठेकेदार को चुकाई जाएगी और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या सामान के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए व्यय के संबंध में किसी भी अन्य भुगतान का हकदार नहीं होगा।

33.6 ठेकेदार, क्षति के बाद पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापना के मामले में, नियोक्ता द्वारा उचित समझे जाने वाले कार्य को पूरा करने के लिए समय के ऐसे विस्तार का हकदार होगा, लेकिन, यहां निर्धारित किसी भी दावे के निपटान में बीमाकर्ता द्वारा अंतिम रूप से भुगतान की गई राशि में किसी भी कमी या कमी के लिए नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

33.7 इस खंड के तहत अपनी देयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों से उनके संबंधित कार्यों के लिए इस खंड के प्रावधानों के अनुसार बीमा की समान पॉलिसियाँ लागू करवाएगा और नियोक्ता को ऐसी पॉलिसियाँ प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवाएगा। ठेकेदार किसी नामित उप-ठेकेदार को साइट पर काम शुरू करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसियाँ प्रस्तुत न की जाएँ। साइट पर काम शुरू करने से पहले उप-ठेकेदार द्वारा ऐसी पॉलिसी या बीमा पॉलिसियाँ लेने में विफल रहने की स्थिति में, ठेकेदार उक्त उप-ठेकेदार के कारण होने वाले किसी भी दावे या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

प्रारंभ और समापन की तारीख

34.0 ठेकेदार को अनुभाग V- "इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट" में उल्लिखित "आरंभ की तारीख" या नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट किसी बाद की तारीख पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह उसके बाद तुरंत काम शुरू कर देगा और नियमित रूप से आगे बढ़ेगा और अनुभाग V- "इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट" में उल्लिखित "समापन की तारीख" को या उससे पहले उसे पूरा करेगा (ऐसी पेंटिंग या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर जिसे नियोक्ता विलंबित करना चाहे), फिर भी इसके बाद दिए गए समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन।

कार्य पूरा न होने पर हर्जाना

35.0 यदि ठेकेदार धारा V- "इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट" में बताई गई तारीख तक या धारा IV- इसके खंड 36.0 के तहत किसी विस्तारित समय के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है और नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उसकी राय में इसे उचित रूप से पूरा किया जाना चाहिए था, तो ठेकेदार नियोक्ता को धारा V- "इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट" में "परिसमाप्त क्षति" के रूप में उस अवधि के लिए राशि का भुगतान करेगा, जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरा रहेगा।

विलंब और समय विस्तार

36.0 यदि नियोक्ता की राय में, कार्य में देरी हो रही है (क) अपरिहार्य कारण से या (ख) किसी असाधारण खराब मौसम के कारण या (ग) ठेकेदार की स्वयं की चूक के अलावा आसपास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक अधिकारियों के साथ कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण या (घ) नियोक्ता द्वारा नियोजित या नामित अन्य ठेकेदारों या कारीगरों के कार्यों या देरी के कारण और मात्रा अनुसूची और / या विनिर्देश में संदर्भित नहीं है या (ङ) धारा IV- खंड 2.0 के अनुसार नियोक्ता के निर्देशों के कारण या (च) नागरिक हंगामे, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड्डताल या तालाबंदी के कारण जो किसी भी भवन व्यापार को प्रभावित कर रहा हो या (छ) नियोक्ता से आवश्यक निर्देश, जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया हो, ठेकेदार को नियत समय में प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप या (ज) अन्य कारणों से, जिसे नियोक्ता ठेकेदार के नियंत्रण से परे प्रमाणित कर सकता है मात्रा में परिवर्तन के कारण, संविदा कार्यों को पूरा करने के लिए समय का उचित और उचित विस्तार किया जा सकता है, ऐसी हड्डताल या तालाबंदी की स्थिति में, ठेकेदार फिर भी विलम्ब को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करेगा और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो यथोचित रूप से आवश्यक हो।

ठेकेदार द्वारा नियोक्ता के निर्देशों का पालन न करना

37.0 यदि ठेकेदार, नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद, जिसमें दस दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता होती है, ऐसे आगे के चित्र का अनुपालन करने में विफल रहता है और नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त और भुगतान कर सकता है, जो इसके प्रभाव को देने के लिए आवश्यक हो सकता है, और इसके संबंध में किए गए सभी खर्च नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से वसूल किए जा सकेंगे या ठेकेदार को देय किसी भी धन से उसके द्वारा काटे जा सकेंगे।

नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति

38.0 यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति या फर्म होते हुए, कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाता है या स्वैच्छिक रूप से या न्यायालय और परिसमाप्त के आधिकारिक समनुदेशिती की देखरेख में समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो ऐसे दिवालियापन या समापन के कार्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के सात दिनों के भीतर, नियोक्ता की उचित संतुष्टि दिखाने में असमर्थ होगा कि वह संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और यदि नियोक्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो इसके लिए सुरक्षा दे सकता है,

या यदि ठेकेदार (चाहे वह व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी हो) ठेकेदार के विरुद्ध जारी की जाने वाली संपत्ति को कुर्क करने के लिए न्यायालय की कार्यवाही या अन्य प्रक्रिया को सहन करता है,

या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से कुर्क होने दिया जाएगा, या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को सौंप देगा या उप-पट्टे पर दे देगा,

या इस संविदा या इसके अंतर्गत ठेकेदार को देय या देय होने वाले किसी भी भुगतान को भारित या भारित नहीं करेगा,

या यदि नियोक्ता यह निर्धारित करता है कि ठेकेदार;

- (i) संविदा को त्याग दिया है, या
- (ii) कार्य शुरू करने में विफल रहा है, या उन शर्तों के तहत किसी भी वैध बहाने के बिना नियोक्ता से आगे बढ़ने का नोटिस प्राप्त करने के बाद 14 दिनों के लिए कार्य की प्रगति को निलंबित कर दिया है, या
- (iii) कार्य को उचित तत्परता के साथ आगे बढ़ाने में असफल रहा है तथा ऐसी उचित प्रगति करने में असफल रहा है जिससे कार्य को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके, या
- (iv) लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद सात दिनों तक साइट से सामग्री को हटाने या गिराने और काम को बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के तहत नियोक्ता द्वारा निंदा और अस्वीकार कर दिया गया था या
- (v) इस संविदा द्वारा ठेकेदार द्वारा पालन और निष्पादित किए जाने वाले सभी या किसी भी कार्य, मामले या चीज का पालन करने और निष्पादित करने में लगातार उपेक्षा या असफल रहा है, ठेकेदार को लिखित नोटिस दिए जाने के बाद सात दिनों के लिए ठेकेदार को इसका पालन या निष्पादित करने की आवश्यकता है।

तब और उक्त किसी भी मामले में, नियोक्ता किसी पूर्व छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित में सात दिन का नोटिस देने के बाद, संविदा और ठेकेदार के दायित्वों का निर्धारण कर सकता है, जो संपूर्ण रूप से उसी प्रकार लागू रहेगा जैसे कि संविदा का निर्धारण नहीं किया गया था, और जैसे कि बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए थे और इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंटों या सेवकों द्वारा कार्यों और परिसर या आसन्न भूमि या सड़कों पर पड़े सभी संयंत्र, उपकरण, मचान, मशीनरी और सामग्रियों को अपने कब्जे में ले सकता है, और उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या कार्यों को पूरा करने के लिए अपने सेवकों और श्रमिकों के माध्यम से या किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को काम पूरा करने और परिष्करण के लिए नियोजित कर सकता है या कार्यों के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग कर सकता है। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधा हो, नियोक्ता ठेकेदार को अपनी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटाने के लिए लिखित में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्त होने के बीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता उन्हें सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और प्राप्त हुई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दे सकता है। नियोक्ता इसके बाद अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप से यह पता लगाएगा कि नियोक्ता द्वारा कब्जे में लिए गए उक्त संयंत्र और सामग्रियों के मूल्य के लिए नियोक्ता को या नियोक्ता द्वारा क्या (यदि कुछ भी) देय होगा और पूरा किए जाने वाले कार्यों को प्राप्त करने में नियोक्ता को जो व्यय या हानि हुई है, और ठेकेदार को देय राशि, यदि कोई हो, और वह राशि जो उसके बाद नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो, भुगतान की जाएगी, और नियोक्ता का निर्णय पक्षों के बीच अंतिम और निर्णायिक होगा।

ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति

39.0 यदि नियोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया है और उपरोक्त राशि के भुगतान की आवश्यकता वाले लिखित नोटिस के बाद तीस दिनों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, जैसा कि ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दिया गया है या यदि नियोक्ता संविदा को अस्वीकार कर देता है, या यदि नियोक्ता के आदेश के तहत या किसी भी न्यायालय के किसी भी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश के तहत तीन महीने के लिए काम बंद कर दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में, ठेकेदार नियोक्ता को लिखित में नोटिस द्वारा संविदा का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा और वह नियोक्ता से निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और संविदा के प्रयोजन के लिए आपूर्ति या खरीदे या तैयार किए गए किसी भी संयंत्र या सामग्री पर उसे हुई किसी भी हानि के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा।

ऐसे भुगतान की राशि निर्धारित करने में, ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का अनुसरण किया जाएगा, या जहां यह लागू नहीं हो सकता है, मूल्यांकन धारा IV- खंड 26.0 के अनुसार किया जाएगा।

प्रमाणपत्र और भुगतान

40.0 ठेकेदार को अंतरिम प्रमाणपत्र के तहत समय-समय पर नियोक्ता द्वारा किश्तों में ठेकेदार को निष्पादित कार्यों के लिए भुगतान किया जाएगा, इस संविदा के अनुसार निष्पादित किए गए कार्य के लिए खंड V- "इसमें पहले संदर्भित परिशिष्ट" में "अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कार्य का मूल्य" (या नियोक्ता के उचित विवेक पर कम) के रूप में नामित अनुमानित मूल्य तक का भुगतान किया जाएगा, जिसके बाद किश्तें बाद में निष्पादित और भवन में तय किए गए कार्य के पूर्ण मूल्य तक होंगी। नियोक्ता अपने विवेक पर अंतरिम प्रमाणपत्र में ऐसी राशि शामिल कर सकता है, जिसे वह ठेकेदार द्वारा कार्यों में उपयोग के लिए साइट पर वितरित सामग्री के कारण उचित समझे। और जब कार्य लगभग पूरा हो गया हो और नियोक्ता ने लिखित रूप से प्रमाणित कर दिया हो कि कार्य पूरा हो गया है, तो ठेकेदार नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाणपत्र के अनुसार अंतिम शेष राशि के भुगतान का हकदार होगा, जिसे खंड V- "इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट" में "दोष दायित्व अवधि" के रूप में संदर्भित अवधि की समाप्ति पर, वास्तविक पूर्णता की तारीख से या ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद जब कार्य अंततः पूरा हो गया हो और दोषों को इसके वास्तविक उद्देश्य और अर्थ के अनुसार ठीक कर लिया गया हो, जो भी बाद में हो, बशर्ते कि कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र को जारी करना ठेकेदार को खंड IV- खंड 2.0 और 29.0 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा और न ही ठेकेदार को कार्यों या सामग्रियों से संबंधित धोखाधड़ी, बेर्इमानी या धोखाधड़ी से छिपाने के मामलों में या प्रमाणपत्र के भीतर निपटाए गए किसी भी मामले में उसकी असमर्थता से मुक्त करेगा, कोई भी प्रमाणपत्र अपने आप में निर्णयिक साक्ष्य नहीं होगा कि कोई कार्य या सामग्री, जिससे वह संबंधित है, संविदा के अनुरूप है और न ही ठेकेदार किसी ऐसी राशि के लिए दावा कर सकेगा जिसे नियोक्ता ने किसी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो और नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया हो और जिसके बारे में बाद में पता चले कि वह देय नहीं है और इस संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

40.1 यदि कार्य या उसका कोई भाग नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है तो नियोक्ता को कोई भी प्रमाणपत्र रोक लेने का अधिकार होगा।

40.2 नियोक्ता किसी भी प्रमाणपत्र द्वारा उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी पूर्व प्रमाणपत्र में कोई सुधार कर सकता है।

40.3 यदि ठेकेदार कार्यों का बीमा कराने में विफल रहता है तथा वर्चुअल पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने तक उन्हें बीमाकृत रखने में विफल रहता है तो कोई प्रमाण-पत्र या भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।

40.4 भुगतान अनुभाग V- "इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट" में निर्दिष्ट अवधि के भीतर "प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि" के रूप में किया जाएगा, जब ऐसे प्रमाण-पत्र नियोक्ता को सौंप दिए गए हों।

विलंबित भुगतान

41.0 नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि, यदि खंड V- "इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट" में निर्दिष्ट "प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि" के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो उस पर नियोक्ता द्वारा ऐसी राशि का भुगतान किए जाने की तारीख से लेकर भुगतान होने तक खंड V- "इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट" में निर्दिष्ट "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में निर्दिष्ट दर पर ब्याज लगेगा।

मामले का अंतिम निर्णय नियोक्ता द्वारा किया जाएगा

42.0 नियोक्ता का निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाणपत्र (भुगतान को छोड़कर), धारा IV के अंतर्गत सभी या किसी भी मामले के संबंध में - खंड 2.0(ए), 2.0(बी), 4.0, 7.0, 12.0, 19.0, 28.0, 29.0 (ए, बी, सी, डी, ई, एफ) (जिन मामलों को यहां "छूट प्राप्त मामले" के रूप में संदर्भित किया गया है) अंतिम और निर्णयिक होगा तथा पक्षों पर बाध्यकारी होगा और अपील के बिना होगा। नियोक्ता का कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाणपत्र या मूल्यांकन या नियोक्ता द्वारा इनमें से कुछ भी देने से

इनकार करना, धारा IV के खंड 43.0 के अंतर्गत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा, सभी मामलों में उसी तरह (संदर्भ खोलने के प्रावधान सहित) जैसे कि यह नियोक्ता का निर्णय था।

मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा

43.0 कार्य के दौरान या उसके संबंध में या उसे पूरा करने में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद के मामले में (चाहे कार्य की प्रगति के दौरान या पूरा होने के बाद और चाहे निर्धारण, परित्याग या संविदा के उल्लंघन से पहले या बाद में) यहां दिए गए अपवादित मामलों में से किसी के अलावा, पक्षकार पहले ऐसे विवादों या मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करेंगे। यदि दोनों पक्ष ऐसे सौहार्दपूर्ण करार पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो सभी विवाद या मतभेदों को यहां दिए गए अनुसार मध्यस्थों द्वारा अंतिम रूप से सुलझाया जाएगा।

यदि पक्षकारों द्वारा इस तरह के सौहार्दपूर्ण समाधान की विफलता होती है, तो कोई भी पक्ष ऐसी विफलता के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें यह आवश्यक हो कि विवाद या मतभेद के सभी मामलों पर मध्यस्थता की जाए। ऐसे लिखित नोटिस में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा जो विवाद या मतभेद में हैं, जिनके बारे में ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है और कोई अन्य मामला दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकल मध्यस्थ की मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जाएगा या एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में असहमति के मामले में, दो मध्यस्थों (प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक) की नियुक्ति और मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक निर्णायिक की नियुक्ति की जाएगी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान ऐसे मध्यस्थता पर लागू होंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों में से किसी एक की, जैसा भी मामला हो, मृत्यु हो जाने, उपेक्षा करने, कार्य करने से इंकार करने या त्यागपत्र देने या किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में या न्यायालय द्वारा किसी कारणवश निर्णय को रद्द कर दिए जाने की स्थिति में, पक्षकारों के लिए ऊपर दिए गए तरीके से एक अन्य मध्यस्थ नियुक्त करना वैध होगा।

मध्यस्थता का स्थान कोच्ची, भारत होगा।

इस अनुसूची के अंतर्गत नियुक्त मध्यस्थ या मध्यस्थ संयुक्त रूप से मध्यस्थता कार्यवाही करेंगे तथा पक्षकारों की सहमति से निर्णय देने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति रखेंगे।

मध्यस्थता के लिए संदर्भ और उस पर पुरस्कार लंबित रहने तक, पक्षकार सभी प्रकार से संविदा के अनुसार कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे और सभी विवाद, यदि कोई हों, अंततः मध्यस्थता में निपटाए जाएंगे।

मध्यस्थता के लिए प्रत्येक या किसी भी ऐसे संदर्भ पर, जैसा कि इसमें प्रावधान है, संदर्भ और पुरस्कार की लागत और उससे संबंधित व्यय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों या निर्णायिक के विवेक पर होगा, जैसा भी मामला हो, जो इसकी राशि निर्धारित कर सकता है।

मध्यस्थ, पंच या पंच, जैसा भी मामला हो, विवाद के प्रत्येक मद के संबंध में तर्कपूर्ण निर्णय देगा जो अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के कारण कार्य को पूरा करने में देरी नहीं करेगा जिसे मध्यस्थता के लिए भेजा जा रहा है, बल्कि सभी उचित परिश्रम के साथ कार्य को आगे बढ़ाएगा और मध्यस्थों के निर्णय तक, जैसा भी मामला हो, इस संविदा की शर्तों और नियमों का पालन करेगा, साथ ही इस संविदा में किए गए कार्य को वास्तव में पूरा करने के संबंध में निर्देशों का भी पालन करेगा और कोई भी निर्णय ठेकेदार को इस संविदा की शर्तों और नियमों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा, साथ ही कार्य को वास्तव में पूरा करने के संबंध में निर्देशों का भी। बैंक और ठेकेदार इसके द्वारा इस बात पर भी सहमत हैं कि इस अनुसूची के तहत मध्यस्थता संविदा के तहत किसी भी कार्यवाई के अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद या मतभेद का निपटारा, समझौता या समझौता कर लेते हैं, तो मध्यस्थता के लिए संदर्भ और मध्यस्थ या मध्यस्थों या पंच की नियुक्ति, जैसा भी मामला हो, रद्द कर दी गई मानी जाएगी और मध्यस्थता कार्यवाही उस तारीख से वापस ले ली जाएगी या समाप्त हो जाएगी, जिस तारीख को पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थों या पंच के साथ करार का संयुक्त ज्ञापन दाखिल करते हैं, जैसा भी मामला हो।

इस खंड के प्रयोजन के लिए, "छूट प्राप्त मामले" का तात्पर्य कार्य के दायरे, संविदा मूल्य, वितरण अनुसूची और अंतिम स्वीकृति प्रमाणपत्र के अंतर्गत आने वाले सभी या किसी भी मामले से होगा।

अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार

44.0 नियोक्ता को ठेकेदार के कार्यों और अंतिम बिल की तकनीकी जांच करवाने का अधिकार होगा, जिसमें अंतिम बिल के भुगतान के समय सभी सहायक वात्तर, सार आदि शामिल होंगे। यदि इस जांच के परिणामस्वरूप या अन्यथा, कोई राशि अधिक भुगतान की गई या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए उस राशि को वसूलना वैध होगा।

नियोक्ता को कामगारों को दिए गए मुआवजे की वसूली का अधिकार

45.0 यदि किसी कारणवश, नियोक्ता, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के आधार पर, कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कर्मचारी को प्रतिकर देने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई प्रतिकर राशि वसूलने का हकदार होगा, और उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। नियोक्ता ऐसी राशि या उसके किसी भाग को सुरक्षा जमा से या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को इस संविदा के तहत या अन्यथा देय किसी राशि से काटकर वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और नियोक्ता को उन सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए पूर्ण सुरक्षा देने के, जिसके लिए नियोक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

कार्यों का परित्याग

46.0 निविदा की स्वीकृति के पश्चात किसी भी समय, नियोक्ता को, किसी भी कारण से, सम्पूर्ण कार्य या उसके किसी भाग को कराने की आवश्यकता नहीं होगी, नियोक्ता ठेकेदार को लिखित में सूचना देगा, तथा ठेकेदार को सम्पूर्ण कार्य के निष्पादन से प्राप्त होने वाले किसी लाभ या फायदे के लिए किसी भी प्रकार के मुआवजे या अन्य भुगतान का कोई दावा नहीं होगा।

अधिशेष सामग्री की वापसी

47.0 इस संविदा के किसी या सभी खंडों में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, जहां संविदा के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या परमिटों या लाइसेंसों के तहत नियोक्ता की सहायता से खरीदी जाती है, वहां ठेकेदार उक्त सामग्रियों को मितव्ययितापूर्वक और केवल संविदा के उद्देश्य के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और नियोक्ता द्वारा मांगे जाने पर, नियोक्ता को सामग्री की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर वापस कर देगा, यह कीमत बिक्री कर, चुंगी और ठेकेदार द्वारा इसके संबंध में भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्कों सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वासघात के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, ऐसे उल्लंघन के कारण नियोक्ता को होने वाले सभी भुगतानों, लाभों या मुनाफे के लिए उत्तरदायी होगा, या जो सामान्य तौर पर नियोक्ता को होने वाले थे।

ठेकेदार की मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता का संविदा समाप्त करने का अधिकार, यदि व्यक्ति

48.0 इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो नियोक्ता के पास ऐसी समाप्ति के लिए कोई देयता उठाए बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

दुर्घटना रिपोर्ट

49.0 किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में, ठेकेदार ग्राहक को सभी दुर्घटना रिपोर्टों की प्रतियां उपलब्ध कराएगा, रिपोर्ट बिना किसी देरी के भेजी जाएंगी और उसी समय भेजी जाएंगी जब उन्हें किसी अन्य पक्ष को अग्रेषित किया जाएगा।

गैर-प्रकटीकरण खंड

50.0 ठेकेदार बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान में आ सकते हैं, किसी तीसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा और हर समय उसे सबसे सख्त गोपनीयता में रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा या प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन न करने को ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

51.0 ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। बैंक परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, ठेकेदार/एजेंसी और ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी।

51.1 सेवा प्रदाता के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी या बैंक में कार्यरत किसी अन्य फर्म के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

51.2 यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हों तो ठेकेदार को किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होना होगा, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी या अन्य फर्म के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाती है।

51.3 ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

51.4 ठेकेदार को बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण एवं अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी।

सीमांत नोट्स

50.0 इस बॉक्स में तथा इसके साथ संलग्न कैच लाइनों में तथा इसके साथ संलग्न अनुलग्नक में दी गई टिप्पणियाँ केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं तथा इन प्रस्तुतियों तथा इसके साथ संलग्न अनुलग्नकों की व्याख्या में किसी भी तरह से इन्हें ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

विशेष शर्तें: कार्य की प्रगति

ऑडियो-कॉफ्रेंसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग सम्मेलन कक्ष, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।

51.0 निविदा मिलने पर, ठेकेदार को अपने निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत सूचना के आधार पर उपकरण वितरण की तारीखों सहित, प्रारंभ और समापन कार्यक्रम की लिखित रूप में पुनः पुष्टि करनी होगी।

52.0 ठेकेदार को लिखित रूप में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों और इकाइयों के समूहों के लिए वर्तमान उपकरण डिलीवरी की तारीखें और अनुमानित समापन की तारीखें दर्शाई जाएंगी।

खंड V – परिशिष्ट जिसका उल्लेख पूर्व में किया गया है

1.	दोष दायित्व अवधि	वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र की तारीख से एक वर्ष।
2.	अंतिम माप की अवधि	3 महीने
3.	प्रारंभण की तारीख	बैंक के कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 10वें दिन।
4.	पूरा होने की तारीख	वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र की तारीख
5.	की दर से परिसमाप्त क्षति	प्रति सप्ताह संविदा मूल्य का 0.25%, विलंबित अवधि के संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन।
6.	अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कार्यों का मूल्य	भाग-I के <u>खंड II</u> - पैरा 22.0 के अनुसार।
7.	प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि	अंतरिम बिल के लिए 1 माह और अंतिम बिल के लिए 3 माह।
8.	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर	3% प्रति वर्ष।

खंड VII – तकनीकी विनिर्देश और कार्य का दायरा

1.0 सफल निविदाकर्ता को बैंक के कार्यालय भवन, कोच्ची में सम्मेलन कक्ष (तीसरी मंजिल) में उपकरण (ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली) को डिजाइन, आपूर्ति, स्थापित, परीक्षण और चालू करना होगा। साथ ही, नए उपकरण की स्थापना के दौरान बायबैक सामग्री (पुरानी प्रणाली, सभी सहायक उपकरण और संबंधित निष्क्रिय केबलिंग) को साइट से हटा दिया जाएगा। बैंक उपकरण के संचालन के लिए साइट पर आने वाली बिजली आपूर्ति (एकल-चरण, 230V या 3-चरण, 415V) और संबंधित स्विच प्रदान करेगा। बैंक में पुराने प्रणाली ऑडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली का विवरण इस निविदा दस्तावेज़ के अनुलग्नक-14 में पाया जा सकता है।

1.1 नई प्रणाली को स्थान पर नए सिरे से तैयार किए गए ऑडियो-वीडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (एवी-वीसी) सेटअप या ऑनलाइन मीटिंग आयोजित करने के लिए किसी तीसरे पक्ष के मीटिंग एप्लिकेशन के साथ सहज एकीकरण के लिए संगत होना चाहिए। इन प्रणालियों का एकीकरण इस कार्य के दायरे में शामिल नहीं है। बैंक में नए सिरे से तैयार किए गए एवी-वीसी प्रणाली का विवरण इस निविदा दस्तावेज़ के अनुलग्नक-15 में पाया जा सकता है।

1.2 बोलीदाता नए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली और बैंक के नए संशोधित एवी-वीसी प्रणाली के एकीकरण के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त हार्डवेयर, सहायक उपकरण, सॉफ्टवेयर उत्पादों आदि की सूची और विवरण निविदा प्रस्तुत करने के साथ अपने लेटर हेड में निर्दिष्ट और प्रस्तुत कर सकते हैं। बोलीदाता इसके लिए सही विवरण प्राप्त करने के लिए मौजूदा उपकरणों और कॉन्फ्रेंस रूम क्षेत्रों की जांच कर सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन प्रणालियों का एकीकरण इस कार्य के दायरे में शामिल नहीं है।

1.3 बैंक को वेब, फोन और ईमेल के माध्यम से 24x7 समस्या समाधान सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

1.4 कार्य सौंपे जाने के बाद, सफल बोलीदाता को बैंक के साथ समन्वय करके, स्थान पर व्यापक साइट सर्वेक्षण करना होगा तथा मात्रा के अनिर्धारित बिल में सभी पंक्ति मदों की वास्तविक आवश्यकताओं का विश्लेषण करना होगा।

1.5 बोलीदाताओं को संबंधित OEM से प्रमाणन पत्र (उनके आधिकारिक लेटरहेड पर) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें OEM निविदा में उद्धृत सभी उपकरणों के लिए उत्पादों और सहायक घटकों दोनों को प्रमाणित करेंगे। साथ ही, प्रस्तावित उपकरण को सेवा की पूरी अवधि (एक वर्ष की DLP (दोष दायित्व अवधि) और उसके बाद CAMC अवधि) के दौरान जीवन/सहायता के अंत के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, बोलीदाता घटक/उप-घटक को वैकल्पिक उत्पाद के साथ अपग्रेड करेगा, उसी के मेक और मॉडल के लिए बैंक से उचित अनुमोदन के साथ, बिना किसी अतिरिक्त लागत के, और बिना किसी निष्पादन में गिरावट और/या देरी के।

1.6 बोलीदाता को सेवा की पूरी अवधि (एक वर्ष की डीएलपी (दोष दायित्व अवधि) और उसके बाद की सीएएमसी अवधि) के लिए सक्रिय घटकों के लिए उत्पाद समर्थन प्रदान करने के लिए ओईएम प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी होगी। यदि ओईएम समर्थन प्रदान करने में असमर्थ है, तो बोलीदाता घटक/उप-घटक को बैंक से उसके मेक और मॉडल के लिए उचित अनुमोदन के साथ वैकल्पिक रूप से अपग्रेड करेगा, बिना किसी अतिरिक्त लागत के, और बिना किसी निष्पादन में गिरावट और/या देरी के।

2.0 साइट स्थिति निरीक्षण

2.1 उपकरणों की स्थापना शुरू करने से पहले, ठेकेदार मौजूदा उपकरणों और सम्मेलन कक्ष क्षेत्रों की जांच करेगा और सत्यापित करेगा कि कोई अनियमितता मौजूद नहीं है जो निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन को प्रभावित कर सकती है। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उसे तुरंत नियोक्ता के ध्यान में लाना चाहिए, अधिमानतः लिखित रूप में। ठेकेदार तब तक स्थापना के साथ आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि कार्य स्थल परियोजना की आवश्यकताओं के अनुरूप न हो।

3.0 उत्पाद वितरण, भंडारण और हैंडलिंग

3.1 सामग्री केवल ठेकेदार की मूल, बिना खोली गई, सुरक्षात्मक पैकेजिंग में ही वितरित की जाएगी, और इसे गंदगी, शारीरिक क्षति या नमी के प्रवेश के कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिए इसकी मूल सुरक्षात्मक पैकेजिंग में ही संग्रहीत किया जाएगा। परिवहन, स्थापना और निर्माण के दौरान उपकरण और उजागर फिनिश को नुकसान और दाग से सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए।

3.2 ठेकेदार उपलब्ध साइट भंडारण क्षेत्र को कुशलतापूर्वक आवंटित करेगा और नियोक्ता और अन्य ट्रेडों के साथ उनके उपयोग का समन्वय करेगा।

3.3 ठेकेदार को खुले में रखी जाने वाली सामग्री के लिए आवश्यकतानुसार उपयुक्त अस्थायी, मौसम-रोधी भंडारण सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। कोई भी सामग्री लैंडिंग पर संग्रहीत नहीं की जाएगी।

4.0 उपकरण का परीक्षण और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण:

4.1 नया ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली सभी प्रासंगिक मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए, और सफल बोलीदाता द्वारा डिलीवरी के समय बैंक की स्वीकृति के लिए साइट पर इसका निष्पादन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उचित कार्यप्रणाली और निष्पादन की पुष्टि के लिए बैंक द्वारा साइट पर इसका परीक्षण किया जाएगा। निर्धारित विनिर्देशों से कम पाए जाने वाले उपकरण को अस्वीकार किया जा सकता है।

4.2 ठेकेदार को साइट पर कार्यों के निष्पादन के दौरान तकनीकी पर्यवेक्षण और भागीदारी के लिए सक्षम, प्रशिक्षित कार्मिकों की सेवा की व्यवस्था और उसे बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध करानी होगी।

4.3 ठेकेदार उक्त उपकरण के सुरक्षित संचालन के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगा। बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के, सौंपने से पहले, कार्यक्रम परिवर्तन और कार्यों सहित सभी उपकरणों के संचालन का "प्रयोगात्मक" निष्पादन प्रदान किया जाएगा। ठेकेदार और/या प्रणाली निर्माता के प्रतिनिधि नए प्रणाली के लिए टाइप किया हुआ "संचालन का क्रम" प्रदान करेंगे।

5.0 उपकरण नीचे दी गई विशिष्टाओं और आवश्यकतानुसार सभी लागू मानकों की पुष्टि (न्यूनतम) करेगा;

a. फुल-रेंज स्पीकर:

पूर्ण-रेंज स्पीकर, इन-सीलिंग फ्लश-माउंट या सीलिंग माउंट, आकर्षक डिजाइन के साथ, उल्कृष्ट और मजबूत भाषण और संगीत पुनरुत्पादन के साथ, (~ 180 मिमी व्यास)	
रेटेड बिजली उत्पादन-	10 वाट (न्यूनतम)
प्रभावी आवृत्ति रेंज (-10dB)-	100Hz से 17kHz
रेटेड प्रतिबाधा:	8 ओम
संवेदनशीलता (1 मीटर, 1 वाट पर)-	90dB ± 2.5% (न्यूनतम)
एसपीएल (1 मीटर पर)-	100dB ± 2% (अधिकतम)

बी. प्रोफेशनल मिक्सर पावर एम्पलीफायर (डीएसपी):

ऊर्जा कुशल, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) क्षमताओं के साथ, अधिमानतः क्लास-डी, संवहन शीतलित, बहु-इनपुट जिनमें से प्रत्येक में स्वतंत्र स्तर नियंत्रण, न्यूनतम 4 ऑडियो स्रोत चैनल, रैक-माउंटेबल, आवश्यक आपूर्ति सुरक्षा सुविधाओं के साथ, अधिमानतः यूएसबी / नवीनतम ड्राइवर।	
पावर आउटपुट-	150 वाट (न्यूनतम)
इनपुट संवेदनशीलता (माइक)-	2.5mV ± 2% (न्यूनतम)
इनपुट संवेदनशीलता (लाइन)-	100mV ± 1% (न्यूनतम)
प्रभावी आवृत्ति रेंज (±3dB)-	100Hz से 17kHz
कुल हार्मोनिक विरूपण (THD)	<1% या बेहतर

सिग्नल-टू-शोर अनुपात (एसएनआर)	≥60डीबी
रेटेड प्रतिबाधा:	5 ओम से 20 ओम
सामान्य मोड अस्वीकृति अनुपात (CMRR) (mic)	>40डीबी

सी. सम्मेलन नियंत्रक (डीएसपी):

डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) क्षमताओं के साथ न्यूनतम 25 चर्चा उपकरणों को जोड़ने की गुंजाइश वाली नियंत्रक इकाई, जिसमें चर्चा उपकरणों के हॉट-स्वैप, वॉल्यूम रेंज, ऑपरेटिंग मोड सेट करने के लिए संकेतक और नियंत्रण जैसी विशेषताएं हैं, नियंत्रण इकाई में चार खुले माइक्रोफोनों का चयन करने के लिए खुले माइक्रोफोनों की संख्या (एनओएम) सुविधा संभव है, अंतरिक मेमोरी और यूएसबी रिकॉर्डिंग के साथ अंतर्निहित डिजिटल रिकॉर्डर, रिकॉर्डिंग सुनने के लिए अंतर्निहित हेडफोन सॉकेट और बेहतर भाषण समझदारी सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित डिजिटल धनिक प्रतिक्रिया दमन।

पावर आउटपुट-	350 वाट (अधिकतम) / 100 वाट (न्यूनतम)
सिग्नल-टू-शोर अनुपात (एसएनआर)	≥70डीबी
प्रभावी आवृत्ति रेंज ($\pm 3\text{dB}$)-	100Hz से 17kHz
कुल हार्मोनिक विरूपण (THD)	<1% या बेहतर
चर्चा इकाइयों की संख्या	20 ओएस . (मिनट)

डी. टेबल-एम्बेडेड / टेबलटॉप चेयरमैन माइक्रोफोन :

सम्मेलन की मेज पर चिकना डिजाइन वाला माइक्रोफोन, अधिमानतः अलग करने योग्य गूज़नेक माइक डिजाइन, नियंत्रण के लिए नीचे पैनल के साथ, प्लग-एंड-प्ले कार्यक्षमता, अलग माइक्रोफोन बटन और 'प्राथमिकता बटन', स्तर नियंत्रण के साथ निर्मित लाउडस्पीकर और हेडफोन सॉकेट, स्थिति दिखाने के लिए माइक्रोफोन के शीर्ष में रिंग सूचक के लिए रंग-कोडित प्रकाश - बोलना संभव है, बोलने का अनुरोध, बोलने के लिए पंक्ति में अगला, आदि। बुनियादी चेयरमैन माइक कार्यक्षमताओं और नियंत्रणों को माइक के निचले पैनल में एकीकृत किया जा सकता है, या चेयरमैन की सीट पर एक अलग, चिकना, नियंत्रण पैनल का उपयोग करके प्रदान किया जा सकता है।

ई. टेबल-एम्बेडेड / टेबलटॉप डेलीगेट माइक्रोफोन इकाई:

सम्मेलन की मेज पर आकर्षक डिजाइन वाला माइक्रोफोन, अधिमानतः अलग करने योग्य गूज़नेक माइक डिजाइन, नियंत्रण के लिए नीचे पैनल के साथ, प्लग-एंड-प्ले कार्यक्षमता, अलग माइक्रोफोन बटन, स्तर नियंत्रण के साथ अंतर्निर्मित लाउडस्पीकर और हेडफोन सॉकेट, स्थिति दिखाने के लिए माइक्रोफोन के शीर्ष में रिंग सूचक के लिए रंग-कोडित प्रकाश - बोलना संभव है, बोलने का अनुरोध, बोलने के लिए पंक्ति में अगला व्यक्ति, आदि।

सफल बोलीदाता को प्रणाली और घटकों को अलग मानक उपकरण रैक (न्यूनतम 9U आकार या सभी प्रणाली घटकों को समायोजित करने के लिए उपयुक्त आकार, कांच के दरवाजे, इन-बिल्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट (PDU), केबल मैनेजर, इन-बिल्ट एग्जॉस्ट फैन और अन्य सभी सहायक उपकरण के साथ) के अंदर स्थापित करना होगा।

जी. फ्लश-माउंट केबल क्यूबी यूनिट:

एवी कनेक्टिविटी (एचडीएमआई और यूएसबी-सी के माध्यम से), एसी और यूएसबी पावर (यूएसबी-ए और यूएसबी-सी) और केबल प्रबंधन अनुप्रयोगों (केबल रिट्रैक्शन मॉड्यूल के साथ बेहतर) के लिए, स्लीक डिज़ाइन और मेटल बॉडी और ढक्कन के साथ फ्लश-माउंट केबल क्यूबी यूनिट, कॉन्फ्रेंस टेबल पर स्थापित की जानी चाहिए। कॉन्फ्रेंस टेबल से कंटेंट शोयरिंग को सक्षम करने के लिए उपकरण में मल्टीमीडिया पोर्ट और नई पेशेवर डिस्प्ले इकाइयों के बीच उपयुक्त केबल कनेक्शन शामिल होना चाहिए। साथ ही, कॉन्फ्रेंस टेबल पर कनेक्शन में उपयोग करने के लिए नीचे उल्लिखित केबल उपकरण के साथ प्रदान किए जाएंगे:

- तेज ऑडियो-वीडियो (4K ऑल्ट मोड) डेटा स्थानांतरण के लिए मानक 1 मीटर लंबाई की USB-C से USB-C केबल (न्यूनतम USB4 श्रेणी, स्थानांतरण गति 20 Gbps तक) और अन्य सभी प्रासंगिक मानकों की पुष्टि करते हुए, प्रति क्यूबी इकाई 2 केबल।
- 3 मीटर की मानक लंबाई की HDMI (2.1 या नवीनतम) केबल, जो 60Hz / 120Hz रिफ्रेश दर पर 4K सामग्री को सपोर्ट करती हो, HDR को सपोर्ट करती हो और पर्याप्त डेटा ट्रांसफर स्पीड (20 Gbps / 48 Gbps तक की पसंदीदा ट्रांसफर स्पीड) हो, तथा अन्य सभी प्रासंगिक मानकों को पूरा करती हो, प्रति क्यूबी यूनिट 2 केबल।

6.0 वारंटी / डीएलपी और व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा (सीएएमसी) अवधि के दौरान रखरखाव का दायरा :

6.1 ठेकेदार को एक वर्ष की डीएलपी (दोष दायित्व अवधि) और उसके बाद की सीएएमसी अवधि के दौरान शीघ्र सेवाएं प्रदान करने (निर्माता द्वारा निर्धारित तिमाही अंतराल पर या उससे पहले सेवा प्रदान करना) और ब्रेकडाउन कॉल पर ध्यान देने के लिए सक्षम कार्मिकों को नियुक्त करना होगा, जो उसके द्वारा नियोजित और पर्यवेक्षित होंगे और नियोक्ता को स्वीकार्य होंगे।

6.2 ठेकेदार को यह गारंटी देनी होगी कि इन विनिर्देशों के तहत उसके द्वारा स्थापित उपकरणों की सामग्री और कारीगरी हर मामले में प्रथम श्रेणी की होगी। वह डीएलपी और सीएएमसी अवधि के दौरान विकसित होने वाले किसी भी दोष को अपने खर्च पर ठीक करेगा, साधारण टूट-फूट और अनुचित उपयोग को छूट दी गई है। यह खंड ग्राहक द्वारा छिपे हुए दोषों के लिए किए जा सकने वाले किसी भी उपाय को रोकता नहीं है। दोषपूर्ण में प्रणाली विफलताएं, आवश्यक न्यूनतम से कम निष्पादन, सामग्री या फिनिश का असामान्य रूप से खराब होना या पुराना होना, असुरक्षित स्थितियां, अत्यधिक रखरखाव की आवश्यकता आदि और इसी तरह की असंतोषजनक स्थितियां शामिल हैं।

6.3 सभी उपकरणों की व्यवस्थित रूप से जांच, समायोजन, सफाई और चिकनाई की जाएगी। दोषपूर्ण भागों की मरम्मत या प्रतिस्थापन स्थापित उपकरण (OEM) के निर्माता द्वारा उत्पादित भागों का उपयोग करके किया जाएगा। ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो यहां निर्दिष्ट निष्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधन और समायोजन करेगा।

6.4 ठेकेदार निर्दिष्ट वारंटी अवधि के पूरा होने पर शुरू होने वाली पूर्ण व्यापक वार्षिक रखरखाव (सीएएमसी) सेवा के लिए वार्षिक लागत उद्धृत करेगा। वार्षिक रखरखाव संविदा में संविदा की शर्तों और नियमों के आधार पर तय लागत के साथ आधार रखरखाव प्रदान किया जाएगा, जिसमें भवन के संचालन घंटों के दौरान नियोक्ता को बिना किसी अतिरिक्त लागत के कॉल आउट शामिल है।

6.5 डीएलपी की समाप्ति के बाद प्रदान की जाने वाली सीएएमसी के लिए उद्धृत शुल्क में निर्माता द्वारा निर्धारित तिमाही अंतराल या उससे पहले सर्विसिंग और इस अवधि के दौरान आपसी सहमति से किसी भी संख्या में ब्रेकडाउन कॉल को शामिल करना शामिल होना चाहिए। सीएएमसी दर में सेवा संविदा अवधि के दौरान प्रणाली के किसी भी हिस्से को बदलना भी शामिल होगा, जिसमें सभी आवश्यक स्पेयर शामिल हैं। सीएएमसी अवधि के दौरान प्रणाली / सब-असेंबली में पाए जाने वाले किसी भी दोष को निविदाकर्ता द्वारा बैंक को किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना सुधारा / बदला जाएगा।

6.6 सी.ए.एम.सी. प्रभारों का भुगतान सेवा के संतोषजनक समापन के बाद तथा विधिवत हस्ताक्षरित सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

6.7 डीएलपी या सीएएमसी अवधि के दौरान, उपकरण में किसी भी तरह की खराबी की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर उसे ठीक कर दिया जाएगा। इसलिए उद्धृत दरों में निकटतम सर्विस स्टेशन से यात्रा लागत सहित सभी लागतों पर विचार किया जाएगा।

6.8 वारंटी अवधि या CAMC अवधि के दौरान, प्रणाली में किसी भी खराबी को निम्न तालिका में उल्लिखित समय अवधि के भीतर ठीक किया जाना चाहिए, अन्यथा क्रमशः उल्लिखित जुर्माना लगाया जाएगा, जो प्रति वर्ष अधिकतम जुर्माना CAMC

दर के 10% तक होगा। इसलिए उद्धृत CAMC दर में निकटतम सर्विस स्टेशन से साइट तक की सभी यात्रा लागत को भी ध्यान में रखा जाएगा।

क्रम सं.	स्थिति	सुधार समय (अधिकतम)	जुर्माना
(ए)	किसी भी दोष के कारण प्रणाली की सम्पूर्ण विफलता।	24 घंटे	रु. 500/- प्रतिदिन
(बी)	स्वतंत्र उपकरणों, घटकों, केबलों में कोई भी दोष जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली की पूर्ण विफलता नहीं हो सकती।	72 घंटे	रु. 200/- प्रतिदिन

6.9 इसके अलावा, अगर उपकरण 10 दिनों की अवधि के भीतर ठीक नहीं किया जाता है, तो बैंक को ठेकेदार के जोखिम और लागत पर प्रणाली को ठीक करने का अधिकार होगा। अगर ठेकेदार द्वारा दी गई सेवा असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक को प्रणाली को ठीक करने में देरी के लिए दंड के रूप में बैंक गारंटी को लागू करने और संविदा को समाप्त करने का भी अधिकार होगा।

अवधि (डीएलपी) पूरी होने के बाद कम से कम 04 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। सीएएमसी के लिए आगे की नवीनीकरण राशि निविदा दस्तावेज के भाग-। के खंड ॥-पैरा 21.2 में उल्लिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

जगह:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

खंड VIII – अनुमोदित ब्रांडों की सूची

क्रम सं.	उपकरण का विवरण	बनाना
1	वक्ताओं	जेबीएल / बोस / बॉश / सेन्हाइज़र
2	मिक्सर पावर एम्पलीफायर	क्लियरवन / टेलेविक / बॉश / बोस / क्राउन / क्यूएससी
3	सम्मेलन नियंत्रण इकाई	क्लियरवन / टेलेविक / बॉश / बोस / क्यूएससी
4	माइक्रोफोन	सेन्हाइज़र / नॉर्डन / TOA / टेलेविक / बॉश
5	कैट-6 केबल्स	डी-लिंक / मोलेक्स
6	उपकरण रैक	नेट्रैक / रिटल / एनटी / वैलरैक
7	केबल क्यूबी यूनिट	क्रेमर / क्रेस्टन / एक्सट्रॉन
8	स्पीकर / माइक्रोफोन केबल	फिनोलेक्स / पॉलीकैब / क्रेमर / बेल्डेन / एक्सट्रॉन
9	एचडीएमआई केबल्स	क्रेमर / क्रेस्टन
10	पीवीसी एफआरएलएस कंड्यूट / ट्रंकिंग	परिशुद्धता / मोडिस
11	मिश्रित केबल, कनेक्टर, केस और कैपिंग और अन्य सहायक उपकरण, यदि कोई हो।	रिवाज़

जगह:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

खंड IX - निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित मेक और मॉडल की सूची

क्रम सं.	उपकरण का विवरण	बनाना
1	वक्ताओं	
2	मिक्सर पावर एम्प्लीफायर	
3	समेलन नियंत्रण इकाई	
4	माइक्रोफोन	
5	कैट-6 केबल्स	
6	उपकरण रैक	
7	केबल क्यूबी यूनिट	
8	स्पीकर / माइक्रोफोन केबल	
9	एचडीएमआई केबल्स	
10	पीवीसी एफआरएलएस कंज्यूट / ट्रॅकिंग	
11	मिश्रित केबल, कनेक्टर, केस और कैपिंग और अन्य सहायक उपकरण, यदि कोई हो।	

निविदाकर्ताओं को भाग-। निविदा के साथ उपरोक्त सभी प्रस्तावित मेक और मॉडल का तकनीकी साहित्य अपलोड करना होगा। प्रस्तावित मेक में किसी भी प्रकार के बदलाव को उसी में उचित रूप से हाइलाइट किया जाना चाहिए।

जगह:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

खंड X - वाणिज्यिक शर्तों की चेकलिस्ट

क्र सं.	विवरण	बैंक की शर्तें	बैंक की शर्तों की स्वीकृति (हां नहीं)
1	निविदा की वैधता	भाग-I के खुलने की तारीख से 90 दिन।	
2	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	₹ 42,000/- (रुपये बयालीस हजार मात्र)।	
3	काम के लिए भुगतान की शर्तें।	निविदा के भाग-I के खण्ड II-खण्ड 22.0 के अनुसार।	
4	सीएमसी के लिए भुगतान की शर्तें।	निविदा के भाग-I के खण्ड II- खण्ड 21.0 के अनुसार।	
5	तकनीकी निर्देश		
6	CAMC के दौरान नियम, शर्तें और भुगतान शर्तें।	पुष्ट करें कि निविदा प्रावधान के अनुसार सीएमसी के लिए नियम, शर्तें और भुगतान शर्तें तथा सीएमसी के नवीकरण की शर्तें स्वीकार्य हैं।	
7	वारंटी अवधि / डीएलपी	दोषपूर्ण सामग्री और कारीगरी सहित संपूर्ण कार्य सौंपने की तारीख से एक वर्ष।	
8	बिक्री के बाद सेवा	वारंटी अवधि (डीएलपी) के दौरान निःशुल्क, जिसमें आवश्यक पाए जाने पर किसी भी सामग्री / असेंबली / उपकरण / सॉफ्टवेयर का प्रतिस्थापन भी शामिल है।	
9	समापन अवधि	80 दिन निविदा के भाग-I के खण्ड II-खण्ड 19.0 में दर्शाए गए विस्तृत पूर्णता कार्यक्रम के अनुसार बैंक के कार्य आदेश जारी होने की दसवीं तारीख से।	
10	परिसमापन हर्जाना	खंड V के अनुसार - "इसमें पूर्व संदर्भित परिशिष्ट"।	
11	सेवा प्रदान करने में देरी के लिए जुर्माना।	निविदा के भाग-I के खंड VII- खंड 6.8 के अनुसार।	
12	सेवा सुविधा	कोच्ची में उपलब्ध रहेंगे तथा टेलीफोन, पेजर और मोबाइल पर संपर्क किया जा सकेगा।	
13	प्रणाली CAMC के लिए प्रतिबद्ध अवधि	एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के बाद कम से कम 04 वर्ष।	

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

जगह:

तारीख:



भारतीय रिज़र्व बैंक
Reserve Bank of India

www.rbi.org.in

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का
डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

भाग-॥
(मूल्य बोली)

बिना मूल्यांकित मात्रा का बिल

क्र म सं.	आइटम का विवरण	इकाई	मात्रा	दर
1	उत्कृष्ट और मजबूत भाषण और संगीत प्रजनन के साथ पूर्ण-श्रृंगार (इन-सीलिंग फ्लाश-माउंट या छत माउंट के साथ चिकना डिजाइन, रेटेड पावर आउटपुट न्यूनतम 10 वाट) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, स्थापना के लिए सभी संबंधित सहायक उपकरण और फिटिंग सहित, डेटा शीट, प्रासंगिक मानकों के अनुसार, और निविदा दस्तावेज के भाग-। में दिए गए विस्तृत विनिर्देशों, अनुसूची और कार्य के दायरे की पुष्टि करना।	संख्या	6	कृपया जीएसटी (ए) को छोड़कर प्रति यूनिट दर उद्धृत करें और प्रणाली स्वचालित रूप से जीएसटी की गणना करेगा और निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके अंतिम राशि दिखाएगा। क्रम संख्या 1 = a*मात्रा*1.18
2	डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) क्षमताओं के साथ ऊर्जा-कुशल, पेशेवर मिक्सर पावर एम्प्लीफायर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, क्लास-डी, संवहन कूल्ड, रेटेड पावर आउटपुट न्यूनतम 150 वाट, मल्टी-इनपुट प्रत्येक में स्वतंत्र स्तर नियंत्रण, न्यूनतम 4 ऑडियो स्रोत चैनल, रैक-माउंटेबल, आवश्यक आपूर्ति सुरक्षा सुविधाओं के साथ, अधिमानत: यूएसबी / नवीनतम ड्राइवर, स्थापना के लिए सभी संबंधित सहायक उपकरण और फिटिंग सहित, डेटा शीट, प्रासंगिक मानकों के अनुसार, और निविदा दस्तावेज के भाग-। में दिए गए विस्तृत विनिर्देशों, अनुसूची और कार्य के दायरे की पुष्टि करना।	संख्या	1	कृपया जीएसटी (ए) को छोड़कर प्रति यूनिट दर उद्धृत करें और प्रणाली स्वचालित रूप से जीएसटी की गणना करेगा और निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके अंतिम राशि दिखाएगा। क्रम संख्या 2 = a*मात्रा*1.18
3	न्यूनतम 25 चर्चा उपकरणों को जोड़ने की गुंजाइश के साथ सम्मेलन नियंत्रक इकाई की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) क्षमताओं के साथ, चर्चा	संख्या	1	कृपया जीएसटी (ए) को छोड़कर प्रति यूनिट दर उद्धृत करें और प्रणाली स्वचालित रूप से जीएसटी की गणना

	उपकरणों के हॉट-स्वैप जैसी विशेषताएं, वॉल्यूम रेंज, संचालन मोड सेट करने के लिए संकेतक और नियंत्रण, नियंत्रण इकाई में चार खुले माइक्रोफोनों का चयन करने के लिए खुले माइक्रोफोनों की संख्या (एनओएम) की सुविधा, आंतरिक मेमोरी और यूएसबी रिकॉर्डिंग के साथ अंतर्निहित डिजिटल रिकॉर्डर, रिकॉर्डिंग सुनने के लिए अंतर्निहित हेडफोन सॉकेट और बेहतर भाषण सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित डिजिटल ध्वनिक प्रतिक्रिया दमन, डीएसपी प्रौद्योगिकी के साथ संगतता, डेटा शीट, प्रासंगिक मानकों के अनुसार स्थापना के लिए सभी संबंधित सहायक उपकरण और फिटिंग सहित, और निविदा दस्तावेज के भाग-। में दिए गए विस्तृत विनिर्देशों, अनुसूची और कार्य के दायरे की पुष्टि करना।			करेगा और निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके अंतिम राशि दिखाएगा। क्रम संख्या 3= a*मात्रा*1.18
4	कॉन्फ्रेंस टेबल पर स्लीक डिजाइन के साथ टेबल-एम्बेडेड / टेबलटॉप चेयरमैन माइक्रोफोन यूनिट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, अधिमानतः डिटैचेबल गूज़नेक माइक डिजाइन, नियंत्रण के लिए नीचे पैनल के साथ, प्लग-एंड-प्ले कार्यक्षमता, अलग माइक्रोफोन बटन और 'प्राथमिकता बटन', लेवल नियंत्रण के साथ बिल्ट-इन लाउडस्पीकर और हेडफोन सॉकेट, स्थिति दिखाने के लिए माइक्रोफोन के सिर में रिंग इंडिकेटर के लिए कलर-कोडेड लाइट - बोलना संभव है, बोलने का अनुरोध, बोलने के लिए पंक्ति में अगला, डेटा शीट, प्रासंगिक मानकों के अनुसार स्थापना के लिए सभी संबंधित सहायक उपकरण और फिटिंग सहित, और निविदा दस्तावेज के भाग-। में दिए गए विस्तृत विनिर्देशों, अनुसूची और कार्य के दायरे की पुष्टि करना। बुनियादी चेयरमैन माइक कार्यात्मकताएं और नियंत्रण माइक के निचले पैनल में एकीकृत किए जा सकते हैं,	संख्या	1	कृपया <u>जीएसटी (ए)</u> को छोड़कर प्रति यूनिट दर उद्धृत करें और प्रणाली स्वचालित रूप से <u>जीएसटी</u> की गणना करेगा और निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके अंतिम राशि दिखाएगा। क्रम संख्या 4= a*मात्रा*1.18
5	कॉन्फ्रेंस टेबल पर स्लीक डिजाइन के साथ टेबल-एम्बेडेड / टेबलटॉप डेलिगेट माइक्रोफोन इकाई की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, अधिमानतः अलग करने योग्य गूज़नेक माइक डिजाइन, नियंत्रण के लिए नीचे पैनल के साथ, प्लग-एंड-प्ले कार्यक्षमता, अलग माइक्रोफोन बटन, स्तर नियंत्रण के साथ अंतर्निहित लाउडस्पीकर और हेडफोन सॉकेट, स्थिति दिखाने के लिए माइक्रोफोन के सिर में रिंग इंडिकेटर के लिए रंग-कोडित प्रकाश - बोलना संभव है, बोलने का अनुरोध, बोलने के लिए पंक्ति में अगला, स्थापना के लिए सभी संबंधित सहायक उपकरण और फिटिंग सहित, डेटा शीट, प्रासंगिक मानकों	संख्या	20	कृपया <u>जीएसटी (ए)</u> को छोड़कर प्रति यूनिट दर उद्धृत करें और प्रणाली स्वचालित रूप से <u>जीएसटी</u> की गणना करेगा और निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके अंतिम राशि दिखाएगा। क्रम संख्या 5= a*मात्रा*1.18

	के अनुसार, और निविदा दस्तावेज के भाग-। में दिए गए विस्तृत विनिर्देशों, अनुसूची और कार्य के दायरे की पुष्टि करना।			
6	<p>एवी कनेक्टिविटी (एचडीएमआई और यूएसबी-सी के माध्यम से), एसी और यूएसबी पावर (यूएसबी-ए और यूएसबी-सी), और केबल प्रबंधन अनुप्रयोगों (केबल रिट्रैक्शन मॉड्यूल के साथ बेहतर) के लिए चिकना डिजाइन और धातु शरीर और ढक्कन के साथ पलश-माउंट केबल क्यूबी यूनिट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, जिसे कॉन्फ्रेंस टेबल पर स्थापित किया जाना है, जिसमें स्थापना के लिए सभी संबंधित सहायक उपकरण, माउंट और फिटिंग शामिल हैं, डेटा शीट, प्रासंगिक मानकों के अनुसार और निविदा दस्तावेज के भाग-। में दिए गए विस्तृत विनिर्देशों, अनुसूची और कार्य के दायरे की पुष्टि करते हैं। दरों में कॉन्फ्रेंस टेबल से सामग्री साझा करने में सक्षम बनाने के लिए मल्टीमीडिया पोर्ट और पसंदीदा अंत बिंदु के बीच उपयुक्त</p> <p>केबल कनेक्शन का प्रावधान शामिल होगा। दरों में प्रत्येक क्यूबी यूनिट के साथ नीचे उल्लिखित केबलों की आपूर्ति, फिक्सिंग और परीक्षण शामिल होगा तेज ऑडियो-वीडियो (4K ऑल्ट मोड) डेटा ट्रांसफ़र के लिए मानक 1 मीटर लंबाई की USB-C से USB-C केबल (न्यूनतम USB4 श्रेणी, ट्रांसफ़र स्पीड 20 Gbps तक) और अन्य सभी प्रासंगिक मानकों की पुष्टि करते हुए, प्रति क्यूबी यूनिट 2 केबल।</p> <p>2. मानक 3 मीटर लंबाई की HDMI (2.1 या नवीनतम) केबल, 60Hz / 120Hz रिफ्रेश दर पर 4K सामग्री का समर्थन करती है, HDR का समर्थन करती है और पर्याप्त डेटा ट्रांसफ़र स्पीड (अधिमानतः ट्रांसफ़र स्पीड 20 Gbps / 48 Gbps तक) की है, और अन्य सभी प्रासंगिक मानकों की पुष्टि करते हुए, प्रति क्यूबी यूनिट 2 केबल।</p>	संख्या	2	<p>कृपया जीएसटी (ए) को छोड़कर प्रति यूनिट दर उद्धृत करें और प्रणाली स्वचालित रूप से जीएसटी की गणना करेगा और निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके अंतिम राशि दिखाएगा।</p> <p>क्रम संख्या 6= a*मात्रा*1.18</p>
7	उपयुक्त मानक उपकरण रैक (न्यूनतम 9U आकार या सभी प्रणाली घटकों को समायोजित करने के लिए उपयुक्त आकार), ग्लास दरवाजे, इन-बिल्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट (PDU), केबल मैनेजर, इन-बिल्ट एग्जास्ट फैन और स्थापना के लिए सभी संबंधित सहायक उपकरण और फिटिंग की आपूर्ति और स्थापना, डेटा शीट, प्रासंगिक मानकों के अनुसार, और निविदा दस्तावेज के भाग-। में दिए गए विस्तृत विनिर्देशों, अनुसूची और कार्य के दायरे की पुष्टि करते हुए।	संख्या	1	<p>कृपया जीएसटी (ए) को छोड़कर प्रति यूनिट दर उद्धृत करें और प्रणाली स्वचालित रूप से जीएसटी की गणना करेगा और निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके अंतिम राशि दिखाएगा।</p> <p>क्रम संख्या 7= a*मात्रा*1.18</p>
8	आईएसआई चिन्हित, एफआरएलएस, मध्यम ड्यूटी पीवीसी कन्डिट / ट्रॉकिंग (न्यूनतम 40 मिमी	आर. मीटर.	70	<p>कृपया जीएसटी (ए) को छोड़कर प्रति यूनिट दर उद्धृत करें और प्रणाली</p>

ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग सम्मेलन कक्ष, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।

	व्यास / च्यूनतम आकार 30 मिमी) की आपूर्ति, बिछाने, परीक्षण और कमीशनिंग, आवश्यक बैंड, टीज़, जंक्शन बॉक्स आदि के साथ, दीवार या छत या फर्श काटने पर क्लैप किया जाना, सभी आवश्यक फिटिंग और सहायक उपकरण का उपयोग करके, मानकों के अनुसार और निर्देशानुसार पूरा किया जाना।			स्वचालित रूप से जीएसटी की गणना करेगा और निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके अंतिम राशि दिखाएगा। क्रम संख्या 8= $a * \text{मात्रा} * 1.18$
9	कॉन्फ्रेंस रूम की नई प्रणाली के विभिन्न घटकों के बीच कनेक्शन प्रदान करने के लिए पीवीसी कंड्यूट (पहले से ही दीवार या छत या फर्श कटिंग के माध्यम से साइट पर क्लैप और बिछाई गई) के माध्यम से लचीली CAT6 केबल की आपूर्ति, बिछाने, परीक्षण और कमीशनिंग। दर में सभी आवश्यक कनेक्टर, फिटिंग और अन्य सहायक उपकरण का उपयोग करके दोनों सिरों पर केबल को समाप्त करने के लिए शुल्क शामिल होंगे, जो मानकों के अनुसार और निर्देशानुसार पूर्ण होंगे।	आर. मीटर .	100	कृपया जीएसटी (ए) को छोड़कर प्रति यूनिट दर उद्धृत करें और प्रणाली स्वचालित रूप से जीएसटी की गणना करेगा और निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके अंतिम राशि दिखाएगा। क्रम संख्या 9= $a * \text{मात्रा} * 1.18$
10	पीवीसी इंसुलेशन, ट्रिस्टेड कोर, पीवीसी आउटर जैकेट/शीथ आदि के साथ 1.5 वर्ग मिमी, 2-कोर, एनील्ड टिन्ड कॉपर कंडक्टर स्पीकर केबल की आपूर्ति, बिछाने, परीक्षण और कमीशनिंग, पीवीसी कंड्यूट के माध्यम से (पहले से ही दीवार या छत या फर्श काटने के माध्यम से साइट पर क्लैप और बिछाई गई है)। दर में सभी आवश्यक कनेक्टर, फिटिंग और अन्य सहायक उपकरण का उपयोग करके दोनों सिरों पर केबल को समाप्त करने के लिए शुल्क शामिल होगा, जो मानकों के अनुसार और निर्देशानुसार पूरा होगा।	आर. मीटर .	100	कृपया जीएसटी (ए) को छोड़कर प्रति यूनिट दर उद्धृत करें और प्रणाली स्वचालित रूप से जीएसटी की गणना करेगा और निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके अंतिम राशि दिखाएगा। क्रम संख्या 10= $a * \text{मात्रा} * 1.18$
11	कॉन्फ्रेंस रूम के नए प्रणाली के विभिन्न घटकों के बीच कनेक्शन प्रदान करने के लिए पीवीसी कंड्यूट (पहले से ही दीवार या छत या फर्श कटिंग के माध्यम से साइट पर क्लैप और बिछाई गई) के माध्यम से लचीली एचडीएमआई केबल की आपूर्ति, बिछाने, परीक्षण और कमीशनिंग। दर में सभी आवश्यक कनेक्टर, फिटिंग और अन्य सहायक उपकरण का उपयोग करके दोनों सिरों पर केबल को समाप्त करने के लिए शुल्क शामिल होगा, जो मानकों के अनुसार और निर्देशानुसार पूरा होगा।	आर. मीटर .	50	कृपया जीएसटी (ए) को छोड़कर प्रति यूनिट दर उद्धृत करें और प्रणाली स्वचालित रूप से जीएसटी की गणना करेगा और निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके अंतिम राशि दिखाएगा। क्रम संख्या 11= $a * \text{मात्रा} * 1.18$
12	भाग-। में निर्दिष्ट निर्देशों, मानक, नियमों और शर्तों के अनुसार मौजूदा पुरानी ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के सभी घटकों और सहायक उपकरणों को हटाने, वापस खरीदने और हटाने के लिए छूट ।	बहुत	1	कृपया जीएसटी (ए) को छोड़कर प्रति यूनिट दर उद्धृत करें और प्रणाली स्वचालित रूप से जीएसटी की गणना करेगा और निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके अंतिम राशि दिखाएगा। क्रम संख्या 12= $a * \text{मात्रा} * 1.18$
13	गारंटी अवधि (डीएलपी) के बाद, भाग-। में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, मौजूदा जीएसटी दर	प्रति वर्ष दर	1	कृपया जीएसटी (ए) को छोड़कर प्रति यूनिट दर उद्धृत करें और प्रणाली स्वचालित रूप से जीएसटी की गणना

ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग सम्मेलन कक्ष, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।

	पर, नव स्थापित ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के लिए पुर्जों सहित व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए प्रति वर्ष लागत।			करेगा और निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग करके अंतिम राशि दिखाएगा। क्रम संख्या 13 = a * मात्रा * 1.18
	कुल योग			$(\text{क्रम सं. 1}) + (\text{क्रम सं. 2}) \dots + (\text{क्रम सं. 11}) - (\text{क्रम सं. 12}) + 3.35361 * (\text{क्रम सं. 13})$

टिप्पणी:

1. दरें केवल ऑनलाइन मूल्य बोली में ही उद्धृत की जानी हैं, 1000 अक्षरों की सीमा के कारण, पूर्ण विवरण नहीं दिया जा सका, तथा दिया गया विवरण संक्षिप्त है। ऑनलाइन दरें उद्धृत करने से पहले, सभी ठेकेदारों को निविदा दस्तावेज के भाग-॥ में दिए गए अनप्राइस्ड बिल ऑफ क्वांटिटीज (BoQ) में दिए गए प्रत्येक आइटम का पूरा विवरण अवश्य पढ़ना चाहिए। निष्पादन और दर उद्देश्य के लिए, निविदा दस्तावेज के भाग-॥ में दिए गए बिल ऑफ क्वांटिटीज में दिए गए विवरणों को लागू किया जाएगा।
2. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे भाग-॥ में आइटम के लिए केवल आधार दर उद्धृत करें, अर्थात्, भाग-॥ में आइटम के लिए दरें जीएसटी के अतिरिक्त उद्धृत की जानी चाहिए। हालांकि, मूल्य बोली में सभी आइटम लागू दरों पर जीएसटी के अधीन होंगे, और संपूर्ण मूल्य (यानी, मूल्य बोली की क्रम संख्या में संदर्भित आइटम के लिए सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत आधार दर और उस पर लागू जीएसटी) को कार्य के कुल संविदा मूल्य के रूप में लिया जाएगा। उद्धृत दरों में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, उद्धृत CAMC दरों को स्वचालित रूप से NPV कारक से गुणा किया जाएगा जैसा कि भाग-। के खंड ॥-पैरा 15.0 में दर्शाया गया है।
3. ऊपर दिया गया मूल्य बोली प्रारूप केवल उदाहरण के लिए है। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे भाग-। निविदा दस्तावेजों के साथ मूल्य बोली अपलोड न करें। मूल्य केवल MSTC पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भाग-। निविदा दस्तावेजों के साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने पर निविदा को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

जगह:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

को,
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
संपदा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

हम (बोली लगाने वाले का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री / सुश्री (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) को, जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत हैं और के पद पर हैं, हमारे अटॉर्नी के रूप में नियुक्त और अधिकृत करते हैं, कि वे हमारे नाम से और हमारी ओर से, उक्त परियोजना के लिए हमारी बोली के संबंध में या उससे संबंधित सभी ऐसे कार्य, कर्म और चीजें करें, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रस्तुत करना और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को जानकारी / प्रतिक्रियाएं प्रदान करना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ व्यवहार करना शामिल है।

हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा विधिपूर्वक किए गए सभी कार्यों, कर्मों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और हमारे पूर्वोक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, कर्म और चीजें हमेशा हमारे द्वारा किए गए माने जाएंगे।

श्री/सुश्री के हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित हैं:

बोलीदाता के हस्ताक्षर:

बोलीदाता का नाम, मुहर/सील:

नोट: पावर ऑफ अटॉर्नी पर उचित मुहर लगी होनी चाहिए, तथा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

ठेकेदार द्वारा साइट विजिट के लिए वचनबद्धता का प्रारूप

(कार्य को समझने के लिए निविदाकर्ता द्वारा साइट विजिट के संबंध में)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

संपदा विभाग

भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची।

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

हम, उपरोक्त कार्य के लिए निविदाकर्ता, इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमने साइट का दौरा किया है और परिसर में मौजूदा कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली की आवश्यकता और उचित विवरण, और प्रस्तावित नई ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के लिए कार्य का दायरा समझ लिया है।

आपका विश्वासी,

(.....)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(कंपनी का नाम और पता कंपनी की मुहर के साथ)

जगह:

तारीख:

बोलीदाता द्वारा रखरखाव की पुष्टि के लिए वचनबद्धता का प्रारूप

(यदि बोलीदाता मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) नहीं है, तो प्रस्तावित उपकरण निर्माता बोलीदाता द्वारा अपने लेटरहेड पर जारी किया जाएगा)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

संपदा विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

हम आपके उपरोक्त परिसर में हमारे द्वारा स्थापित की जाने वाली ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली को दोष दायित्व/वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद कम से कम 04 वर्ष की अवधि के लिए, सभी समावेशी वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए उद्धृत दरों और संविदा की शर्तों के अनुसार नियमों और शर्तों पर संतोषजनक रूप से बनाए रखने का वचन देते हैं, जो कि निविदा दस्तावेज में दिए गए प्रासंगिक आरबीआई सूचकांक आधारित फॉर्मूले के आधार पर मूल्य संशोधन के अधीन है।

मूल उपकरण निर्माता मेसर्स द्वारा तकनीकी अप्रचलन के कारण या किसी भी कारण से पुर्जों आदि के संदर्भ में सहायता प्रदान करने में विफल रहने की अप्रत्याशित स्थिति में, हम उपरोक्त रूप में स्वीकृत अवधि के लिए सर्व-समावेशी रखरखाव संविदा के लिए हमारे द्वारा उद्धृत दर के भीतर, आवश्यक पुर्जों आदि की स्वयं व्यवस्था करके, आपकी संतुष्टि के लिए सर्व-समावेशी वार्षिक रखरखाव सेवा प्रदान करना जारी रखेंगे।

आपका विश्वासी,

(.....)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(कंपनी का नाम और पता कंपनी की मुहर के साथ)

जगह:

तारीख:

बयाना राशि जमा / बोली सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का प्रारूप

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

संपदा विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

संदर्भ: एनआईटी / विज्ञापन संख्या , दिनांक

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे आगे 'आरबीआई' कहा जाएगा) ने उक्त निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर उपर्युक्त कार्य (जिसे आगे "उक्त निविदा" कहा जाएगा) के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

निविदा आमंत्रण की शर्तों में से एक यह है कि निविदाकर्ता बयाना राशि (ईएमडी) के रूप में ₹ (रुपये मात्र) की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।

मेसर्स (बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता), (इसके बाद "निविदाकर्ता / बोलीदाता" के रूप में कहा जाएगा), जो हमारे ग्राहक / घटक हैं, उक्त कार्य के लिए अपनी निविदा / बोली प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं, और उन्होंने हमें ईएमडी के संबंध में ₹ (रुपये केवल) की उक्त राशि के संबंध में आरबीआई को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

अब यह गारंटी गवाह है

1.0 हम, (बैंक का नाम), इसके द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों के साथ सहमत हैं और यह दायित्व लेते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निविदाकर्ता ने निविदा की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो यह निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त निविदाकर्ता पर भी बाध्यकारी होगा; हम आरबीआई द्वारा मांगे जाने पर, बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को ₹ (केवल रुपए) की राशि या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के तहत निविदाकर्ता के दायित्वों के उचित निष्पादन के लिए बयाना राशि जमा के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹ (केवल रुपए) की राशि से अधिक नहीं होगी।

2.0 हम यह भी वचन देने और पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि उपर्युक्त रूप में ₹ (केवल रूपए) से अधिक नहीं की राशि का भुगतान हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के करेंगे, केवल आरबीआई से लिखित में नोटिस प्राप्त होने पर मांग करने पर कि राशि उन्हें देय है और हम कोई और सबूत या साक्ष्य नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस हमारे लिए निर्णयिक और बाध्यकारी होगा और हम किसी भी तरह से या किसी भी तरह से उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। हम आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान उपर्युक्त रूप में नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर करने का वचन देते हैं।

3.0 हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और निविदाकर्ता के बीच हुए करार या समझौतों या अन्य सहमतियों से स्वतंत्र होगा।

4.0 आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

हम आगे इस बात पर सहमत हैं कि-

क) उक्त करार की शर्तों को लागू करने या उक्त निविदा और/या इसके अंतर्गत निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में आरबीआई की ओर से कोई भी सहनशीलता या कमीशन या आरबीआई द्वारा निविदाकर्ता को कोई समय देना या कोई रियायत दिखाना या उससे संबंधित कोई अन्य मामले, किसी भी तरह से हमें और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व को पूरा नहीं करेंगे। यह गारंटी केवल निविदाकर्ताओं द्वारा उनके दायित्वों के निष्पादन और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹ (केवल रूपये) से अधिक नहीं की राशि का भुगतान करके पूरी की जाएगी।

ख) इन दायित्वों के अंतर्गत हमारी देयता ₹ (रूपये मात्र) से अधिक नहीं होगी।

ग) इस करार के तहत हमारा दायित्व हमारे ग्राहकों/घटकों की ओर से उक्त कार्य के लिए निविदा देने में किसी भी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता या उसके तहत उनके दायित्वों या हमारे घटकों के संविधान में विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

(घ) यह गारंटी निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख से महीने तक प्रभावी रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई चाहे तो इस गारंटी को उनके द्वारा बताई गई अवधि के लिए यहां दी गई शर्तों व नियमों के अनुसार नवीनीकृत किया जा सके।

ई) इन उपहारों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन उपहारों को ऊपर दिए गए अनुसार या उस दिन नवीनीकृत नहीं किया जाता जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाण पत्र ही निर्णयिक सबूत है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक हमारे खिलाफ या किसी विस्तारित अवधि के भीतर कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हम इसके तहत अपने सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त और मुक्त हो जाएंगे।

आपका विश्वासी,

दा

किनारा।

प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

नाम:

पद का नाम:

जगह:

तारीखः

बैंक की मुहर/मोहरः

उपरोक्त नामित व्यक्तियों द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद तथा निम्नलिखित की उपस्थिति में वितरितः

गवाह

(1) हस्ताक्षर

नाम, पता और दिनांक

(2) हस्ताक्षर के साथ

नाम, पता और दिनांक

नोटः इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प ड्यूटी की आवश्यकता होगी जहां इसे निष्पादित किया गया है, और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार को सत्यापित किया जाएगा।

करार की शर्तें

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

एक पक्ष की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची, लिसी जं., कलूर, कोच्ची- 682018, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई- 400001 में है (जिसे आगे "नियोक्ता" कहा जाएगा) और दूसरे पक्ष की ओर से (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) के बीच

दिन _____ को किए गए करार के लेख।

चूंकि नियोक्ता भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य करने का इच्छुक है। और किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करते हुए मात्रा के विनिर्देश और अनुसूची का कारण बना है।

और जबकि उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची पर पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जबकि ठेकेदार ने यहां निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों तथा संविदा की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तों" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अधीन और उनके अधीन, उक्त चित्रों में दिखाए गए और/या उक्त विनिर्देशों में वर्णित कार्यों और मात्राओं की अनुसूची में शामिल किए गए कार्यों को, उसमें निर्धारित संबंधित दरों पर निष्पादित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो उसमें निर्धारित राशि या उसके तहत देय होने वाली अन्य राशि के बराबर होगी (जिसे इसके बाद "उक्त संविदा राशि" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

अब इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है:

1.0 उक्त शर्तों में निर्धारित समय और तरीके से भुगतान की जाने वाली उक्त संविदा राशि के प्रतिफल में, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची में वर्णित कार्य को निष्पादित और पूरा करेगा।

2.0 नियोक्ता ठेकेदार को उक्त संविदा राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय और तरीके से देय होगी।

3.0 उक्त शर्तों में शब्द "वास्तुकार" का तात्पर्य इस संविदा के प्रयोजन के लिए मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी, परिसर विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई से होगा।

4.0 भारतीय रिजर्व बैंक कार्यों के पर्यवेक्षण, बिलों के प्रमाणीकरण, भुगतान करने तथा संविदा की विभिन्न शर्तों, निबंधनों और प्रावधानों के कार्यान्वयन का प्रशासन और प्रत्यक्ष प्रबंध करेगा।

5.0 उक्त शर्तें, परिशिष्ट और विभिन्न अनुसूचियां तथा निविदा के भाग-। के खुलने की तारीख से लेकर उनकी निविदा की स्वीकृति के पत्र की तारीख तक बैंक और फर्म के बीच आदान-प्रदान किया गया कोई भी पत्राचार इस करार का हिस्सा माना जाएगा और इसके पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, स्वयं को उनके अधीन करेंगे और उक्त शर्तों में निहित समझौतों को अपनी ओर से निष्पादित करेंगे।

6.0 यहां उल्लिखित योजनाएं, समझौता और दस्तावेज इस संविदा का आधार बनेंगे।

7.0 यह संविदा न तो एकमुश्त राशि का संविदा है और न ही टुकड़ा कार्य संविदा है, बल्कि यह ' भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉफ्रेंसिंग प्रणाली के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग' के संबंध में कार्य करने के लिए एक संविदा है, जो अन्यत्र निर्दिष्ट मूल्य परिवर्तन खंड के अधीन है, जिसका भुगतान दरों की अनुसूची और संभावित मात्रा में निहित दरों / राशियों पर या उक्त शर्तों में दिए गए अनुसार किया जाना है।

8.0 ठेकेदार को सिविल कार्यों, विद्युत प्रतिष्ठानों और फिटिंग्स, टेलीफोन, एयर कंडीशनिंग और किसी भी अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से करने के लिए हर उचित सुविधा प्रदान करनी होगी और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करनी होगी।

9.0 नियोक्ता इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य के किसी भाग को जोड़ने या हटाने अथवा उसके किसी भाग को पूरा कराने के द्वारा कार्य की प्रकृति में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

10.0 समय को इस संविदा का सार माना जाएगा और ठेकेदार इस बात पर सहमत है कि वह साइट उसे सौंपे जाने के तुरंत बाद या उक्त शर्तों के अनुसार औपचारिक कार्य आदेश जारी होने की तारीख के दसवें दिन से, जो भी बाद में हो, कार्य शुरू कर देगा और **80 दिनों** के भीतर पूरा काम पूरा कर देगा। बैंक के कार्य आदेश जारी होने की दसवें तारीख से, तथापि समय विस्तार के प्रावधानों के अधीन।

11.0 इस संविदा के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल कोच्ची में ही किए जाएंगे।

12.0 इस करार से उत्पन्न या किसी भी तरह से इससे जुड़े सभी विवाद कोच्ची में उत्पन्न माने जाएंगे और केवल कोच्ची स्थित न्यायालयों को ही उन्हें निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार होगा।

13.0 इस संविदा के विभिन्न भागों को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है और ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से समझा गया है। ठेकेदार निविदा की गई मात्रा से अधिक मात्रा के लिए भुगतान का हकदार नहीं होगा जब तक कि बैंक के इंजीनियर(ओं) द्वारा विशेष लिखित निर्देशों द्वारा आदेश न दिया जाए।

14.0 ठेकेदार बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान में आ सकते हैं, किसी तीसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा और हर समय उसे सबसे सख्त गोपनीयता में रखेगा। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा या प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन न करने को ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा।

14.1 ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से पूरे हों।

14.2 गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व, किसी भी कारण से इस संविदा की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

15.0 ठेकेदार को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

15.1 बैंक परिसर में अपने कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में पूरी तरह से फर्म जिम्मेदार होगी। शिकायत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय समिति के समक्ष दायर की जाएगी और बैंक शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

15.2 बैंक के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध फर्म के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

15.3 यदि घटना में फर्म के कर्मचारी शामिल हों तो फर्म को किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होना होगा, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की मौद्रिक राहत, यदि फर्म के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाती है।

15.4 फर्म अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

15.5 फर्म को बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण एवं अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी।

जिसके साक्ष्य स्वरूप नियोक्ता और ठेकेदार ने इन दस्तावेजों पर ऊपर लिखे दिन और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

जिसके साक्ष्य स्वरूप नियोक्ता ने अपने विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर किए हैं और ठेकेदार ने अपनी सामान्य मुहर इस पर लगवा ली है तथा इन प्रस्तुतियों को अपनी ओर से निष्पादित करवा लिया है, जिस दिन और वर्ष में ऊपर लिखा गया है।

यदि ठेकेदार साझेदारी या व्यक्ति है।

यदि ठेकेदार कोई कंपनी है।

हस्ताक्षर खंड

**भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित एवं वितरित
श्री. _____**

(नाम एवं पदनाम)

की उपस्थिति में

(1) _____

(2) _____

(गवाह)

हस्ताक्षर खंड

हस्ताक्षरित एवं वितरित

यदि पार्टी साझेदारी फर्म या एक व्यक्ति है तो सभी या सभी भागीदारों की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

की उपस्थिति में

(1) _____

(2) _____

(गवाह)

की सामान्य मुहर

दिनांक _____ की उपस्थिति में आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसरण में इसे यहां संलग्न किया गया है।

(1) _____

(2) _____

निदेशकगण, जिन्होंने इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर किए हैं, उनकी उपस्थिति में।

यदि
ठेकेदार
सामान्य
मुहर के
तहत
हस्ताक्षर
करता है,
तो
हस्ताक्षर
संबंधी
खण्ड

एसोसिएश
न के
अंतर्नियमों
में सीलिंग
खण्ड के
साथ मेल
खाना
चाहिए।

(1) _____

—

(2) _____

—

यदि
ठेकेदार
पावर ऑफ
अटोर्नी पर
हस्ताक्षर
कर रहा है,
चाहे वह
कंपनी हो
या व्यक्ति।

ठेकेदार द्वारा श्री. _____ और विधिवत् गठित अटोर्नी के हस्ताक्षर
द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित।

निष्पादन सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफाम

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

संपदा विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

संदर्भ: एनआईटी / विज्ञापन संख्या , दिनांक

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे आगे 'आरबीआई' कहा जाएगा) ने उपर्युक्त कार्य (जिसे आगे "संविदा" कहा जाएगा) के लिए संविदा मेसर्स (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) को प्रदान किया है।

और जबकि ठेकेदार उक्त संविदा द्वारा आरबीआई को ₹ (रुपये मात्र) की कुल राशि के लिए एक निष्पादन सुरक्षा जमा करने के लिए बाध्य है, ताकि उक्त ठेकेदार द्वारा संविदा में निहित नियमों और शर्तों को पूरा किया जा सके। हम, (बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) मेसर्स , ठेकेदार के अनुरोध पर, संविदा के नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए आरबीआई को निष्पादन गारंटी के रूप में ₹ (रुपये मात्र) से अधिक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

1.0 हम, (बैंक का नाम), इसके द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों के साथ सहमत हैं और यह दायित्व निभाते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ठेकेदार ने संविदा की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो यह निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा; हम आरबीआई द्वारा मांगे जाने पर, बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को ₹ (रुपये मात्र) की राशि या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित निष्पादन के लिए निष्पादन सुरक्षा जमा के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹ (रुपये मात्र) की राशि से अधिक नहीं होगी।

2.0 हम यह भी वचन देने और पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि पूर्वोक्त राशि ₹ (केवल रुपए) से अधिक नहीं होगी, जिसका भुगतान हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल आरबीआई से मांगने पर लिखित में नोटिस प्राप्त होने पर करेंगे जिसमें कहा गया होगा कि राशि उन्हें देय है और हम कोई और सबूत या प्रमाण नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी तरह से इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। बैंक आरबीआई को इस प्रकार मांगी गई कोई भी राशि का भुगतान करेगा, भले ही ठेकेदार द्वारा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ(ओं) के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में उठाए गए किसी भी विवाद के बावजूद और इस गारंटी के तहत देयता पूर्ण और स्पष्ट होगी। हम पूर्वोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3.0 हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच हुए करार या समझौतों या अन्य सहमतियों से स्वतंत्र होगा।

4.0 आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

हम आगे इस बात पर सहमत हैं कि-

ए) उक्त संविदा की शर्तों को लागू करने या उक्त संविदा और/या इसके अंतर्गत निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में आरबीआई की ओर से कोई भी सहनशीलता या कमीशन या आरबीआई द्वारा ठेकेदार को कोई समय देना या कोई रियायत दिखाना या उससे संबंधित कोई अन्य मामले, किसी भी तरह से हमें और इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व को पूरा नहीं करेंगे। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹ (केवल रुपये) से अधिक नहीं की राशि के भुगतान द्वारा पूरी की जाएगी।

ख) इन दायित्वों के अंतर्गत हमारी देयता ₹ (रुपये मात्र) से अधिक नहीं होगी।

ग) इस करार के तहत हमारा दायित्व हमारे ग्राहकों/घटकों की ओर से उक्त कार्य के लिए संविदा करने में किसी भी प्रकार की दुर्बलता या अनियमितता या उसके तहत उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के संविधान में विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

(घ) यह गारंटी (दोष दायित्व अवधि से दिन आगे) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई चाहे तो इस गारंटी को उनके द्वारा बताई गई आगे की अवधि के लिए उन्हीं नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत किया जाएगा, जो इसमें निहित हैं।

ई) इन उपहारों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन उपहारों को ऊपर दिए गए अनुसार या उस दिन नवीनीकृत नहीं किया जाता जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, जिसके लिए आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाण पत्र ही निर्णायक सबूत है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक हमारे खिलाफ या किसी विस्तारित अवधि के भीतर कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई दायर नहीं की जाती है, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हम इसके तहत अपने सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त और मुक्त हो जाएंगे।

आपका विश्वासी,

दा

किनारा।

प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

नामः

पद का नामः

जगहः

तारीखः

बैंक की मुहर/मोहरः

उपरोक्त नामित व्यक्तियों द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद तथा निम्नलिखित की उपस्थिति में वितरितः

गवाहः

(1) हस्ताक्षर

नाम, पता और दिनांक

(2) हस्ताक्षर के साथ

नाम, पता और दिनांक

नोटः इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प ऊँटी की आवश्यकता होगी जहां इसे निष्पादित किया गया है, और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार को सत्यापित किया जाएगा।

एनईएफटी / आरटीजीएस / ईसीएस के माध्यम से भुगतान के लिए इनपुट प्रदान करने हेतु प्रोफार्म**-अधिदेश प्राधिकरण प्रपत्र****1. आपूर्तिकर्ता/विक्रेता का नाम:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. बैंक रिकॉर्ड के अनुसार आपूर्तिकर्ता/विक्रेता का नाम:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3A. आपूर्तिकर्ता का कोड

--	--	--	--	--

3B. आपूर्तिकर्ता का पैन नंबर: #

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14-02-2008 से सभी ई-रिटर्न में पैन नंबर बताना 100% अनिवार्य हो गया है, इसलिए इसे भरना सुनिश्चित करें और साथ ही पैन की फोटोकॉपी भी स्वयं सत्यापित करके भेजें। यदि आपूर्तिकर्ता के नाम और पैन कार्ड में दिए गए नाम में कोई अंतर है, तो अंतर का कारण और दोनों के बीच संबंध को स्पष्ट करने के लिए एक नोट भेजें।

4. आपूर्तिकर्ता/विक्रेता का पूरा डाक पता:

दरवाजा नं.:																			
गली:																			
जगह:																			
ज़िला:																			
शहर:																			
राज्य:																			
नवीनीकरना:																			

5. आपूर्तिकर्ता/विक्रेता का ई-मेल आईडी:

6. आपूर्तिकर्ता/विक्रेता का टेलीफोन नंबर और मोबाइल फोन नंबर:

7. बैंक का नामः

8. बैंक (शाखा) डाक पता:

9. आरटीजीएस* / एनईएफटी** / एमआईसीआर - शाखा का कोड:

RTGS* - "रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट", NEFT** - "नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर"। MICR- मैग्नेटिक इंक रिकॉर्डिंग के साथ एक नंबर है - "भारतीय वित्तीय सेवा कोड"। कुछ शाखाओं के लिए दोनों कोड समान हैं और कुछ बैंक RTGS के लिए एक कोड नंबर और NEFT के लिए दूसरा कोड नंबर रख सकते हैं। इसलिए, कपया दोनों पंक्तियाँ भरें, भले ही वे एक ही हों।

10. खाते की प्रकृति:

10. जाति पर्याप्ति:
(जो भी लाग हो उसे टिक करें तथा शेष दो खातों के लिए 'x' चिह्न लगाएं)

बचत बैंक खाता:		नकद क्रेडिट खाता:		चालू खाता:	
----------------	--	-------------------	--	------------	--

11. आपरिकर्ता का बैंक खाता संख्या: ८

पहले कॉलम से भरें। शेष खाली कॉलम के लिए कृपया 'x' चिह्न अंकित करें।

हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि अधूरी या गलत जानकारी के कारण लेन-देन में देरी होती है, तो हम एमडीएल को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे।

तारीखः

आपूर्तिकर्ता की मुहरः

आपूर्तिकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरः

प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या 2, 7 से 11 तक दिए गए विवरण हमारे रिकार्ड के अनुसार सही हैं।

तारीखः

बैंक की मुहरः

बैंक अधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षरः

संविदा श्रम नियमों / विनियमों के गैर-अनुपालन के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति के लिए प्रोफार्मा
(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

संपदा विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

हम, मेसर्स (ठेकेदार का नाम), एतद्वारा वचन देते हैं कि हम ठेका श्रमिकों के नियोजन और उनके भुगतान के संबंध में सभी वैधानिक नियमों/विनियमों का पालन करेंगे।

हम अपने उप-ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति का दावा करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा श्रमिकों को किए जाने वाले भुगतानों के विरुद्ध तथा इस संबंध में कानूनों के पालन के लिए नियोक्ता, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक को पूर्ण क्षतिपूर्ति देते हैं तथा देते रहेंगे।

आपका विश्वासी,

मेसर्स के लिए

(.....)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(ठेकेदार का नाम और पता हस्ताक्षर और मुहर सहित)

जगह:

तारीख:

पेटेंट अधिकारों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रोफार्मा

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्थाप्त पेपर पर)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

संपदा विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

हम, मेसर्स (ठेकेदार का नाम), इसके द्वारा नियोक्ता, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी पेटेंट या डिजाइन या किसी कथित पेटेंट या डिजाइन अधिकारों के उल्लंघन या उपयोग से संबंधित किसी भी कार्रवाई, दावे या कार्यवाही के खिलाफ पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति जारी रखने का वचन देते हैं और संविदा में शामिल किसी भी वस्तु या उसके भाग के संबंध में देय किसी भी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क आदि या उसके संबंध में कानूनी रूप से होने वाले सभी प्रकार के नुकसान, लागत और शुल्क का भुगतान स्वयं करेंगे।

उपर्युक्त किसी मामले के संबंध में नियोक्ता के विरुद्ध किए गए किसी दावे या लाई गई कार्रवाई की स्थिति में, हमें इसकी सूचना मिलने पर, अपने स्वयं के व्यय पर, किसी विवाद का निपटारा करेंगे या उससे उत्पन्न होने वाले किसी मुकदमे का संचालन करेंगे, बर्ती कि हम नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे यदि पेटेंट या डिजाइन या किसी कथित पेटेंट या डिजाइन अधिकार का उल्लंघन इस संबंध में प्रभारी इंजीनियर द्वारा पारित आदेश का प्रत्यक्ष परिणाम है।

आपका विश्वासी,

मेसर्स के लिए

(.....)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(ठेकेदार का नाम और पता हस्ताक्षर और मुहर सहित)

जगह:

तारीख:

परियोजना के लिए प्रस्तावित प्रमुख कर्मचारियों का बायोडाटा

(बोलीदाता द्वारा भरा जाना है तथा भाग-1 के साथ प्रस्तुत किया जाना है)

कार्य का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के कार्यालय भवन में सम्मेलन कक्ष के लिए ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

स्टाफ का नाम:		
पद का नाम:		
वर्तमान में कार्यरत फर्म का नाम:		
फर्म के साथ बिताए वर्ष:		
प्रस्तावित पद (जिम्मेदारी का स्तर भी बताएं):		
सौंपे गए कार्य का विवरण:		
सौंपे गए कार्य के लिए बजट में शामिल मानव-महीने:		
मुख्य योग्यताएं (तकनीकी और सामान्य):		
शिक्षा:		
व्यावसायिक निकायों में सदस्यता:		
अनुभव एवं प्रशिक्षण (सौंपे गए कार्य के संदर्भ में प्रासंगिक):		
रोजगार रिकॉर्ड		
फर्म का नाम	ग्रहित पद	रोजगार के वर्ष

(.....)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(ठेकेदार का नाम और पता हस्ताक्षर और मुहर सहित)

जगह:

तारीख:

ग्राहकों की सूची हेतु प्रपत्र

(जिनके लिए समान कार्यक्षेत्र के कार्य, जिनमें से प्रत्येक न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करता हो, पिछले 5 वर्षों में पूरे किए गए हों।)

क्रम सं.	विवरण	ग्राहक क्रमांक 1	ग्राहक क्रमांक 2	ग्राहक संख्या 3
1	नाम, पता, फैक्स और टेलीफोन नं.			
2	परियोजना का नाम, स्थान और पता.			
3	कार्य का संक्षिप्त विवरण.			
4	पूर्ण किये गये कार्य का मूल्य.			
5	संविदा प्रदान करने की तारीख.			
6	कार्य पूर्ण होने की तारीख.			
7	क्या कार्य वास्तुकार/परामर्शदाता के अधीन किया गया था, यदि हाँ, तो ब्यौरा दें।			

नोट: 3 से अधिक ग्राहकों के मामले में अधिक कॉलम जोड़ें।

जगह:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

ठेकेदार के निष्पादन के संबंध में ग्राहक के प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा

ग्राहक का नाम और पता:

मेसर्स (ठेकेदार का नाम) द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण।

1. कार्य का नाम एवं संक्षिप्त विवरणः

2. संविदा संख्या और दिनांकः

3. करार की राशिः

4. कार्य शुरू करने की तारीखः

5. पूरा होने की निर्धारित तारीखः

6. वास्तविक समापन तारीखः

7. विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि बताएं), यदि कोई होः

8. पूर्ण किये गये कार्य एवं भुगतान की गई कुल राशिः

9. उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके अधीन कार्य निष्पादित किया गया:

10. क्या ठेकेदार ने कार्य के निष्पादन के दौरान योग्य इंजीनियर/ओवरसियर को नियुक्त किया था?

11. (क) कार्य की गुणवत्ता (प्रेडिंग दर्शाएँ):

(उल्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब)

(ख) कम दरों पर भुगतान किये गये कार्य की राशि, यदि कोई होः

12. (क) क्या ठेकेदार ने मध्यस्थता का सहारा लिया?

(ख) यदि हां, तो दावे की कुल राशिः

(ग) कुल प्रदान की गई राशिः

13. ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ:

(a) तकनीकी दक्षता:

(उल्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब)

(b) वित्तीय सुदृढता:

(उल्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब)

(c) पर्याप्त टी एंड पी का जुटाव:

(उल्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब)

(d) जनशक्ति का जुटावः

(उल्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब)

(e) सामान्य व्यवहार :

(उल्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब)

जगहः

कार्यालय मुहर के साथ रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यपालक अभियंता या समकक्ष स्तर का अधिकारी)

तारीखः

नोट: सभी कॉलम उचित रूप से भरे जाने चाहिए तथा उन पर 'प्रतिहस्ताक्षर' किए जाने चाहिए।

अनुसूचित बैंक से बैंकर्स प्रमाणपत्र के लिए प्रोफार्म

1. फर्म की संरचना:
(चाहे पार्टनरशिप / प्राइवेट लिमिटेड / प्रोप्राइटरशिप / पब्लिक लिमिटेड।)
2. फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम:
3. पिछले 3 वर्षों में फर्म का टर्नओवर (वर्षवार):
4. फर्म द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा:
5. व्यवहार:
6. वह अवधि जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है:
7. कोई अन्य टिप्पणी:

कृपया अपनी राय भी भेजें कि क्या उपरोक्त फर्म को ₹ 1.5 लाख की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए संविदा सौंपने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम माना जाता है? 21.00 लाख/- .

जगह:

बैंक की मुहर के साथ प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

टिप्पणी:

1. बैंकर्स प्रमाणपत्र बैंक के लेटर हेड पर, लिफाफे में सीलबंद तथा भर्ती प्राधिकारी को संबोधित होना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, बैंक में दर्ज सभी साझेदारों के नाम शामिल करने हेतु प्रमाण पत्र।

बैंक में मौजूदा पुराने ऑडियो प्रणाली का विवरण

क्रम सं.	उपकरण विवरण	बनाना	नमूना	मात्रा
1	सीलिंग फ्लश-माउंट फुल-रेंज स्पीकर	जामो	-	4
2	मिक्सर पावर एम्पलीफायर:	BOSCH	प्लेना	1
3	सम्मेलन नियंत्रक इकाई	BOSCH	सीसीएस अल्ट्रो	1
4	टेबल-टॉप चेयरमैन माइक्रोफोन यूनिट	BOSCH	सीसीएस 900 अल्ट्रो	1
5	टेबल-टॉप डेलीगेट माइक्रोफोन इकाई:	BOSCH	सीसीएस 900 अल्ट्रो	16



ऑडियो-कॉफ्रेंसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग सम्मेलन कक्ष, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।


बैंक में नव-पुनर्निर्मित एवी-कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का विवरण

क्रम. नंबरी।	उपकरण विवरण	बनाना	नमूना	मात्रा
1	4K60 HDMI स्विचर 	एएमएक्स	पीआर-0602	1
2	<u>वेबएक्स रूम किट प्लस सेट</u> अवयव- <ul style="list-style-type: none"> वेबएक्स कोडेक प्लस वेबएक्स क्लाउड कैमरा (TTC8-10) वेबएक्स रूम नेविगेटर नियंत्रण इकाइयाँ (सम्मेलन टेबल पर) सिस्को माइक 	सिस्को	टीटीसी6-15	1
3	4K UHD डिस्प्ले यूनिट (75-इंच) 	SAMSUNG	क्यूएम75बी	1
4	कक्ष अनुसूचक (सम्मेलन कक्ष के सामने)	एएमएक्स	वारिया-100	1

				
5	केबल क्यूबी (सम्मेलन मेज पर) टेबल माउंट मॉड्यूलर मल्टी-कनेक्शन बस संलग्नक वापस लेने योग्य ढक्कन के साथ। 	क्रेमर	टीबीयूएस-1एन	2
6	एचडीएमआई स्प्लिटर 			1
7	सिस्को एचडीएमआई एमयूएल-4K 2m 	सिस्को	पीकेजी 1डी	2

ऑडियो-कॉर्नरसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग सम्मेलन कक्ष, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।

8	यूएसबी चार्जिंग पोर्ट			2
9	एचडीएमआई केबल (50-फीट)	-	-	2
10	यूएसबी सी टू सी केबल (35-फीट)	-	-	1
11	यूएसबी सी टू ए केबल	-	-	2





ऑडियो-कॉफ्रेंसिंग प्रणाली का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग समेलन कक्ष, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।